लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची

अंक 7—मंगलवार, 24 नवम्बर, 1964 / 3 अग्रहायण, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
163	निर्वाचन व्यय	565–66
181	ब्रिटेन में सामान्य निर्वाचन	566–70
164	पत्तनों पर माल उतारने की सुविधायें	570–73
165	डेनियल वाल्कॉट का बच निकलना	573–74
166	पत्तनों पर माल का शीघ्र ढोया जाना	575–78
167	सामुदायिक विकास खंडों से जीपों को वापस लेना	579–84
168	केरल में आम चुनाव	584–87
169	चावल मिलें	587–89

प्रश्नों के लिखित उत्तर

170	दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भंडार	589–90
171	अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र	590
172	चीनी का उत्पादन	590–91
173	भंडारों में खाद्यान्न की बर्बादी	591–92
174	उर्वरक	592
175	नौवहन विकास निधि	592–93
176	हल्दिया पत्तन	593
177	अमरीका और ब्रिटेन को खादी की वस्तुओं का निर्यात	593–94
178	दहेज पत्तन	594
179	कृषि उत्पादन	594
180	उर्वरकों का वितरण	595
182	सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	595–96
183	सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों का सम्मेलन	596–97
184	कलकत्ता में राशन व्यवस्था	597
185	वनस्पति निगम	598

*किसी नाम पर अंकित यह +चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 7.—Tuesday, November, 24, 1964/Agrahayana 3, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred Questions Nos.*	*Subject*	PAGES
153	Election Expenses .	565-66
181	General Elections in U.K.	566—70
164	Unloading facilities at Ports .	570—73
165	Escape of Daniel Walcott .	573-74
166	Quick Handling of Goods at Ports .	575—78
167	Withdrawal of Jeeps from D.C. Blocks	579—84
168	General Elections in Kerala . .	584—87
169	Rice Mills	587—89

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
170	Delhi State Central Cooperative Store	589-90
171	Teachers Constituencies . .	590
172	Sugar Production	590-91
173	Loss of Foodgrains in Store . . .	591-92
174	Fertilizers	592
175	Shipping Development Fund . .	592-93
176	Haldia Port	593
177	Export of Khadi Goods to USA and UK . .	593-94
178	Dahej Port	594
179	Agricultural Production	594
180	Distribution of Fertilizers . .	595
182	Social Security Programme	595-96
183	Conference of Registrars of Cooperative Societies .	596-97
184	Rationing in Calcutta	597
185	Corporation for Vegetables	598

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय		पृष्ठ
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
373	सहकारी परिवहन समितियां	598
374	ग्रामदान गांव	599
375	कोयला खान भविष्य निधि योजना	599—600
376	असैनिक उड्डयन विकास निधि	600
377	केरल में वन	600
378	केरल में कर्मचारी राज्य बीमा इमारतें	601
379	बपुर पत्तन	602
380	केरल में थोट्टीलापालन—बेल्लामुंडा सड़क	602
381	केरल में फिरोक नदी पर पुल	602
382	केरल राज्य परिवहन विभाग	603
383	अनाज का समाहार	603—04
384	केरल में सहकारी परिवहन समितियां	604
385	हापुड़ गल्ला व्यापारी	604—05
386	उर्वरक का वितरण	605
387	उड़ीसा के लिये चीनी का कोटा	605—06
388	सहकारिता के संबंध में विधान	606
389	खादी आयोग	606
390	प्रति व्यक्ति खपत	606—07
391	रासायनिक उर्वरक का आयात	607
392	होटल आवास	607
393	खाद्यान्नों का जब्त किया जाना	608
394	मोटर गाड़ी संचालकों पर कर	608
395	आदिम जाति विकास खंड	608—09
396	कृषि अनुसंधान पुनरीक्षा दल	609
397	सरकारी कर्मचारियों का दायित्व	610
398	गन्ने की पेराई	610
399	फसल बीमा योजना	610
400	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन	611
401	रबी फसल के लिये चने के बीज	611—12
402	पर्यटकों के लिये बंगले	612
403	दिल्ली में सघन खेती	612—13
404	उर्वरकों का भंडार	613
405	पंजाब में पर्यटन	613—14
406	एलसीटी की खरीद	614
404	चिरी हुई इमारती लकड़ी के मूल्य	614—15
408	पंचायत राज संस्थायें	615
409	नाविकों का भोजन व्यवस्था में प्रशिक्षण	616
410	अहमदपुर में चीनी कारखाना	616—17

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
373	Co-operative Transport Societies	598
374	Gramdan Villages	599
375	Coal Mines Provident Fund Scheme	599-600
376	Civil Aviation Development Fund	600
377	Forests in Kerala	600
378	Employees State Insurance Buildings in Kerala	601
379	Beypore Port	602
380	Thottilapalam Vellamunda Road in Kerala	602
381	Bridge on the Feroke River, Kerala	602
382	Kerala State Transport Department	603
383	Procurement of Foodgrains	603—604
384	Co-operative Transport Societies in Kerala	604
385	Hapur Grain Dealers	604-605
386	Distribution of Fertilizer	605
387	Sugar Quota for Orissa	605-06
388	Legislation on Cooperation	606
389	Khadi Commission	606
390	Per Capita Consumption	606-07
391	Import of Chemical Fertilizer	607
392	Hotel Beds	607
393	Seizure of Foodgrains	608
394	Taxation on Motor Vehicle Operators	608
395	Tribal Development Blocks	608-09
396	Agricultural Research Review Team	609
397	Liability of Government Employees	610
398	Crushing of Cane	610
399	Crop Insurance Scheme	610
400	Report of Commissioner of S. Cs. and S. Ts.	611
401	Grainseeds for Rabi Crop	611-12
402	Tourists Bungalows	612
403	Intensive Cultivation on Delhi	612-613
404	Stock of Fertilizers	614
405	Tourism in Punjab	613-14
406	Purchase of LCT	614
407	Prices of Sawn Timber	614-15
408	Panchayat Raj Bodies	615
409	Training of Seamen for Catering	616
410	Sugar Mills at Ahmadpur	616-17

	विषय	पृष्ठ
411	अनाज उतारने के लिये श्रमिक . . .	617
412	दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसें . .	617
413	उत्तर प्रदेश में खांडसारी का स्टाक . . .	617–18
414	टैक्सी का किराया	618
415	उपभोक्ता सहकारी समितियां . . .	618
416	कोचीन पत्तन के लिये क्रेन	618–19
417	समुद्री टापू (सी आइलेंड) कपास की खेती . . .	619
418	मतदान . .	619–20
419	मोटर गाड़ी नियम . .	620
420	राष्ट्रमंडल चीनी करार . .	620–21
421	राज्यों को खाद्यान्नों का संभरण . .	621
422	सामाजिक नीति संकल्प .	621
423	गोदावरी पर पुल . .	621–22
424	मरुस्थल परिरक्षण योजना . .	622
425	पश्चिमी अफ्रीका के लिये नौवहन सेवा . .	622
426	केरला में कर्मचारी राज्य बीमा योजना . .	623
427	नारंगी के बागानों में बीमारी .	623–24
429	दिल्ली व्यापारियों को चेतावनी . .	624
430	बम्बई–बड़ौदा विमान सेवा . . .	624
431	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था . . .	625
432	दिल्ली प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम .	625
433	भूमिहीन कृषि श्रमिक	625–26
434	उत्तर प्रदेश में मीन क्षेत्र	626
435	विमान दुर्घटनायें	626–27
436	उत्तर प्रदेश में सड़कें	627
437	दुग्ध समाहार की लंदन पद्धति . . .	627
438	वन्य-पशु आश्रयस्थल . . .	627–28
439	सहकारी पर्यवेक्षक	628
440	उपभोक्ता सहकारी स्टोर . . .	628–29
441	बम्बई पत्तन	629–30
442	मुख्य चुनाव आयुक्त की अमरीका यात्रा . .	630
443	प्याज निर्जल करने वाले कारखाने . . .	630
444	अनाज की वसूली . . .	630–31
445	गोहाटी हवाई अड्डा . . .	631–32
446	पैकेज प्रोग्राम	632
447	दस्तकारी	632
448	दो बार टोन किया गया दूध . . .	632–33
449	किसानों के लिये ऋण . . .	633

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
411	Porters for unloading of Foodgrains	617
412	D.T.U. Buses	617
413	Stock of Khandsari in U.P.	617–18
414	Taxi Fares	618
415	Consumer Cooperative Societies	618
416	Crane for Cochin Port	618–19
417	Cultivation of Sea Island Cotton	619
418	Casting of Votes	619–20
419	Motor Vehicle Rules	620
420	Commonwealth Sugar Agreement	620–21
421	Supply of Foodgrains to States	621
422	Social Policy Resolution	621
423	Bridge on the Godavari.	621–22
424	Desert Preserving Scheme	622
425	Shipping Service to West Africa	622
426	E.S.I. Scheme in Kerala	623
427	Disease of Orange Plantation	623–24
429	Warnings to Delhi Traders	624
430	Bombay Baroda Air Service	624
431	Indian Agricultural Research Institute	625
432	C.D. Programme in Delhi Region	625
433	Landless Agricultural Labourers	625–26
434	Fisheries in U.P.	626
435	Air Accidents	626–27
436	Roads in U.P.	627
437	London System of Procuring Milk	627
438	Game Sanctuaries	627–28
439	Cooperative Supervisors	628
440	Consumer Cooperative Stores	628–29
441	Bombay Port	629–30
442	Chief Election Commissioner's visit to U.S.A.	630
443	Onion De-Hydration Plants	630
444	Procurement of Foodgrains	630–31
445	Gauhati Airport	631–32
446	Package Programme	632
447	Handicrafts	632
448	Double Toned Milk	632–33
449	Loan to Farmers	633

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना --	
विद्रोही नागाओं द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की ओर कथित प्रस्थान .	
श्री स० मो० बनर्जी . .	633
डा० द० स० राजू . .	633–35
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	635
सभा पटल पर रखे गये पत्र	636
राज्य सभा से सन्देश	637
बीज विधेयक	637
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	637
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल), 1964–65	
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	
श्री शिंकरे	637
श्री खाडिलकर	638
श्री जी० भ० कृपालानी	639
श्री अन्सार हरवानी	641
श्री मे० क० कुमारन	641
श्री काशी नाथ पांडे	643
श्री उ० मू० त्रिवेदी	643
श्री व० बा० गांधी	645
श्री मनोहरन	645
श्री बाकर अली मिर्जा	647
श्री करणी सिंहजी . .	648
श्री कृष्ण मेनन . . .	649
श्री कोल्ला वैंकैया	651
श्री लाल बहादुर शास्त्री . . .	652

Subject	PAGES
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
Reported movement of Naga Hostiles towards East Pakistan	
Shri S.M. Banerjee .	633
Dr. D.S. Raju .	633—35
Re : Calling Attention Notice (Query)	635
Papers laid on the Table .	636
Message from Rajya Sabha .	637
Seeds Bill	637
As passed by Rajya Sabha, laid on the Table .	637
Demands for Supplementary Grants (Kerala), 1964-65—	
Motion re : International situation—	
Shri Shinkre . .	637
Shri Khadilkar . .	638
Shri J.B. Kripalani .	639
Shri Ansar Harvani . . .	641
Shri M. K. Kumaran . . .	641
Shri K. N. Pande . . .	643
Shri U. M. Trivedi . .	643
Shri V. B. Gandhi . . .	645
Shri Manoharan . .	645
Shri Bakar Ali Mirza . .	647
Shri Karni Singhji . .	648
Shri Krishna Menon . .	649
Shri Kolla Venkaiah . . .	651
Shri Lal Bahadur Shastri . .	652

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंकिनीड, श्री (गुडिवाडा)
अजनप्पा, श्री (नेल्लोर)
अकम्मा देवी, श्रीमती (नीलगिरी)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अच्युतन, श्री (मावेलिक्करा)
अणे, डा० मा० श्री (नागपुर)
अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)
अब्दुल वहीद, श्री (वैल्लोर)
अरुणाचलम, श्री (रामनाथपुरम्)
अलगेशन, श्री (चिंगलपट)
अल्वारेस, श्री (पंजिम)

आ

आज़ाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आल्वा, श्री अ० शंकर (मंगलौर)
आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फीरोजपुर)
इम्बीचिबावा, श्री इजुकुढेक्कल (पोन्नाणि)
इलियापेरुमाल, श्री (तिरुकोइलूर)
इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

उ

उइके, श्री मं० गं० (मंडला)
उटिया, श्री (शहडोल)

उ—क्रमशः

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवां)

उमानाथ, श्री (पुद्दकोट्टै)

उलाका, श्री रामचन्द्र (कोरापट)

ए

एंथनी, श्री फेंक (नाम-निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (नाम-निर्देशित—उत्तर-पूर्व सीमांत क्षेत्र)

ओ

ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (सुरेन्द्रनगर)

क

कक्कड़, श्री गौरीशंकर (फतेहपुर)

कछवाय, श्री हुक्म चन्द (देवास)

कजरोलकर, श्री सादोबानारायण (बम्बई मध्य प्रदेश)

कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)

कडाडी, श्री मांदे या बंदप्पा (शोलापुर)

कनकसवै, श्री (चिंदाबरम्)

कन्डप्पन, श्री (तिरूचेगोड)

कपूर सिंह, सरदार (लुधियाना)

कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)

कयाल, श्री परेशनाथ (जयनगर)

करुथिरमण, श्री (गोबीचेट्टिपलयम)

कर्णी सिंहजी, श्री (बीकानेर)

कांबले, श्री तु० द० (लातूर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामत, श्री हरि विष्णु (होशंगाबाद)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

किन्दर लाल, श्री (हरदोई)

किशन वीर, श्री (सतारा)

किशिंग, श्री रिशांग (बाह्य मनीपुर)

कुन्हन, श्री प० (पालघाट)

कुमारन, श्री मे० क० चिरयिन्कील)

क—क्रमशः

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली)
कृपा शंकर, श्री (डुमरिया गंज)
कृपालानी, श्री जी० भ० (अमरोहा)
कृष्ण, श्री मं० रं० पद्मपल्लि)
कृष्णपाल सिंह, श्री (जलेसर)
कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (त्रिचेंदूर)
केदरिया, श्री छ० म० मांडवी)
केप्पन, श्री चेरियन (मुबात्तुपुजा)
केसर लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
कोया, श्री (कोजीकोड)
कोलाको, डा० (गोआ, दमन, और दीव)
कोहोर, डा० राजेन्द्र (फूलबनी)
कोजलगी, श्री हे० वी० (बलगांव)

ख

खन्ना, श्री प्रेम किशन (कायमगंज)
खन्ना, श्री मेहर चन्द (नई दिल्ली)
खां, श्री उस्मान अली (अनन्तपुर)
खां, डा० पूर्णेन्दनारायण (उलुबेरिया)
खां, श्री शाहनवाज (मेरठ)
खाडिलकर, श्री र० के० (खेड़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, श्री (गुड़गांव)
गणपति राम, श्री (मछलीशहर)
गयासुद्दीन अहमद, श्री (धुबरी)
गहमरी, श्री शिवनाथ सिंह (गाजीपुर)
गांधी, श्री व० बा० (बम्बई नगर—मध्य दक्षिण)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)
गुप्त, श्री काशीराम (अलवर)

ग—क्रमशः

गुप्त, श्री प्रिय (कटिहार)
गुप्त, श्री बादशाह (मनपुरी)
गुप्त, श्री शिवचरण (दिल्ली सदर)
गुलशन, श्री धन्ना सिंह (भटिंडा)
गुह, श्री अ० चं० (बारसाट)
गोकरन प्रसाद, श्री (मिसरिख)
गोनी, श्री अब्दुल गनी (जम्मू तथा काश्मीर)
गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरुपत्तर)

घ

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)
घोष, श्री न० रं० (जलपाईगुड़ी)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची-पूर्व)

च

चक्रवर्ती, श्री प्र० रं० (धनबाद)
चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बैरकपुर)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चटर्जी, श्री ह० प० (नवद्वीप)
चतर सिंह, श्री (चम्बा)
चतुर्वेदी, श्री श० ना० (फिरोजाबाद)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्रभान सिंह, श्री (बिलासपुर)
चन्द्रशेखर, श्रीमती म० (मयूरम)
चन्द्रिकी, श्री जगन्नाथराव (रायचर)
चव्हाण, श्री दा० रा० (करोड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (नासिक)
चांडक, श्री मी० ल० (छिंदवाड़ा)
चावड़ा, श्रीमती जोहराबेन (बनस्कंठा)
चुन्नीलाल, श्री (अम्बाला)
चौधरी, श्रीमती कमला (हापुड़)

च—क्रमशः

चौधरी, श्री चन्द्रमणिलाल (महुआ)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री दिगम्बर सिंह (मथरा)
चौधरी, श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़)
चौधरी, श्री सचीन्द्रनाथ (घाटल)

ज

जगजीवन राम, श्री (ससराम)
जमीर, श्री स० चु० (नामनिर्देशित—नागालैण्ड)
जमुना देवी, श्रीमती (झबुआ)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम)
जयरामन, श्री वांडीवाश)
जाधव, श्री तुलशीदास (नांदेड़)
जाधव, श्री माधवराव लक्ष्मणराव (मालेगांव)
जेधे, श्री गुलाबलराव केशवराव (बारामती)
जेना, श्री कान्हूचरण (भद्रक)
जैन, श्री अजित प्रसाद (तुमकुर)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (सीधी)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (बलरामपुर)
ज्योतिषी, श्री ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झा, श्री जोगेगन्द्र (मधुबनी)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ड

डे, श्री सु० कु० (नागौर)

त

तन सिंह, श्री (बाड़मेर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार)
तिवारी, श्री कमलनाथ (बगहा)
तिवारी, श्री द्वारकानाथ (गोपालगंज)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुला राम, श्री (घाटमपुर)
तेवर, श्री बरोना (पंजानूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)
त्रिवेदी, श्री उ० मू० (मन्दसौर)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)
थेंगल, श्री नल्लाकोया (नामनिर्देशित—लक्कदीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह)
थेदगोंडर, श्री गोपालस्वामी (नागपट्टिनम्)

द

दफले, श्री (मिरज)
दलजीत सिंह, श्री (उना)
दशरथ देव, श्री (त्रिपुरापुर्व)
दांडेकर, श्री नारायण (गोंडा)
दाजी, श्री होमी (इंदौर)
दास, श्री (तिरुपति)
दास, श्री निगम तारा (जमुई)
दास, श्री बसन्त कुमार (कंटाई)
दास, डा० मनमोहन (औग्रासम)
दास, श्री सुधांशु भूषण (डायमन्द हार्बर)
दिगे, श्री भास्कर नारायण (कोलाबा)
दिनेश सिंह, श्री (सालोन)
दिक्षित, श्री गो० ना० (इटावा)
दुबे, श्री राजाराम गिरधारीलाल (बीजापुर उत्तर)
दरै, श्री काशीनाथ (अरूप्पुकोट्टै)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री विजयभूषण (रायगढ़)
देवभंज, श्री पू० चं० (भुवनेश्वर)
देशमुख, डा० पंजाब राव शा० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० द० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजी शंकरराव (परभणी)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

दोराइ, श्री काशीनाथ (अरुप्पुकोट्टई)

ध

धर्मलिंगम, श्री र० (तिरुवन्नामलाई)

धवन, श्री (लखनऊ)

धूलेश्वर मीन, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (सबरकंठा)

नम्बियार, श्री आनन्द (तिरूचिरापल्लि)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नायर, श्री दे० जी० (पंचमहल)

नायक, श्री महेश्वर (मयूरगंज)

नायक, श्री मोहन (भजनगर)

नायडू, श्री ब० गोविन्दस्वामी (तिरुवल्लूर)

नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन (अम्बलपुजा)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नास्कर, श्री पू० शे० (मथुरापुर)

निगम, श्रीमती सावित्री (बांदा)

निरंजन लाल, श्री (नाम-निर्देशित—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह)

नेसामनी, श्री (नागरकोइल)

प

पंत, श्री कृष्णचन्द्र (नैनीताल)

पटनायक, श्री किशन (सम्बलपुर)

पटनायक, श्री वैष्णव चरण (ढेंकानाल)

पटेल, श्री छोटूभाई (भड़ौंच)

पटेल, श्री नानूभाई नि० (बुलसार)

पटेल, श्री पुष्पोत्तम दास र० (पाटन)

पटेल, श्री मानसिंह पु० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेवश्र (हाजीपुर)

पट्टाभिरामन, श्री चे० रा० (कुम्वकोणम्)

पन्नालाल, श्री (अकबरपुर)

प--क्रमशः

परमशिवन, श्री० स० क० (इरोड)

पराधी, श्री भोलाराम (बालाघाट)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाटा)

पाटिल, श्री जु० शं० (जलगांव)

पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)

पाटिल, श्री देवराम शिवराम (यवतमाल)

पाटिल, श्री मा० म० (रामटेक)

पाटिल, श्री बसन्तराव (चिकोड़ी)

पाटिल, श्री वि० तु० (कोल्हापुर)

पाटिल, श्री स० ब० (बीजापुर--दक्षिण)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई--दक्षिण)

पाण्डेय, श्री रा० शि० (गुना)

पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (विसलेमपुर)

पाण्डेय, श्री सरजू (रसड़ा)

पाराशर, श्री (शिवपुरी)

पालीवाल, श्री टीकाराम (हिंडोन)

पिल्ले, श्री नटराज (त्रिवेन्द्रम)

पुरी, श्री दे० द० (कैथल)

पृथवीराज, श्री (दौसा)

पोट्टेकाट्ट, श्री (टेलीचेरी)

प्रताप सिंह, श्री (सरमूर)

प्रभाकर, श्री नवल (दिल्ली--करोलबाग)

फ

फिरोडिया, श्री मोतीलाल कुन्दनमल (अहमदनगर)

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बटेश्वर सिंह, श्री (गिरडीह)

बड़कटकी, श्रीमती रेणुका देवी (बारपेटा)

बड़े, श्री रामचन्द्र (खरगोन)

बदरुद्दजा, श्री (मुर्शिदाबाद)

बनर्जी, डा० रा० (बांकुरा)

बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्लचन्द्र (शिवसागर).

फ--क्रमशः

बरुआ, श्री राजेन्द्र नाथ (जोरहाट)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री प० चं० (कूच-बिहार)

बसन्त कुमारी, श्रीमती (कैसरगंज)

बसवन्त, सोनुभाई दागडू (थाना)

बसुमतारी, श्री ध० (ग्वालपाड़ा)

बावलीवाल, श्री (दुर्ग)

ब

बागड़ी, श्री मनीराम (हिसार)

बाबू नाथ सिंह, श्री (सरगुजा)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)

बालकृष्ण सिंह, श्री (चन्दौसी)

बालकृष्णन, श्री (कोइलपट्टी)

बाल्मीकी, श्री क० ला० (खुर्जा)

बासप्पा, श्री (तिपतुर)

बिष्ट, श्री जं० ब० सिंह (अलमोड़ा)

बीरेन दत्त, श्री (त्रिपुरा-पश्चिम)

बूटा सिंह, श्री (मोगा)

बृजवासी लाल, श्री (फैजाबाद)

बृजराज सिंह, श्री (बरेली)

बेजराज सिंह--कोटा, श्री (झालावाड़)

बेसरा, श्री स० चं० (दुमका)

बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित--आंग्ल-भारतीय)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्मप्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मीनारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री बलीराम (शाहाबाद)

भगवती, श्री वि० चं० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मणराव श्रवनजी (खामगांव)

भ---क्रमशः

भट्टाचार्य (श्री च० का० (रायगंज)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सेरामपुर)
भवानी, श्री लखमू (बस्तर)
भानुप्रकाश सिंह, श्री (रायगढ़)
भार्गव, पंडित मुं० वि० ला० (अजमेर)
भील, श्री प० ह० (दोहद)

म

मण्डल, श्री जियालाल (खगरिया)
मण्डल, डा० प० (विष्णुपुर)
मण्डल, श्री यमुना प्रसाद (जयनगर)
मंत्री, श्री द्वारका दास (भीर)
मच्छराजू, श्री प० (नरसीपटनम)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)
मणियंगाडन, श्री (कोट्टयम)
मेनन, श्री (दार्जिलिंग)
मनोहरन, श्री (मद्रास-दक्षिण)
मरंडी, श्री ईश्वर (राजमहल)
मरुथैया, श्री (मेलर)
मलाइछामी, श्री (पेरियाकुलम)
मलिक, श्री रामचन्द्र (जाजपुर)
मल्लया, श्री उ० श्री० (उदोपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीतलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रू० (राजकोट)
मसूरिया, दीन, श्री (चैल)
महताब, श्री हरे कृष्ण (अंगुल)
महतो, श्री भंजहरि (पुरुलिया)
महन्ती, श्री गोकुलानन्द (बालासोर)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेव प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महानन्द, श्री ऋषिकेश (बोलनगीर)
महिषि, डा० सरोजिनी (धारवाड़---उत्तर)

म--क्रमशः

महीड़ा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माते, श्री कुरे (टीकमगढ़)
माथुर, श्री शिवचरण (भीलवाड़ा)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (जालोर)
मालवीय, श्री के० दे० (बस्ती)
मिनीमाता, श्रीमती आगमदास गुरु (बालोदा बाजार)
मिर्जा, श्री बाकर अली (वारंगल)
मिश्र, डा० उदयकर (जमशेदपुर)
मिश्र, श्री विभुधेन्द्र (पुरी)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगुसराय)
मिश्र, श्री महेश दत्त (खंडवा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामधर (मिरजापुर)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुकर्जी, श्री ही० ना० (कलकत्ता--मध्य)
मुकाने, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव (भिवाण्डि)
मुज्जफ्फर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
मुथिया, श्री (तिरुनेलवली)
मुन्जनी, श्री डविड (लोहरदगा)
मूरमू, श्री सरकार (बलरघाट)
मुरली मनोहर, श्री (बलिया)
मुरारका, श्री (झुंझनू)
मुसाफिर, श्री गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (मंजेरी)
मुहम्मद, युसूफ, श्री (सीवन)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)
मूर्ति, श्री ब० सू० (अमालपुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्ली)
मेनन, श्री कृष्ण (बम्बई--उत्तर)
मेनन, श्री प० गो० (मकुन्दपुरम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री ज० रा० (पाली)

म---क्रमशः

मेहता, श्री जसवन्त (भावनगर)
मेहदी, श्री स० अ० (रामपुर)
मेहरोत्रा, श्री ब्र० वि० (बिल्हौर)
मेंगी, श्री गोपालदत्त (जम्मू तथा काश्मीर)
मैमूना सुल्तान, श्रीमती (भोपाल)
मोरे, डा० कृ० ल० (हतकंगले)
मोरे, श्री शं० शा० (पूना)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, श्री (धारावाड़---दक्षिण)
मौर्य, श्री बु० प्रि० (अलीगढ़)

य

यशपाल सिंह, श्री (कैराना)
याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री भीष्म प्रसाद (केसरिया)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यादव, श्री राम हरख (आजमगढ़)

र

रंगा, श्री (चित्तूर)
रंगराव, श्री र० व० गो० कु० (चीपुरुपल्लि)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुरमैया, श्री को० (गूंटूर)
रणंजय सिंह, श्री (मुसाफिरखाना)
रणजीत सिंह, श्री (संगरूर)
रतन लाल, श्री (बंसवारा)
रांउत, श्री भोला (बतिया)
राघवन, श्री अ० व० (बडागरा)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजा, चित्तरंजन (जूनागढ़)
राजाराम, श्री (कृष्णगिरि)

स--क्रमशः

राजू, श्री द० बलराम (नरसापुर)
राजू, डा० द० स० (राजामंडी)
राज्यलक्ष्मी, श्रीमती ललिता (औरंगाबाद)
राणे, श्री शिवरामरंगो (बुलडाना)
राम, श्री तु० (सोनबरसा)
रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (कोयम्बटूर)
रामधनीदास, श्री (नवादा)
राम नाथन चेट्टियार, श्री (करूर)
रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलवर्गा)
रामभद्रन, श्री (कडलूर)
राम सिंह, श्री (बहराइच)
राम सुभग सिंह, डा० (विक्रमगंज)
रामसेवक, श्री (जालोन)
रामस्वरूप, श्री (राबर्ट्सगंज)
रामस्वामी, श्री व० क० (नामक्कल)
रामस्वामी, श्री सें० वें० (सलेम)
रामेश्वरानन्द, श्री (करनाल)
राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (दमोह)
राय, डा० सारादीश (कटवा) :
राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री स० वा० कृष्णमूर्ति (शिमोगा)
राव, श्री जगन्नाथ (नौरंगपुर)
राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (महबूबनगर)
राव, श्री रमापति (करीमनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, श्री ज० रामेश्वर (गढ़वाल)
राव, श्री हनुमन्त (मेदक)
रावनदले, श्री (धूलिया)

रेड्डियार, श्री वेंकट सुब्बा (तिन्डीवनम्)
रेड्डी, श्री ये० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री क० च० (चिकबल्लापुर)
रेड्डी, श्री नरसिम्हा (राजकोट)
रेड्डी, श्री ग० नारायण (आदिलाबाद)
रेड्डी, डा० बे० गोपाल (काबलि)
रेड्डी, श्री यलमन्दा (मारकापुर)
रेड्डी, श्रीमती यशोदा (करनूल)
रेड्डी, श्री र० ना० (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री रामकृष्ण (हिन्दपुर)

ल

लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्भम)
लक्ष्मी दास, श्री (मिरयालगुडा)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती संगम (विकाराबाद)
ललित सेन, श्री (मण्डी)
लहरी सिंह, श्री (रोहतक)
लाखन दास, चौधरी (शाहजहांपुर)
लास्मर, श्री निहार रंजन (करीमगंज)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)
लोहिया, डा० राम मनोहर (फरुखाबाद)

व

बर्मा, श्री कुं० कृ० (सुल्तानपुर)
बर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
बर्मा, श्री मा० ला० (चित्तौड़गढ़)
बर्मा, श्री रवीन्द्र (तिरुवल्ला)
बर्मा, श्री सूरजमल (सीतापुर)
वाडीवा, श्री (स्योनी)
वारियर, श्री कृ० क० (त्रिचूर)
वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदु (नानदरबार)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (गोंडिया)
विजय आनन्द, श्री (विशाखापटनम)

व—क्रमशः

विजय राजे, श्रीमती (छतरा)
विद्यालंकार, श्री अमर नाथ (होशियारपुर)
विमला देवी, श्रीमती (एलुरू)
विश्राम प्रसाद, श्री (लालगंज)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वीरबासप्पा, श्री (चित्रदुर्ग)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)
वेंकटा सुब्बय्या, श्री पेंदेकान्ति (अडोनी)
वेंकैया, श्री कोल्ला (तेनालि)
वैश्य, श्री मूलदास भूधरदास, (साबरमती)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, श्री अ० प० (बक्सर)
शर्मा, श्री कृ० चं० (सरधना)
शर्मा, श्री दीवान चन्द (गुरदासपुर)
शशांक मंजरी, श्रीमती (पालामऊ)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शामनाथ, श्री (दिल्ली-चांदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामानन्द (रामसंचीघाट)
शास्त्री, श्री लालबहादुर (इलाहाबाद)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शाह, श्री मनुभाई (जामनगर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शिकरे, श्री (मरमागोआ)
शिन्दे, श्री अन्ना साहेब (कोपरगांव)
शिवनंजप्पा, श्री (मुड्या)
शिव नारायण, श्री (बांसी)

श—क्रमशः

शिव प्रधासन, श्री (पांडीचेरी)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपेरुमबुदूर)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमन्द)
श्यामकुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर)
श्रीनारायण दास, (श्री दरभंगा)
श्रीनिवासन , डा० (मद्रास उत्तर)

स

सत्यनारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम)
सत्य भामा देवी, श्रीमती (जहानाबाद)
सनजी रूपजी, श्री (नामनिर्देशित—दादरा तथा नगर हवेली)
समनानी, श्री (जम्मू तथा काश्मीर)
सर्राफ, श्री श्यामलाल (जम्मू तथा काश्मीर)
सहगल, श्री अ० सिं० (जंजगीर)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री स० चं० (तामलक)
साहा, डा० शिशिर कुमार (बीरभूम)
साहू, डा० रामेश्वर (रोसेरा)
सिंघवी, डा० लक्ष्मी मल्ल (जोधपुर)
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे (ग्वालियर)
सिंह, श्री अजित प्रताप (प्रतापगढ़)
सिंह, श्री कृ० का० (महाराजगंज)
सिंह, श्री गोविन्द कुमार (मिदनापुर)
सिंह, श्री जय बहादुर (घोसी)
सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (मुजफ्फरपुर)
सिंह, डा० ब० ना० (हजारीबाग)
सिंह, श्री युवराजदत्त (शाहाबाद)
सिंह, श्री य० ना० (सुन्दरगढ़)
सिंह, श्री राम शेखर प्रसाद (छप्परा)
सिंह, श्री स० टी० (आन्तरिक मनीपुर)
सिंह, श्री सत्य नारायण (समस्तीपुर)
सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)
सिद्धय्या, श्री (चामराजनगर)

स—क्रमशः

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)
सिद्धान्ती, श्री जगदेव सिंह (झज्जर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सिन्हा, श्रीमती राजदुलारी (पटना)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्बारामन, श्री (मदुरै)
सुब्रह्मण्यम, श्री चि० (पोल्लाची)
सुब्रह्मण्यम, श्री टेंकुर (बेल्लारी)
सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फर नगर)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्य प्रसाद, श्री (भिंड)
सेझियान, श्री ईरा (पैरम्बलूर)
सेठ, श्री बिशनचन्द्र (एटा)
सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम)
सेन, श्री फणिगोपाल (पूर्निया)
सेन, डा० रानेन (कलकत्ता-पूर्व)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोय, श्री हरिचरण (सिंहभूम)
सोलंकी, श्री प्रवीणसिंह, नटवरसिंह (कैरा)
सौंदरम रामचन्द्रन, श्रीमती (डिंडिगल)
स्वर्णसिंह, श्री (जलन्धर)
स्वामी, श्री मड्लावेंकट (मसुलीपटनम)
स्वामी, श्री म० ना० (ओंगोल)
स्वामी, श्री म० प० (टंकासी)
स्वामी, श्री शिवमूर्ति (कोप्पल)
स्वैल, श्री ज० गिं० (आसाम-स्वायतशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (झाड़ग्राम)
हक, श्री मु० मो० (अकोला)
हजरनवीस, श्री रं० म० (भंडारा)

ह—क्रमशः

हजारिका, श्री जो० ना० (डिब्रूगढ़)
हनुमन्तैया, श्री (बंगलौर नगर)
हरवानी. श्री अन्सार (बिसौली)
हिम्मतसिंहका, श्री प्रभुदयाल (गोंडा)
हिम्मतसिंहका, श्री (कच्छ)
हुक्म सिंह, सरदार (पटियाला)
हेडा, श्री (निजामाबाद)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

सरदार हुकम सिंह

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णमूर्ति राव

सभापति तालिका

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री तिरुमल राव

श्री खाडिलकर

डा० सरोजिनी महिषी

श्री सोनावने

सचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री —श्री लाल बहादुर शास्त्री
गृह-कार्य मंत्री—श्री गुलज़ारी लाल नन्दा
वित्त मंत्री—श्री ति० त० कृष्णमाचारी
सूचना और प्रसारण मंत्री—श्रीमती इंदिरा गांधी
वैदेशिक कार्य मंत्री —श्री स्वर्ण सिंह
रेलवे मंत्री—श्री स० का० पाटिल
विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री —श्री अ० कु० सेन
प्रतिरक्षा मंत्री—श्री यशवन्तराव चह्वाण
इस्पात और खान मंत्री—श्री संजीव रेड्डी
खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री चि० सुब्रह्मण्यम
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री—श्री हुमायून् कबिर
संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह
शिक्षा मंत्री—श्री मु० क० चागला
श्रम और रोजगार मंत्री—श्री संजीवय्या
पुनर्वास मंत्री—श्री महावीर त्यागी

राज्य-मंत्री

निर्माण और आवास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना
वाणिज्य मंत्री—श्री मनुभाई शाह
असैनिक उड्डयन मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो
परिवहन मंत्री—श्री राज बहादुर
सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सु० कु० डे
स्वास्थ्य मंत्री—डा० सुशीला नायर
गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री जयसुखलाल हाथी
वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में संभरण तथा प्रविधिक विकास मंत्री—श्री रघुरामैया
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री अलगेशन
रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री—डा० राम सुभग सिंह
शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री—श्री हजरनवीस
सिंचाई और विद्युत् मंत्री—डा० कु० ल० राव
योजना मंत्री—श्री ब० रा० भगत
प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री—श्री अ० म० थामस
उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग तथा उद्योग मंत्री—श्री त्रि० ना० सिंह

उपमंत्री

पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री—डा० म० मो० दास

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री— श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दा० रा० चह्वाण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री— श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

सामजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री—श्रीमती चन्द्रशेखर

विधि मंत्रालय में उपमंत्री—श्री जगन्नाथ राव

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री—श्री शाम नाथ

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—डा० द० स० राजू

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री दिनेश सिंह

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री—श्री विभुधेन्द्र मिश्र

संचार विभाग में उपमंत्री—श्री भगवती

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री—श्री श्यामधर मिश्र

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री—श्री प्रकाशचन्द्र सेठी

श्रम और रोज़गार मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—श्री भक्त दर्शन

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री—श्री पू० श० नास्कर

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री—श्री रामेश्वर साहू

सभा-सचिव

खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव—श्री शिन्दे

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री डा० एरिंग

सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा सचिव —श्री सै० अ० मेहदी

प्रधान मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित सेन

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री स० चु० जमीर

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव—श्री तिम्मय्या ।

तृतीय माला, खंड 35, अंक 7 मंगलवार, 24 नवम्बर 1964/3 अग्रहायण 1886 (शक)
Third Series, Vol. XXXV No. 7 Tuesday Nov. 24, 1964/Agrahayana 3, 1886 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

(दसवां सत्र / Tenth Session)

[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol: XXXV. contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI.

मुल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 24 नवम्बर, 1964 / 3 अग्रहायण, 1886 (शक)

Tuesday, November 24, 1964/Agrahayana 3, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 163 ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रश्न संख्या 181 को भी इस प्रश्न के साथ ही लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय मंत्री के लिये यह सुविधाजनक है तथा वह समझते हैं कि दोनों प्रश्नों को इकट्ठा लिया जा सकता है तो वह दोनों का एक साथ उत्तर दे सकते हैं ।

निर्वाचन व्यय

\+

*163. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती ।
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य विधान मंडलों तथा लोक-सभा के निर्वाचनों के लिए जमानत (सिक्योरिटी) जमा करने के बारे में वर्तमान नियमों तथा विनियमनों के कारण एक गरीब आदमी के लिये चुनाव लड़ना बड़ा कठिन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जमानत की इस रकम को कम करने की तथा चुनावों को प्रत्येक नागरिक के लड़ने योग्य बनाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ब्रिटेन में सामान्य निर्वाचन

*181. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग का एक चार-सदस्यीय मण्डल सितम्बर, 1964 के अन्त में ब्रिटेन में पिछले सामान्य निर्वाचनों में निर्वाचन व्यवस्था और दल-संगठन और प्रचार कार्य का अध्ययन करने के लिये ब्रिटेन गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मण्डल को क्या नयी बातें पता लगी हैं जिनसे इस देश में लाभ उठाया जा सकता है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) और (ख). मुख्य निर्वाचन आयुक्त और तीन अन्य निर्वाचन पदाधिकारी ब्रिटेन की सरकार के निमंत्रण पर पिछले महीने वहां के साधारण निर्वाचन देखने के लिए वहां गये । इसका आशय अध्ययन यात्रा नहीं था और न उनसे यही आशा की गई थी कि वे अपनी यात्रा के सम्बन्ध में भारत सरकार को रिपोर्ट दें ।

Shri Bibhuti Mishra : The reply to my question was "No". I want to know whether the Government have ascertained as to how many landless persons have been elected to Parliament ?

श्री जगन्नाथ राव : संसद् में निर्वाचित हो कर आने वाले भूमिहीन व्यक्तियों के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, my question has not been answered. I meant that the poor cannot afford the expenses of election for Parliament. Therefore the Government should reduce such expenses as well as the amount of security. I have not received an answer to that end.

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen) : Different opinions can be expressed on that issue. Also it is not in our knowledge where one could not be elected as Member of Parliament on account of expenses.

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हाल ही में हुए ब्रिटेन के निर्वाचन से हमारे प्रतिनिधि मण्डल को जो अनुभव हुआ है क्या उस से हमें यह पता चल सकता है कि वहां पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार निर्धारित सीमा से कम व्यय करने का प्रयत्न करते हैं अथवा उस देश में भी यहां की भांति निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने की प्रवृत्ति विद्यमान है ?

श्री अ० कु० सेन : मेरे विचार से ऐसी बात नहीं है कि यह देखने के लिए कि व्यय की सीमा को हम कहां तक लागू कर सकते हैं हमें दूसरे देशों के अनुभव का आश्रय लेना पड़ता है ।

श्री अन्सार हरवानी : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि निर्वाचन में भारी व्यय करने के कारण बहुत से संसत्सदस्य ऋणग्रस्त हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : वेतन वृद्धि के बाद से नहीं ।

श्री अ० कु० सेन : सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में लाई गई है कि वास्तव में बहुत से संसत्सदस्यों को चुनाव में व्यय तो अधिक करना पड़ता है परन्तु जब वे उस के लिये विवरण प्रस्तुत करते हैं तो दुर्भाग्यवश उन को झूठी शपथ लेनी पड़ती है ?

श्री जगन्नाथ राव : प्रत्येक उम्मीदवार को इतना तो ज्ञान होना ही चाहिये कि अधिक से अधिक वह कितना व्यय कर सकता है । यह जानते हुए भी यदि वह उस से अधिक व्यय करे तथा झूठे विवरण प्रस्तुत करे तो उस में सरकार क्या कर सकती है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : दूसरे मदों के अन्तर्गत आने वाले चुनाव व्यय को कम करने के बारे में क्या चुनाव आयोग ने भी जांच की है ? यदि हां, तो इस बारे में उनके पास कौन से ठोस सुझाव हैं ?

श्री अ० कु० सेन : संसद् में भी इस बारे में कई बार चर्चा हुई है, तथा सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक कानून भी बनाया गया है और आशा है कि उस का पालन भी किया जायेगा ।

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that the election expenses exceed the prescribed limit and that their true account is not submitted ? If so, whether Government consider it necessary to do away with the rules for giving election expenses ?

Shri A. K. Sen : It is expected that unlawful expenditure will not be done.

श्री भागवत झा आजाद : ऐसा कुछ उम्मीदवार कर सकते हैं न कि सभी ।

Shri Sidheshwar Prasad : Many a times the Law Minister bas stated in this house that Government want to improve the election laws and the restriction for maximum limit of expenses in elections will also be removed. Has Government arrived at any decision in this regard ? If so, what is that decision and when necessary changes will take place ?

Shri A. K. Sen : I feel this cannot be settled by law.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान मुख्य चुनाव आयुक्त के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने ब्रिटेन की यात्रा करने के पश्चात् वहां पर हुए चुनावों को देखते हुए दिया था और जिस में यह कहा गया है कि भारत में चुनावों पर न्यूनतम व्यय किया जाता है ? परन्तु क्या माननीय मंत्री इस बात से अवगत हैं कि यहां पर चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को या तो धन मांगना पड़ता है या उधार लेना पड़ता है अथवा चोरी करनी पड़ती है, और यदि यह ठीक है तो इस को रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

एक माननीय सदस्य : चोरी भी करनी पड़ती है ।

श्री स० मो० बनर्जी : 'चोरी' शब्द के प्रयोग से मेरा अभिप्राय कुछ और था ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रचार कार्य पर चुनाव व्यय कम करने के लिए कौन से क्रियात्मक उपाय अपनाये गये हैं ।

श्री जगन्नाथ राव : यह सब कुछ उम्मीदवार पर निर्भर करता है। जब कोई उम्मीदवार कानून की दृष्टि से व्यय पर अधिकतम सीमा का ज्ञान होते हुए भी उस सीमा से अधिक व्यय करता है तो उस में सरकार क्या कर सकती है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Have Government ascertained as to how many such candidates who were supported and helped with election expenses by the top industrialists and also those who are millionaires have been elected to Parliament ?

Mr. Speaker : What type of question it is ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : It is a question of great importance and the hon. Minister is prepared to reply.

Mr. Speaker: I don't mean to say that it is not an important question. Also it is good if the Hon. Minister is prepared to reply. But does he know as to which Members represent millionaires ?

श्री अ० कु० सेन : यह चुनाव आयोग का काम नहीं है ।

Shri Bade : It is fact that tribals and Harijans of my constituency find it difficult to bear election expenses and as a result thereof their elections are set aside. I, therfore, feel that some help should be given to them in this connection. Is it under the consideration of Government ?

Mr. Speaker : They must get it. I support you.

श्री कपूर सिंह : क्या यह बात सरकार के ध्यान में है कि इस देश में 10 प्रतिशत साधारण नागरिक—चाहे वे अमीर हों अथवा गरीब—कांग्रेस अथवा किसी ऐसे अन्य बड़े दल की सहायता के बिना चुनाव में व्यय करने में असमर्थ होते हैं ? यदि हां, तो सरकार ऐसे कौन से कदम उठा रही है जिससे कि साधारण नागरिक चुनाव लड़ सकें ?

श्री जगन्नाथ राव : समाज के दरिद्रों, अनुसूचित आदिम जाति अथवा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए जमानत की राशि दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में आधा होती है। इस हद तक सरकार ने रियायत दी है। जहां तक व्यय करने का सम्बन्ध है, सरकार कोई आश्वासन नहीं दे सकती ।

श्री जयपाल सिंह : चुनाव पर किये जाने वाले व्यय का लेखा बताने के लिए राजनीतिक दल कानूनी रूप से बाध्य नहीं होते हैं। क्या सरकार को पता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने कितना व्यय किया है ?

श्री जगन्नाथ राव : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अ० कु० सेन : कुछ दलों ने दूसरे दलों की तुलना में अधिक व्यय किया है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : Persons like the late Dr. Rajendra Prasad, ex-President of India, top leaders and the law Minister himself have expressed their opinion that elections of today are becoming a costly affair. Why, instead of contemplating the ways for reducing the election expenses, the Minister is harping upon that elections are not becoming costly. What circumstances are forcing him to say so ?

श्री जगन्नाथ राव : इस के लिये सरकार को कोई कार्यवाही नहीं करनी है । इस पर तो राजनीतिक दलों को निर्णय लेना चाहिये कि वे विशेष सीमा से अधिक व्यय न करें ।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मंत्री को प्रश्नोत्तर देने से पहले उसे समझ लेना चाहिये । उनको मन माने ढंग से ही उत्तर नहीं दे देना चाहिये । अब आप श्री सेन को उत्तर देने दें ।

श्री जगन्नाथ राव : मैं ने प्रश्न को समझ कर ही उत्तर दिया था ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं ने यह कहा था कि भूतपूर्व डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा अन्य नेताओं ने स्पष्ट तौर से कहा है कि चुनाव महंगे होते जा रहे हैं । अब दूसरे नेताओं के साथ श्री सेन ने स्वयं भी ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं । बजाय उस का हल निकालने के मंत्री महोदय ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चुनाव महंगे नहीं हुए हैं?

श्री अ० कु० सेन : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को ऐसी धारणा हो गई है कि उन के प्रश्न को टालने का प्रयत्न किया गया था । परन्तु मेरे साथी महोदय का इस से यह अभिप्राय था कि इस विषय पर बहुत देर से आन्दोलन हो रहा है । इस पर सदन में भी कई बार चर्चा हो चुकी है तथा सरकार ने भी कई बार विचार किया है तथा अब भी कर रही है । लेकिन पहले भी जैसे मैं कई बार कह चुका हूं , ऐसा कहना कठिन है कि केवल कानून में परिवर्तन करने से ही सब कार्य ऐसे सिद्ध हो जायेंगे जैसे कि माननीय सदस्य चाहते हैं ।

मेरे साथी ने अपने वक्तव्य में ठीक ही कहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को एक ऐसी प्रथा अपनानी चाहिये जिस का कड़ाई से वे पालन भी करें तथा जिस से चुनाव के समय धन के प्रयोग द्वारा एक दूसरे का मुकाबला न किया जाय । यदि वे ऐसी प्रथा अपना लेते हैं तथा उस का पालन करते हैं तो मेरे विचार से यह ही इस कठिनाई का हल है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय तथा उपमंत्री महोदय का ऐसा विचार है कि चुनाव के व्यय को कम करने के लिये उपाय सोचने की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है ।

श्री अ० कु० सेन : जी, नहीं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : फ्रान्स जैसे अन्य देशों में, जहां उम्मीदवारों के व्यय का अधिकांश भाग सरकार ही सहन करती है, क्या हो रहा है यह जानने के लिये सरकार ने इस विषय पर कोई अध्ययन किया है ? वहां पर तो ऐसे सभी उम्मीदवारों को जो निश्चित प्रतिशत से अधिक मत ग्रहण करते हैं चुनाव के पश्चात् ऐसा सारा खर्च दिया जाता है । जो उन्होंने चुनाव में किया होता है । इस के अलावा सरकार उनको प्रचार कार्य के लिये सामग्री भी देती है । तो फिर क्या यहां पर भी इन पहलुओं पर तथा इस विषय पर राजनीतिक दलों द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार ने कोई विचार किया है ? यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री अ० कु० सेन : चुनाव आयोग के दोनों प्रतिवेदनों में ही इसका उल्लेख है तथा दोनों से ही ऐसा प्रतीत होता है कि केवल व्यय की सीमा निर्धारित कर देने से ही काम नहीं चलता है ।

यह भी सच है कि हम ने अन्य देशों के बारे में भी अध्ययन किया था तथा हमें पता चला है कि चुनाव पर भारत की तुलना में ब्रिटेन तथा अमरीका जैसे देशों में व्यय अधिक होता है । जहां तक उस व्यय को सरकार द्वारा वापस देने का सम्बन्ध है, हम ने इस पर कभी विचार नहीं किया है , और मेरे विचार से ऐसा विचार करना भी नामुमकिन है . . .

श्री स० मो० बनर्जी : आप भी सफल उम्मीदवारों को उन के द्वारा किया गया व्यय क्यों नहीं लौटा देते हैं ?

श्री अ० कु० सेन : . . . क्योंकि हमें चुनाव में किये गये व्यय को लौटाने की तुलना में और अधिक महत्व के विषयों पर गौर करना होता है ।

दूसरे कई अवसरों पर राजनीतिक दलों को मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ भेंट हुई है और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विषय पर चुनाव आयोग को उन्होंने अभी तक कोई ठोस सुझाव पेश नहीं किये हैं ? यदि वे सुझाव पेश करें तो निस्संदेह सरकार उस पर गम्भीरता से विचार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मैं इस प्रश्न पर माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप अगली बार प्रयत्न करें ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : मै प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : बहुतों को प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिला है ।

पत्तनों पर माल उतारने की सुविधाएं

+

*164. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 22 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 333 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले दो या तीन महीनों में आयात किये जाने वाले अनाज को उतारने के लिये पत्तनों पर माल उतारने की सुविधाएं अभी तक पर्याप्त नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में स्थिति सुधारने के लिये क्या तत्काल कदम उठाये जायेंगे ताकि पत्तनों पर अनाज से लदे जहाज पिछले कुछ मासों की तरह अनावश्यक रूप से रुके न रहें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) : यह सत्य नहीं है कि आयात किए जा रहे अनाज को बन्दरगाहों पर उतारने की सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।

(ख) तथापि, सरकार का यह विचार था कि जहाजों से अनाज उतारने की गति को तेज करना सम्भव था ताकि जहाजों के फेरे अधिक शीघ्रता से हो सकें। पूर्ण जांच के पश्चात् विदेशों से कई अनाज उतारने वाले यन्त्र खरीदने के लिए कदम उठाये गये हैं। इसके साथ ही साथ ढेर में अनाज उतारने के लिए, कुछ बड़ी बन्दरगाहों पर कुछ बर्थ (घाट) स्थायी रूप से निश्चित कर दिए गए हैं और इन शैडों में कुछ तबदीलियां की जा रही हैं। ऐसा विचार है कि सारे यन्त्र जो विदेशों से मंगवाए जा रहे हैं, वे जनवरी, 1965 के मध्य तक आ जाएंगे और उस समय तक इन शैडों में अपेक्षित तबदीलियां भी हो चुकी होंगी।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि इस मंत्रालय ने गत जून में स्विटज़रलैंड से अनाज को चढ़ाने तथा उतारने वाले कुछ खास यंत्रों का आयात करने का निश्चय किया था, किन्तु उन यंत्रों का आयात करने के लिये सितम्बर के अन्त तक कोई आदेश नहीं दिया गया ? आदेश देने में जो अनावश्यक विलम्ब हुआ उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : अभी यंत्रों की उपयुक्तता के विषय में अन्तिम रूप से निश्चय करना है और इसके लिये हमें आवश्यक विदेशी मुद्रा की भी व्यवस्था करनी है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि एक अमरीकी समुद्री-विशेषज्ञ दल ने हाल में ही एक प्रतिवेदन दिया है जिस में हमारे पत्तनों के कार्य-संचालन सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये कुछ अल्प कालिक सुझाव दिये गये हैं ? क्या उन सिफारिशों में केवल प्रशासनिक सुधार करने पर अधिक जोर दिया गया है अथवा उन में हमारे पत्तनों के यंत्रों तथा उपकरणों में वृद्धि करने के लिये भी सुझाव दिये गये हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हां, कुछ सीमा तक उन्होंने यंत्रों को बढ़ाने के लिये भी सिफारिश की है। उस पर विचार भी किया जा चुका है, और हम ने यंत्रों के लिये आदेश भी दे दिये हैं। मुख्य उत्तर में यह कहा गया है कि ये यंत्र जनवरी के मध्य तक उपलब्ध हो जायेंगे ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या सरकार करवार तथा गोआ जैसे बड़े पत्तनों के अतिरिक्त, अन्य पत्तनों का जिन में नावों आदि की सहायता से अनाज उतारा जा सकता है के उपयोग करने की संभावना के बारे में विचार कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है, कठिनाई इस बात की है कि इसे बड़े तेल-वाहक जहाजों में आयात किया जाता है और ये जहाज केवल बड़े पत्तनों में ही ठहर सकते हैं, जहां तक चावल का सम्बन्ध, इसे छोटे जहाजों में भी लाया जा सकता है और उन्हें विभिन्न पत्तनों को भी भेजा जा सकता है ।

Shri Yashpal Singh : Has the American experts expressed concern that the work which should take one day is being disposed of in twelve days ?

Have Government thought over this matter and propose to get this work done departmentally rather than on contract basis and also should set up a new Department for the purpose ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरी समझ से यह कहना सही नहीं है कि जो कार्य एक दिन में होना चाहिये उसमें बारह दिन लगाये जाते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे देश में अन्य देशों की तुलना में कुछ अधिक समय लगता है । क्योंकि वहां यह कार्य पूर्णतया यंत्रों की सहायता से किया जाता है । यदि हमारे देश में यंत्रीकरण किया जाता है तो श्रमिकों को काम से हटाना पड़ेगा, जिसके लिये विरोध किया जाता है, किन्तु किसी सीमा तक यंत्रीकरण करना ही पड़ेगा और जिस सीमा तक सम्भव है हम ऐसा कर रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : चूंकि खाद्य वस्तुओं का उतारा जाना एक महत्वपूर्ण बात है, और इस कार्य में विलम्ब होने से कभी-कभी लोगों के लिये बहुत कठिनाई पैदा हो जाती है, अतः क्या सरकार किसी अध्यादेश को जारी करने का विचार कर रही है जिससे कि उन विरोधी तत्वों को दबाया जा सके जो विशेषतः अनाज उतारने वाले श्रमिकों से हड़ताल करवाते हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरे विचार में अध्यादेशों द्वारा इसका सामना नहीं किया जा सकता । यह काम शिक्षा दे कर और लोगों को यह बता कर किया जा सकता है कि वे ऐसे कार्य करके समाज को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। और न ही इसके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : यदि हमारे सभी पत्तनों में आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था की जाय तो कुल कितना व्यय होगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मेरी समझ से यह प्रश्न मेरे माननीय मित्र से पूछा जाय।

Shri K.N. Tewary : May I know whether it is a fact that there is still an unloading capacity of 1500 tons a day which could be raised to three or four thousand tons per day if machinery is installed there, but this work is not being done quickly because of resistance being put forth by Labour unions which creates difficulties in this regard ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मशीनों से माल उतारने का आमतौर से विरोध किया जाता है, क्योंकि श्रमिकों को भय है कि वे इस से बेकार हो जायेंगे। हमें वर्तमान परिस्थिति का सामना करना है । जो लोग पहिले से नौकरी में हैं, उन्हें हम बेकार नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि मशीनें लगा दी जायें जिससे कि अधिक खाद्यन्न उतारा जा सके ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सरकार को 5 मई से 5 जून, 1964 तक बम्बई पहुंचने वाले अनाज से लदे हुए बारह जहाजों के ठहरने के लिये 50,000 रुपये प्रतिकर के रूप में देना पड़ा ; यदि हां, तो कर-दाताओं के धन का इस प्रकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह सच है कि इस अवधि में हमें विलम्ब शुल्क देना पड़ा, किन्तु किस आंकड़े कहां तक सच है यह मझे पक्का पता नहीं है । माननीय परिवहन मंत्री इस

राशि को बता सकते हैं। श्रमिकों ने उस अवधि में धीरे-धीरे काम करने का रवैया अपनाया हुआ था और वह देश की खाद्य स्थिति को बिगाड़ने में एक अंशदायी कारण था।

Shri Onkar Lal Berwa : The Hon. Minister has just now stated that some machinery is being imported from America. I would like to know whether the persons to operate those machines will also be called for from America or our men are competent to handle them ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारे आदमी यह कार्य कर सकते हैं।

Shri Tulsi Das Jadhava : Mr. Speaker, Sir, this food problem has been there for a pretty long time but machinery and equipments have not so far been imported for the purpose. What are the reasons that Government have not so far made arrangements for all these things ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अब देश में ही अपेक्षित यन्त्रों का निर्माण करने का कार्यक्रम है और जब तक यह कार्य आवश्यक सीमा तक नहीं हो जाता, हमें विदेशों से ही उनका आयात करना पड़ेगा। ऐसा करने में कोई अनुचित बात नहीं है।

डेनियल वाल्काट का बच निकलना

+

*165. **श्री हेम बरुआ** :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 25 सितम्बर, 1963 को डेनियल वाल्काट द्वारा भारत से बच निकलने के बारे में जैन समिति के प्रतिवेदन की उपपत्तियों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : श्री एल० सी० जैन जिन्होंने श्री डेनियल एच० वाल्काट के सितम्बर, 26, 1963 को सफदरजंग हवाई अड्डे से बच निकलने के बारे में जांच की है, की रिपोर्ट में नोटिस में आए हुए अधिकारियों को अपने आचरण के बारे में सफाई देने के लिए कहा गया है और उन से यह बताने के लिए भी कहा गया है कि क्यों न उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

ऐसे मामलों में कार्यवाही करने के लिए कानून की शर्तों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1964 और भारतीय एयरक्राफ्ट नियम, 1937 को संशोधित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सरकार को श्री वाल्काट के प्रत्यर्पणहेतु अपना पक्ष अभी तक पर्याप्त रूप से तैयार करने में सफलता नहीं मिली ताकि उन पर तस्कर व्यापार एवं इस देश में अवैध रूप से आने के लिये मुकद्दमा चलाया जा सके, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री कानूनगो: प्रश्न इस बात का है कि प्रतिवेदन में जिन सम्बंधित पदाधिकारियों का उल्लेख है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाये। वह एक वृहत प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता।

श्री हेम बरुआ : इस प्रश्न के विषय में हमसे यह कहा गया था कि इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय: प्रत्यर्पण के लिये प्रयत्न किया गया था । प्रश्न 25 सितम्बर को श्री वाल्काट के बच निकलने संबंधी समिति के निष्कर्ष के बारे में है । अतः माननीय सदस्य का प्रश्न मुख्य प्रश्न के विषय के अनुरूप नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : प्रत्यर्पण भी इसी से सम्बंधित है ।

अध्यक्ष महोदय : वह कैसे बच निकले——इसी से अब हमारा मतलब है ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिवेदन में इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि एयर लाइन्स कारपोरेशन के एक उच्चपदाधिकारी ने, श्री वाल्काट के साथ भोजन तथा मद्यपान किया——यह बात सदन के समक्ष आयी है——और यदि यह सच है तो सरकार उस उच्च पदाधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं, प्रतिवेदन में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

श्री रा० गि० दुबे : समाचार पत्रों में इस प्रकार छपा है कि एक मिस्त्री ने जो वायुयान शाला में उपस्थित था, नियंत्रण अधिकारी को बताया था कि स्थायी आनुदेशों की अवहेलना करके जहाज में तेल डाला जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस मिस्त्री की निष्ठापूर्ण सेवाओं की किसी प्रकार सराहना की गयी है ?

श्री कानूनगो : हां, प्रतिवेदन पर कार्यवाही किये जाने के बाद उन दो आदमियों की दृष्टान्तिक सेवा को मान्यता दी जायेगी ।

Shrt Vishram Prasad : How many officers have been adversely reported in the Jain Committee Report, what are their grades and what action has been taken against them ?

Shri Kanungo : They have mentioned the names of two officers. One is the Aerodrome officer and the other is the Assistant Aerodrome officer.

Shri Shiv Narain : I would like to know the member of officers against whom this Jain Committee have adversely reported and the action taken against them ?

Mr. Speaker : He has already answered this question. The Hon. Member was thinking of the question only being unaware of the reply given by the Minister.

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा ख्याल है कि हाल ही में गृह मंत्री महोदय ने बताया था कि पदाधिकारियों का एक दल इगलड तथा अन्य स्थानों में श्री वाल्काट का पता लगाने के लिये भेजा गया है । क्या वे पदाधिकारी हमारे देश में वापिस आ गये हैं, यदि हां,तो उन्होंने क्या प्रतिवेदन दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं । अगला प्रश्न ।

पत्तनों पर माल का शीघ्र ढोया जाना

+

*166. श्री रा० गि० दुबे :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दे० द० पुरी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वैंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका बढ़कटकी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री फ० गो० सेन :
श्री राम सेवक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अमरीकी नौवहन विशेषज्ञ द्वारा पत्तनों पर माल के शीघ्र ढोने की सुविधाओं में सुधार करने के लिए क्या सिफारिशें की गयी हैं ; और

(ख) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारत सरकार को प्रस्तुत की गयी इंडियन पोर्ट फीसिलीटीज एण्ड कार्गो हैंडलिंग इम्प्रूवमेंट टीम—यू० एस० ए० आई० डी० की रिपोर्ट की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गयी हैं ।

(ख) दल की मुख्य सिफारिशें और सरकार द्वारा उन पर की गयी कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—३४२८ /६४ ।]**

श्री रा० गि० दूबे : विवरण में कहा गया है कि बम्बई में उपकरण लगाये जाने के बाद, माल उतारने की क्षमता 1500 टन प्रति दिन से बढ़कर 4000 टन हो जायेगी । क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य पत्तनों में, उदाहरणार्थ—कांडला, कलकत्ता तथा मद्रास में माल उतारने की क्षमता किस सीमा तक बढ़ जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : विवरण में कांडला के विषय में भी दिया हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : विवरण में जो अन्तर्विष्ट हैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह अन्तर्विष्ट है ।

श्री रा० गि० दुबे : जब तक माल ढोने की सुविधाओं में सुधार न हो जाये, क्या सरकार पारी पद्धति प्रारम्भ करने की संभावना पर विचार कर रही है ताकि दिन-रात माल उतारने का काम होता रहे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह पहिले से ही किया जा रहा है । बम्बई में हमने तीन पालियां चालू कर दी हैं और वहां पर अब दिन-रात माल उतारने का कार्य किया जा रहा है ।

Shri Yashpal Singh : Are Government in a position to state that at present how many landing berths are available with them and how many more landing berths are required for arranging quicker delivery of food grains and for immediate unloading of goods ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : यह प्रश्न परिवहन मंत्रालय से संबंधित है । जहां तक मेरा संबंध है, मैंने खाद्यान्नों के वर्तमान आयात की व्यवस्था के लिए परिवहन मंत्रालय से पर्याप्त सुविधायें प्राप्त कर ली हैं ।

श्री विभूति मिश्र : वक्तव्य में ऐसा कहा गया है कि —

"गोदी श्रम बोर्ड ने कलकत्ते के लिए प्रोत्साहन-योजना की घोषणा की है परन्तु इस संबंध में श्रमिकों की प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं है ।"

इस विषय में मैं यह जानना चाहता हूं कि श्रमिकों की वे कौन सी मांगें हैं जिनको गोदी श्रम बोर्ड स्वीकार नहीं कर रहा है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : जहां तक श्रमिकों का संबंध है उनकी कोई मांग नहीं है । कलकत्ता बन्दरगाह पर एक अनोखी पद्धति है कि वहां पर श्रमिक 16 घंटे दो पालियों में काम करते हैं और इन 16 घंटों में उनको जितना संभव होता है उतना माल उठाने का अधिकार होता है । जैसा कि श्रम विधि में भी उपबन्धित है हमारा विचार भी इस कार्य-काल को 8 घंटे तक के लिए सीमित करने का था जिससे कि वहां दो पालियां हो सकें । इसके लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं परन्तु फिर भी वे लोग इसी बात पर बल दे रहे हैं कि उन्हें 16 घंटे ही काम करने दिया जाए और वे मन्द गति से काम करें।

श्री रामनाथन चेट्टियार: इस प्रश्न का संबंध परिवहन मंत्रालय से है और खाद्य मंत्रालय से इसका बिल्कुल संबंध नहीं है । मैं नहीं समझता कि खाद्य मंत्री इस प्रश्न का उत्तर क्यों दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न माल के शीघ्र उतारने चढ़ाने के विषय में है न कि बन्दरगाहों के विषय में ।

श्री क० ना० तिवारी : पृष्ठ 4, पैरा 12, में यह कहा गया कि :—

"खाद्य विभाग द्वारा किए गए आरम्भिक यत्न असफल रहे ।"

इस असफलता के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या परिवहन मंत्री भी इस प्रश्न के संबंध में सहायता करेंगे ? वास्तव में यह एक मिला-जुला प्रश्न है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम् : वहां भी श्रम संबंधी कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो जहाजों से शीघ्र खाद्यान्न उतारने में अन्तर्बाधा डाल रही हैं । उससे मुक्त होने के लिए हम उनको मनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : वक्तव्य में कहा गया है कि —

"केन्द्रीय चार्टर समिति ने इस मामले पर विचार किया और विनिश्चित किया गया कि इस समय तो 1,500 टन प्रतिदिन माल उतारने की निर्धारित क्षमता को बढ़ाने के बजाए, फरवरी, 1965 से खाद्यान्नों को जहाजों से उतारने के कार्य का उत्तरदायित्व सरकार को अपने ऊपर ले लेना चाहिए।"

मैं यह जानना चाहूंगी कि इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है और क्या 4000 टन माल प्रतिदिन उतारा जा रहा है या नहीं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नहीं, श्रीमन्। 4,000 टन माल तब उतारा जा सकेगा जब हम सब उपकरण प्राप्त कर लेंगे और जब हम सिफारिश किए गए सब सुधारों को पूरा कर लेंगे। परन्तु इसमें कुछ समय लगेगा ।

श्री प्र० चं० बरूआ : भारत के सब बन्दरगाहों की माल उतारने-चढ़ाने की प्रतिमास वर्तमान क्षमता कितनी है तथा आजकल वहां कितना माल उतारा-चढ़ाया जा रहा है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): आजकल भारत के बड़े बन्दरगाहों की कुल संस्थापित क्षमता 4 करोड़ 90 लाख टन के लगभग है। अब तक संभाले गए यातायात में सबसे अधिकतम 4 करोड़ 40 लाख टन पिछले वर्ष था। प्रति माह के आंकड़ों की इसी से गणना की जा सकती है।

श्री भागवत झा आजाद : एक लम्बे समय से यह कहा जा रहा है कि श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में आर्थिक प्रोत्साहन का महत्वपूर्ण प्रभाव होगा और इस समिति ने भी इसी के लिए ज़ोरदार सिफारिश की है। क्या कारण है कि कलकत्ते के लिए जिस प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गयी थी उसका प्रतिरोध किया जा रहा है और अन्य बड़े बन्दरगाहों के लिए ऐसी योजनाएं अभी तक विचाराधीन ही हैं। अपने ही इस वक्तव्य को दृष्टि में रख कर कि वे केवल प्रोत्साहन योजना को ही बड़े बन्दरगाहों पर चालू करने का विचार कर रहे हैं, सरकार किस प्रकार उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव करती है ?

श्री राज बहादुर : समय-दर योजना से भिन्न खंड-दर योजना एक स्वीकृत नीति है और यह योजना पहले ही बम्बई में चालू की जा चुकी है तथा मद्रास में उतारे गए कुछ विशेष प्रकार के माल और नौभार के लिए वहां भी यह योजना चालू की जा चुकी है। जहां तक खाद्यान्नों का संबंध है, उनके साथ कुछ कठिनाई थी परन्तु वह भी दूर कर दी गई है। कलकत्ते में कुछ कठिनाई थी परन्तु वहां पर प्रोत्साहन योजना हाल ही में चालू कर दी गई ह। अभी से यह कहना कि इससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, उचित नहीं है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इससे वांछित परिणाम बहुत शीघ्र निकलेंगे ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या कांधला बन्दरगाह पर अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं और भारत के अन्य बन्दरगाहों की तुलना में यहां पर अधिक शीघ्रता से माल को उतारा-चढ़ाया जाता है ?

श्री राज बहादुर : निःसन्देह कांधला बन्दरगाह की अतिरिक्त क्षमता है और इसीलिये उसकी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने के लिए हमने यह विनिश्चिय किया है कि जितने संभव हो सकत हैं उतने खाद्यान्नों से लदे जहाजों को इस बन्दरगाह की ओर मोड़ दिया जाये । वास्तव में वहां पर प्रति मास 1.2 लाख टन संभाला जा सकता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know how many labourers will be retrenched on the recommendation of the American expert and how much demurrage we will have to pay ?

Shri Raj Bahadur : Our policy in regard to the retrenchment of the labourers is quite clear. We have to introduce mechanisation at our ports because they cannot remain to be the ports of 19th Century but they have to become the ports of 20th Century. But, at the same time, as far as possible, we will neither allow the labourers to become unemployed, nor allow their income to decrease. We will try to devise the appropriate means for this purpose.

डा० सरोजिनी महिषी : क्या भारतीय बन्दरगाहों पर चल रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में इंडियन ऐक्सप्रैस में प्रकाशित कुछ विदेशियों के पत्र-व्यवहार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न से बाहर की बात है ।

श्री राज बहादुर : श्रीमन्, यदि मुझे अनुमति दी जाये तो मैं इस प्रश्न के उत्तर में कह सकता हूं कि इस वक्तव्य की ओर हमने भी ध्यान दिया है । मैं इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य कह सकता हूं । यह अतिशयोक्ति पूर्ण तथा अत्युक्ति पूर्ण वक्तव्य है । इसमें एक पक्षीय दृष्टि-कोण भी अपनाया गया है क्योंकि जहाजों के कतिपय स्वार्थी मालिकों द्वारा हमारे श्रमिकों की भूख, आवश्यकताओं तथा गरीबी का भी प्रायः लाभ उठाया जाता है । यह भी एक तथ्य है । इसी से मेरे लिए यह कहना संगत ही होगा कि यद्यपि बन्दरगाहों पर हो रहे भ्रष्टाचार के विषय में की गई उचित शिकायतों पर हमने सम्यक् ध्यान दिया है, तो संबंधित समाचार पत्र में अमेरिकन संवाददाता के रवैये की भी हम निन्दा करेंगे ।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, we are still importing foodgrains from abroad. Will Government make such attempts so as the foodgrains are not required to be imported and in order to meet our demands we may produce sufficient foodgrains within our country ? If so, how much time it will take ?

Mr. Speaker : A special attention may be paid to the statement of Swamiji.

Shri Rameshwaranand : Mr. speaker, my question should be replied to.

Mr. Speaker : This question does not arise. The question is how to handle the goods quickly on their arrival.

सामुदायिक विकास खंडों से जीपों को वापस लेना

+

*167. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विभति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री कजरोलकर :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री उमा नाथ :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री नम्बियार :
श्री प० कुन्हन :
श्री कोल्ला बैकेंया :
श्री रामनाथन् चेट्टियार :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री धर्मलिंगम :
श्री ह० चं० सोय :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अविश्वास के प्रस्ताव पर बोलते समय 18 सितम्बर, 1964 को प्रधान मंत्री ने जो घोषणा की थी कि सामुदायिक विकास खण्डों से जीपें वापस ले ली जायेंगी, उसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ;

(ख) समस्त देश के विकास खण्डों में इस समय कितनी जीपें हैं तथा विकास खण्डों से वापस लेने के बाद उनका क्या उपयोग होगा ; और

(ग) ऐसे खण्डों, जिनके स्थान दूर दूर पर हैं तथा जहां पर जीपें आवश्यक समझी गई थीं, का काम किस प्रकार होगा ?

सामुदायिक विकास और सहकारिता उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) लोक सभा में 18 सितम्बर, 1964 को खण्डों की जीपों के प्रश्न पर प्रधान मंत्री द्वारा दिये वक्तव्य

के उपरान्त, सामुदायिक विकास खण्डों को दी गई जीपों का अधिकाधिक अनुकूल और कार्य-साधक उपयोग करने के लिए अक्तूबर, 1964 में राज्य सरकारों को उपाय सुझाए गये थे। यह सुझाव दिया गया था कि इन सभी गाड़ियों को पूल किया जाये ताकि उत्पादन कार्यक्रमों से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सुव्यवस्थित तालिका के अनुसार उनका प्रयोग किया जाये। पूल करने की यह पद्धति केवल 3,44 जीपों पर लागू होगी जो सामान्य सामुदायिक विकास खण्डों में चल रही हैं। आदिम जाति खण्डों और दुर्गम क्षेत्रों के खण्डों को दी गई जीपें उन्हीं के पास रहेंगी। अब तक आदिम जाति और पहाड़ी खण्डों को 150 जीपें दी गई हैं। मैं यह और बता दू कि आपात काल की घोषणा के पश्चात् केन्द्रीय मंत्रालय ने दिसम्बर, 1962 में अनुदेश जारी किये कि किसी भी नये खण्ड के लिए कोई नई जीप न खरीदी जाये। मुझे हर्ष है कि .....(**अन्तर्बाधा**)

एक माननीय सदस्य : कोई भी जीप वापिस नहीं ली गई है।

श्री ब० सू० मूर्ति : मुझे सभा को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि राज्य सरकारों द्वारा कोई नई जीप नहीं खरीदी गई है (**अन्तर्बाधायें**)।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। उपमंत्री महोदय ने पहिले दिये गये मुख्य उत्तर में कुछ और नई बात जोड़ दी है। माननीय सदस्यों को अपने अनुपूरक प्रश्न उसी तक सीमित रखने चाहिये।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को यह ज्ञात है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ऐसी स्थिति चल रही है कि अगर जीपों को वापिस ले लिया गया तो जो कुछ आधारभूत कार्य किया गया है वह.....

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं .... (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। सदस्यगण माननीय सदस्या को अपना प्रश्न क्यों नहीं पूछने देते।

Shri Bagri : She is suggesting that.....

Mr. Speaker : Why she should not put her suggestion? It is for me whether I allow her or not to do so. Is she not permitted to raise the question?

The hon. lady Member should leave her reasons and arguments. She may now put her question.

श्रीमती सावित्री निगम : मैं ऐसा ही करूंगी परन्तु मुझे प्रश्न उठाने का अवसर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह प्रश्न करें न कि भाषण दें तो उनको पूरा अवसर मिलेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : ग्रामों में चल रही दशायें कुछ ऐसी हैं कि आराम से बैठे राजनीतिज्ञों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि ....

श्री स० मो० बनर्जी : वह कोई प्रश्न नहीं कर रही हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री तथा उनके मंत्रालय ने कभी इस समस्या पर विचार किया है कि अगर जीपें वापिस ले ली गईं तो जो उपयोगी आधार-भूत कार्य ग्रामों में किया गया है और जो बहुत सा धन वहां परियोजनाओं पर व्यय किया जा चुका है, उनका कोई परिणाम नहीं निकलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह सुझाव ध्यान में रखा जाएगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि एक खंड विकास अधिकारी और उसके दल को कितना काम करना पड़ता है और कितने मील उनको चलना पड़ता है जिससे कि उस क्षेत्र में सब प्रकार का विकास हो ?

श्री ब० सू० मूर्ति : क्योंकि एक खंड 100 मील से अधिक क्षेत्र में फैला होता है और उसमें 100 से अधिक ग्राम शामिल होते हैं.....।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : क्या इसलिये प्रत्येक ग्राम एक मील ही होगा ?

श्री ब० सू० मूर्ति : यदि माननीय सदस्य जीपों के प्रश्न के विषय में गंभीर हैं तो मैं उनसे यह प्रार्थना करूंगा कि वे दिये गये उत्तरों को ध्यान से सुनें। एक खंड का क्षेत्रफल लगभग 100 वर्गमील से अधिक होगा।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा न सोचें कि जैसे हम सब एक जीप में यात्रा कर रहे हैं, परन्तु हम सभा भवन में बैठे हैं।

श्री ब० सू० मूर्ति : एक खंड में 66 हजार से 1 लाख तक व्यक्ति होते हैं। तय की जाने वाली दूरी को ध्यान में रख कर जीपें दी जाती हैं। अन्यथा, जीपें देने की आवश्यकता नहीं होती। इस स्थिति में यह समझ लेना चाहिये कि जब भारत-अमरीका की सहकारिता पर समझौता हुआ था तब जीप भी उन वस्तुओं में एक थी जो अमरीकी सरकार द्वारा भेजने के लिए स्वीकार की गई थीं। जहां तक जीपों के वापिस लेने का सम्बन्ध है प्रधान मंत्री जी ने सितम्बर में भाषण दिया था और अक्तूबर के आरम्भ में हमने ये अनुदेश जारी किये थे कि राज्य सरकारें उस वक्तव्य पर कार्यवाही करें क्योंकि जीपें उनके नियंत्रण में ही हैं। हमने उनसे प्रत्येक खंड से जीपें वापिस ले लेने के लिए भी—कृपया ध्यान से सुनिए—और उप-डिवीजन स्तर पर उनका पूल बनाने के लिए कहा है ..... (अन्तर्बाधाएं)। मैं नहीं समझता कि उनके वापिस लेने—उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक देने से—अन्य क्या अर्थ हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : इस सम्बन्ध में यह बात मैं और कह सकता हूं कि उत्पादन क्षेत्र में एक खंड से जिन गहन गतिविधियों की प्रत्याशा की जाती है वे ऐसी हैं कि संचार तथा परिवहन की अपर्याप्त सुविधाएं रखने वाले क्षेत्रों में विशेषकर कोई भी कार्य करना असम्भव हो जाता है जब तक कि खंड संघटन को किसी प्रकार की परिवहन सुविधाएं न दी जाएं।

Shri Bagri : What is the opinion of the hon. Minister on the statement given by the Prime Minister ?

श्री सु० कु० डे : यदि मैं उस खास वाद-विवाद में प्रकाशित कार्यवाही को और प्रधान मंत्री ने जो यथार्थतः कहा था उसको निर्देश करने के लिये माननीय सदस्य से प्रार्थना करूं तो वह

यह देखेंगे कि प्रधान मंत्री बस यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि ग्रामवासियों को जीपें देखने के बजाये अधिक आदमी देखने को मिलें ।

Shri Kishen Pattnayak : Whether these words 'the withdrawal of jeeps' have occurred or not in the statement given by the Prime Minister ?

Shri Bagri : I have to raise a Point of Order in connection with the answer given by the hon. Minister. He says that the statement of the Prime Minister should be seen in the proceedings. This is a challenge to this House. I have to raise my Point of Order in this connection. There were two parts of the statement of the Prime Minister. Firstly he said that jeeps ought to be withdrawn from Development Blocks. In the other part he said that Minister and Officers should go to villages by foot and stay there. Both these parts of the statement cannot be separated. But if they are taken as one, then it would mean that there was a clear statement about the withdrawal of jeeps. The attitude now adopted does not do justice to the statement of Prime Minister. Attempts are being made to twist that statement.

Mr. Speaker : How has any party been affected by it ? How can it be considered a Point of Order ?

Shri Bagri : Wrong statements should not be made.

Mr. Speaker : No wrong statement has been made. I have seen that statement. I discussed this thing with Dr. Lohia when he came to me. This thing has not been stated there.

Shri Bibhuti Mishra : Just now the hon. Minister has stated that jeeps would be utilised for increasing food production. Is the Government fully confident that the jeeps would be utilised properly ?

श्री सु० कु० डे : ऐसे तरीके निकालने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा जो त्रुटिहीन हों परन्तु विकृत प्रवृत्ति के लोग तो कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं ।

Shri Bagri : I want to know whether jeeps will be withdrawn so that they may not be used there or will they be put in garages ?

Shri B.S. Murthy : This is a suggestion for action.

Shri Kishen Pattnayak : The question should be answered. How will the announcement, that was made, be implemented ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैं जानना चाहता हूं कि प्रश्न क्या किया गया है ।

Mr. Speaker : The hon. Member wants to know the purpose for which jeeps would be withdrawan; whether they would be withdrawn and put in garages or will they be withdrawn and used elsewhere ?

श्री ब० सू० मूर्ति : मैंने अपने उत्तर में यह बात स्पष्ट कर दी है कि जीपों का प्रयोग सप्रयोजन किया जाना चाहिये ।

Shri Kishen Pattnayak : I want to raise a Point of Order.

Mr. Speaker : Points of Order have never been raised like this during Question Hour. Points of Order should not be raised in this way. The hon. Members should realise their responsibility.

Shri Kishen Pattnayak : What are we to do when our questions are not answered properly ?

Mr. Speaker : If the question has been answered wrongly the hon. Member can write to me about that and I would ask the hon. Minister to explain as to why the question was answered wrongly.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खंड अधिकारियों द्वारा जीपों का उचित तरीके से प्रयोग न किये जाने और उन की उचित देखभाल न किये जाने के कारण वे बहुत जल्द खराब हो जाती हैं और यदि यह सच है तो 55,500 के करीब जीपों में से कितनी जीपें इस समय बेकार पड़ी हुई हैं ?

श्री सु० कु० डे : ऐसा होता है कि जीपें उचित तरीके से प्रयोग में नहीं लाई जातीं और इस बुराई को पूर्णत: समाप्त नहीं किया जा सकता। परन्तु इस बात की रोकथाम के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयास किया जाता है। कुछ जीपें खराब भी हो जाती हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad : Had the Prime Minister consulted the Ministry before giving the statement in this House or did the Ministry thought over this matter afterwards and arrived at the conclusion that it is not necessary to withdraw jeeps since they are variously used in Blocks.

श्री सु० कु० डे : जब से सामुदायिक विकास खण्डों का कार्यक्रम आरम्भ हुआ है तभी से वहां पर जीपों के उचित कामों के लिये प्रयोग में लाने के विषय पर बराबर जांच होती रही है।

श्री भागवत झा आजाद : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री ने घोषणा करने से पहले मंत्रालय से विचार किया था या उनके घोषणा करने के उपरांत मंत्रालय तथा सरकार ने इस विषय पर विचार किया ?

श्री सु० कु० डे : प्रधान मंत्री ने तो नीति सम्बन्धी प्रश्न का स्पष्टीकरण दिया था। जो वक्तव्य उन्होंने दिया उसके लिए विशेष प्रकार से राय लेने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री हेम बरुआ : क्या प्रधान मंत्री ने नारे बाजी के लिए ही यह बात कही थी ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस बात का उत्तर दें कि उस घोषणा के उपरान्त क्या मंत्रालय ने इस बारे में विचार किया है और क्या कुछ जीपों को वापस लेना संभव है अथवा नहीं।

श्री सु० कु० डे : प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसरण में मंत्रालय ने राज्य सरकारों से यह स्पष्ट सिफारिश की है कि जो सीमित संख्या में जीपें अब उपलब्ध हैं उन्हें केन्द्रीय स्तर पर एकत्र कर लिया जाये जहां से विशेष कार्यक्रमों तथा खंडों में काम के नियत समय के अनुसार उन्हें उपलब्ध किया जा सके ?

Shri Yashpal Singh : We daily see in our areas that a B.D.O. goes at a distance of 12 miles on jeep to purchase a necktie or lemons. What measures Government have taken to check such misuse of jeeps ?

श्री सु० कु० डे : मैं समझता हूं कि पंचायती राज लागू हो जाने से, जिसमें लोगों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, पर्याप्त परित्राण मिलेगा और इसी कारण हम पंचायती राज लागू करने पर इतना अधिक बल दे रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : The hon. Minister stated that the State Governments were asked in September to withdraw jeeps. I want to know the names of States which have given intimation in regard to withdrawal of jeeps and those which have not yet given such an intimation ? And also the number of jeeps that have been withdrawn ?

श्री सु० कु० डे : सभी राज्यों के उत्तरों को एक साथ देखने का समय अभी नहीं आया। कई राज्यों ने अन्तरिम उत्तर देते हुए यह आश्वासन दिया है कि उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

Shri Gulshan : Is it not a fact that before the opening of Development Blocks Tehsildar used to collect Revenue, distribute seeds and fertilisers and also used to impart education to the farmers in his area single handedly whereas a B.D.O., with so much staff and jeeps at his disposal, is not able to do as much work ? Is it also a fact that jeeps are used during election campaigns for Congress candidates ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या किसी राज्य ने इस घोषणा की क्रियान्विति के विरुद्ध कोई विरोध-पत्र भेजा है?

श्री सु० कु० डे : अभी तक नहीं।

श्री सुबोध हंसदा : प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के और केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी किये गयें आदेशों के भी अनुसरण में, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि बहुत से खंड विकास अधिकारियों ने नौकरी को छोड़ देने की और अपने आप को अन्य किसी सेवा में स्थानान्तरित कराने की इच्छा व्यक्त की है ?

श्री सु० कु० डे : केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई आदेश जारी नहीं किया है और न ही उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार है। जहां तक खण्ड विकास अधिकारियों के प्रश्न का सम्बन्ध है जो कि सेवा को त्यागने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिसका कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न त्यागपत्र का नहीं है अपितु अन्य विभागों को स्थानान्तरण का है।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या मंत्रालय प्रधान मंत्री के दूसरे सुझाव पर विचार कर रहा है जो कि विभिन्न खंडों को साइकिलों की खरीद करने और परिवहन की अन्य व्यवस्था में सहायता देने के सम्बन्ध में है।

एक माननीय सदस्य : घोड़े और खच्चर।

श्री सु० कु० डे : जी हां। सिफारिश में यह भी सम्मिलित है।

General Elections in Kerala

\+

*168. { **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Sidhanti :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether preparations in connection with the general elections to be held in Kerala have been completed ;

(b) when the elections will be held ; and

(c) whether Government propose to impose any restrictions on communal parties during the elections ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) केरला में होने वाले साधारण निर्वाचनों के सम्बन्ध में तैयारियां चालू हैं ।

(ख) निर्वाचन आयोग का ख्याल है कि केरला विधान सभा के लिये निर्वाचनों का फरवरी, 1965 के मध्य के पहिले कराया जाना व्यावहारिक नहीं होगा ।

(ग) जी, नहीं ।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether the reason for not holding the general elections in Kerala at the scheduled time is that the food situation in Kerala has deteriorated and Government desires to postpone these elections with this view ?

The Minister of Law and Social Security (Shri A. K. Sen) : No, Sir.

Shri Prakash Vir Shastri : After the previous general elections in Kerala the late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru gave a statement in the House to the effect that there were some such communal parties in Kerala whose election manifestos were not already known to him and which were not permitted to take part in the general elections. May I know whether necessary precaution in this connection will be observed in future ?

श्री जगन्नाथ राव : जैसा कि इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में मैं पिछली बार बता चुका हूं सरकार ने चुनाव के प्रयोजनों के लिये किसी साम्प्रदायिक दल पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया है ।

Shri Jagdev Singh Sidhanti : Keeping in view the decisions given by the Supreme Court in the communal cases of the Members of Lok Sabha referred to that Court, will the Minister of Law please indicate the names of such political parties which could be called as communal ?

श्री अ० कु० सेन: जैसा कि माननीय सदस्य को याद होगा, हम ने विधियों में संशोधन कर दिया है जिससे कि कुछ कार्यवाहियों को, यदि उनके द्वारा मतदाताओं से धार्मिक तथा अन्य इसी प्रकार के आधारों पर अपील की जाती है, अवैध तथा भ्रष्ट रीति घोषित किया जा सके ।

श्री नम्बियार : क्या चुनावों को फरवरी अथवा मार्च, 1965 से आगे स्थगित तो नहीं किया जायेगा चाहे कैसी भी परिस्थितियों क्यों न हों ?

श्री जगन्नाथ राव : जी, नहीं; इस समय कुछ कार्यवाही की जानी है, मतदाता सूचियों के सम्बन्ध में कुछ आपत्तियां हैं जो कि प्राप्त हो गई हैं तथा उन पर कार्यवाही की जा रही है। मतदाता सूचियों का अन्तिम रूप से प्रकाशन दिसम्बर में किसी समय होगा और उस के पश्चात् चुनावों की अधिसूचना दी जायेगी ।

श्री कपूर सिंह : क्या केरल में किसी एक वामपंथी साम्यवादी नेता द्वारा हाल ही में की गई इस घोषणा पर सरकार ने उचित ध्यान दिया है कि जब वे सत्तारूढ़ हो जायेंगे तो वे संघ सरकार के निदेशों तथा प्राधिकार का विरोध करेंगे तथा उन्हें अस्वीकार करेंगे, और यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न केवल चुनाव करने से ही सम्बन्धित है ।

श्री कपूर सिंह : उन्होंने यह कहा है कि जब भी कभी चुनाव किये जायेंगे, जब वे लोग सत्तारूढ़ होंगे, तो वे कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि गैर-संवैधानिक हैं : क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है ? क्या इस पर सरकार का कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न केवल चुनावों के करने से ही सम्बन्धित है। इस प्रश्न का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि जब वे पुनः सत्तारूढ़ हो जायेंगे तो वे क्या करेंगे ।

श्री कपूर सिंह : वे इस बारे में अपना इरादा प्रकट कर चुके हैं कि यदि वे पुनः सत्तारूढ़ हो गये तो वे क्या करेंगे। जब इस प्रकार की घोषणायें की जा रही हैं तो क्या भारत सरकार को इस पर कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार को उन्हें अधिकार वंचित करने का कोई अधिकार प्राप्त है ? सरकार को क्या करना चाहिये ?

श्री कपूर सिंह : निर्वाचनों के उद्देश्य को ही अर्थात् केरल के ऊपर संघ सरकार के प्राधिकार को ही वे नष्ट करना चाहते हैं। क्या वे जब तक ऐसा करें तब तक हम चुप ही बैठे रहेंगे ?

श्री नम्बियार : चुनाव वहां के केवल वामपंथी साम्यवादियों के लिये ही नहीं है अपितु वे वहां के सभी लोगों के लिये हैं ।

श्री अ० कु० सेन : वे लोग यह भी घोषणा कर सकते हैं कि चुनावों में जीतने के पश्चात् वे चांद पर पहुंच जायेंगे ?

श्री म० कु० कुमारन : क्या चुनावों में उम्मीदवारों तथा दलों द्वारा किये जाने वाले व्यय को कम करने के लिये सरकार का कोई प्रभावकारी कार्यवाही करने का विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न पर पहिले ही विचार कर चुके हैं ।

Shri Rameshwaranand : It has many times been discussed in the House that communal parties will be banned. I also agree to this. But have Government taken any decision in the matter as to which party should be held as communal and on what basis ?

Mr. Speaker : This he has stated just now.

Shri Bade : Is it a fact that Election Commission have stated that the general elections in Kerala will be held in 1965 ? If they have expressed this opinion what are the reasons therefor and why the elections are being postponed for such a long period ?

Mr. Speaker : You have simply heard the year but not the month in which elections will be held.

Shri Bade : He has only stated that elections will be held in 1965.

Mr. Speaker : At present objections are being invited and it will take due time to dispose them of.

Shri Bade : Has he stated any reason for this delay ?

Shri A.K. Sen : It has been stated just now that electoral rolls will be finalised sometime in December,64 and thereafter the elections will be notified and held.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि गत निर्वाचनों के दौरान कुछ दलों द्वारा पूर्णतः साम्प्रदायिक रूप के कुछ पोस्टर लगाये गये थे और सरकार ने उन पोस्टरों की एक प्रदर्शनी भी

की थी ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है कि इस प्रकार के पोस्टर आगे न लगाये जायें ?

श्री अ० कु० सेन : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा अपराध विधि संशोधन अधिनियम दोनों ही में आवश्यक परिवर्तन कर दिया गया है ।

श्री हेम बरूआ : पोस्टरों में श्री नेहरू को एक गाय को छुरी भोंकते हुए दिखाया गया था ; इसी कारण मैं इस बात को जानना चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने बताया है कि विधि में संशोधन कर दिया गया है ।

चावल मिलें

+

*169. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री नि० रं० लारकर :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री कोल्ला वैंकेया :
श्री ब० कु० दास :
डा० सारादीश राय :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० रानेन सेन :
श्री पें० वैंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 8 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 41 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रारम्भिक अध्ययन और मूल्यांकन के लिये सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में छः नयी आधुनिक चावल मिलें स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो ये मिलें कहां स्थापित की जायेंगी; और

(ग) इस बारे में सरकार कितनी पूंजी लगायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) सहकारी क्षेत्रों में स्थापित करने हैं :

(1) तिरुवरूर (मद्रास)

(2) तड़ेपल्लीगुडम (आन्ध्र प्रदेश)

(3) मंडेया (मैसूर)

(4) रायपुर (मध्य प्रदेश)

सहकारी क्षेत्र में स्थापित करने हैं :

(1) गढ़नोखा (बिहार)

(2) वुरदान (पश्चिमी बंगाल)

(ग) सरकारी क्षेत्र की मिलों के लिये

रु० 81.75 लाख जिस में 13 लाख रुपये सहकारी समितियों को अनुदान के रूप में दिये जायेंगे और शेष ऋण के रूप में।

सरकारी क्षेत्र की मिलों के लिये ।

समय समय पर धान खरीदने के लिये अपेक्षित कार्यकर पूंजी को छोड़ कर 52.62 लाख रुपये।

Shri Vishram Prasad : May I know as to why no mill out of the six stated by you is being established in Uttar Pradesh ?

श्री दा० रा० चव्हाण : यदि उत्तर प्रदेश में इस की आवश्यकता है तो उस पर भी विचार किया जायेगा ।

Shri Vishram Prasad : May I know the names of those companies with which agreements have been entered into for setting up these six modern mills as also the names of those countries wherefrom these will be obtained ?

Shri D. R. Chavan : Out of these three will be obtained from West Germany and three from Japan.

Shri Bagri : These mills are not being located in the areas of Delhi, Punjab, Rajasthan etc. May I know the basis on which these mills are being located in certain areas only and what proposals are being considered for the remaining areas ? If these mills are being set up only on the basis of production of rice in a certain area, then how the paddy of the rice-producing areas in Punjab would be utilised by these mills ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) इन मिलों की स्थापना केवल यह जानने के उद्देश्य से की जा रही है कि क्या इन नवीन आधुनिक मिलों से अधिक अच्छा उत्पादन किया जा सकता है अथवा नहीं। यदि ये मिलें उपयोगी सिद्ध हुईं तो हमारा इरादा सभी राज्यों में ऐसी मिलों को स्थापित करने का एक विस्तृत कार्यक्रम चलाने का है।

Shri Bagri : Why only these particular areas have been selected and on what basis ? What are the special facilities which are available in these areas only and not in others ?

Mr. Speaker : Shri Bibhuti Mishra.

Shri Bagri : Mr. Speaker, Sir, no reply has been given to my question.

Mr. Speaker : You will get it.

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether these mills are being set up by the Central Government in consultation with State Governments, or only at their own initiative and whether Government think that they would get adequate supply of paddy from the areas where these mills are being set up for running these mills throughout the year ?

Shri D. R. Chavan : These mills are being set up in consultation with State Governments. They will get adequate supply of paddy.

अध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी ने यह पूछा है कि ये मिलें किस आधार पर केवल कुछ ही क्षेत्रों में स्थापित की जा रही हैं और अन्य क्षेत्रों में ये क्यों स्थापित नहीं की जा रही हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सघन कृषि विकास वाले क्षेत्रों का चयन किया गया है जहां कि चावल कृषि उत्पादन का मुख्य पदार्थ है । इस आधार पर मिलों की स्थापना की जा रही है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भंडार

*170. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री गुलशन :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 29 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 451 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भंडार के विरुद्ध दायर किये गये मुकदमों की इस समय क्या स्थिति है ;

(ख) क्या किन्हीं अन्य अनियमितताओं का पता चला है;

(ग) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति): (क) दिल्ली राज्य केन्द्रीय सहकारी भण्डार के विरुद्ध दो मुकदमे दायर किये गए थे। इस समय स्थिति यह हैं :—

(1) अनाधिकृत स्थान में गुड़ स्टोर करने तथा बेचने और निदेशक, सिविल रसद, दिल्ली प्रशासन को पाक्षिक विवरण न भेजने से सम्बन्धित मामला। यह मामला न्यायालय में न्यायाधीन है, जहां इस पर विचार हो रहा है।

(2) लोहे और इस्पात की चोरबाजारी से सम्बन्धित मामले—पुलिस ने 6-11-64 को एस० डी० एम०, पहाड़गंज की कोर्ट में 6 आरोप-पत्र दाखिल किए थे।

(ख) से (घ). यह आरोप लगाया गया है कि समिति ने सब-स्टैंड कोयला ऊंचे दामों पर बेचा। इस मामले की पुलिस जांच कर रही है और पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जाएगी। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, दिल्ली के आदेश पर इस भण्डार के मामलों की साविधिक जांच की जा रही है।

अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र

*171. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :**
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड ने राज्यों में उच्च सदन के निर्वाचन के लिये अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र को समाप्त करने की सिफारिश की है ;

(ख) बोर्ड ने इस सिफारिश के लिये क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) क्या इसके बारे में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी हां। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अक्तूबर 1964 की अपनी बैठक में यह सिफारिश की, कि राज्य विधान मंडलों के उच्च सदन के लिए अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र समाप्त कर दिये जायें।

(ख) यह सिफारिश विद्यार्थियों की अशांति से सम्बद्ध चर्चा के परिणामस्वरूप की गई थी।

(ग) यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है।

चीनी का उत्पादन

*172. **श्री हेडा :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963–64 के अनुमान के अनुसार चीनी का कुल उत्पादन कितना है ; और

(ख) इसका कितना भाग देश में खपत के लिये रखा गया है और निर्यात के लक्ष्य क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1963–64 में चीनी का उत्पादन 25.67 लाख मीट्रिक टन आंका गया है ।

(ख) 1963–64 में देश में खपत के लिये उपयोग की गयी चीनी की मात्रा 23.30 लाख मीट्रिक टन और निर्यात के लिये उपयोग की गयी चीनी 2.50 लाख मीट्रिक टन थी । इस में गत वर्ष का बचा हुआ स्टाक भी शामिल है ।

भंडारों में खाद्यान्न की बर्बादी

*173. **श्री भगवत झा आजाद :**
श्री बादशाह गुप्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार भंडारों में कृषि उत्पादों की कितनी बर्बादी हुई है ; और

(ख) सरकार द्वारा इस बर्बादी को रोकने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) भण्डारों में रखे कृषि उत्पादों के होने वाले नुकसान को जानने के लिए व्यवस्थित ढंग से या व्यापक रूप से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, यह विश्वास किया जाता है कि ऐसी क्षति 3 से 10 प्रतिशत के बीच होती है । केन्द्रीय सरकार के गोदामों में ऐसी क्षति की मात्रा नगण्य मात्र रही है । 1962–63 में यह क्षति 0.19 प्रतिशत थी ।

(ख) सरकारी गोदामों में संचयन काल में खाद्यान्नों की होने वाली क्षति को कम करने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं :—

(1) चूहों और नमी से सुरक्षित गोदाम बना कर संचयन की स्थिति में सुधार कर दिया गया है ; और

(2) स्टाक के परिरक्षण और अनुरक्षण के बारे में नवीनतम वैज्ञानिक उपाय अपनाए जाते हैं ।

ग्रामीण तथा व्यापारिक गैर सरकारी भण्डारों के लिए :—

(1) सुधरी हुई किस्म के गोदाम बनाने के लिये मानक निर्धारित कर दिए गए हैं ;

(2) खाद्यान्नों की समुचित देख-भाल सुनिश्चित करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत घुने और खराब हुए अनाज की सीमा निर्धारित कर दी गयी है ; और

(3) राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि स्टाकिस्ट खाद्यान्नों को खराब होने से रोकने के लिए समुचित उपाय काम में लाते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए वे खाद्यान्न लाइसेंसिंग आदेश के अन्तर्गत आवश्यक कदम उठायें ।

इसके अतिरिक्त, किसानों और व्यापारियों को खाद्यान्नों के संचयन और परिरक्षण के वैज्ञानिक तरीके समझाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं सुलभ की जाती हैं और प्रदर्शन भी किए जाते हैं ।

उर्वरक

*174. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अमरीकी सहायता मिशन ने यह सुझाव दिया है कि देश में उर्वरकों की मांग और बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिये उर्वरकों के भावों, वितरण और विक्रय सम्बन्धी नीतियों में आमूल संशोधन किया जाये ;

(ख) मिशन की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इनमें से कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) बढ़े हुए कृषि उत्पादन पर भारत में संयुक्त राज्य अमरीका सहायता मिशन की अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ।

(ख) रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(1) एक उर्वरक प्रवर्तन निगम बनना चाहिए जो विक्रय प्रवर्तन का काम करे और इस निगम में उत्पादकों तथा सरकारी विभागों के प्रतिनिधि होने चाहिएं ।

(2) भारत में फैक्टरियों को अपना तैयार किया हुआ माल विपणन करने और इस काम के लिए उन्हें अपने वितरण सम्बन्धी प्रबन्ध करने की अनुमति दी जाए ।

(3) उर्वरकों की मांग और सप्लाई के अन्तर के बराबर आयातों का काम किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप देना चाहिए । इन आयातों पर आयात शुल्क लगाना चाहिए । विपणन एजेंसी उन फैक्टरियों को आयात निर्धारित करे जो अपना माल विपणन करती हैं और उन फैक्टरियों को उनके वास्तविक विक्रय के अनुपात से शुल्क का मुनाफा वापिस किया जाना चाहिए ।

(ग) भारत सरकार ने हाल ही में उर्वरकों के वितरण सम्बन्धी दीर्घ तथा अल्पकालीन समस्याओं की जांच करने के लिए जो विशेषज्ञ समिति बनाई वह जांच के दौरान अन्य दूसरी सिफारिशों के साथ इनकी भी जांच करेगी ।

नौवहन विकास निधि

*175. **श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन विकास निधि से तीसरी पंचवर्षीय योजना में (अब तक) गैर सरकारी क्षेत्र में विभिन्न नौवहन समवायों को कुल कितनी धनराशि मंजूर की गयी है ;

(ख) मंजूर किये गये ऋण अथवा सहायता की शर्तें क्या हैं और हर मामले में कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है ; और

(ग) सरकार द्वारा इन समवायों के लिये मंजूर किये गये ऋणों/सहायता का समुचित प्रयोग हो यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). अपेक्षित सूचना के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-3429/64]**

(ग) जहाजी कम्पनियों द्वारा जहाज खरीदने के समय या खरीद लेने के बाद ही ऋण राशि उन्हें देने का प्रबन्ध कर के ऋण के उचित उपयोग का सुनिश्चियन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त जब कभी शिपयार्ड को अदायगी करनी होती है तो ऋण किस्तों में दिये जाते हैं।

हल्दिया पत्तन

*176. **श्री ब० कु० दास** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन के निर्माण के सम्बन्ध में हाल में नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने कोई प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उसकी उपपत्तियों पर कोई कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). हल्दिया परियोजना विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये दिसम्बर, 1963 में विश्व बैंक को ऋण के लिये दिये गये आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में उस बैंक ने यह जानकारी मांगी है ; इस परियोजना के विस्तृत आर्थिक आंकड़े जिनमें कलकत्ता और हल्दिया सहित भारत के प्रत्येक बन्दरगाह पर 1970-71 में होने वाले यातायात का पण्य प्रक्षेप शामिल हो, प्रत्येक बाजार के विस्तृत अध्ययन सहित कोयला यातायात का विश्लेषण अन्तिम उपभोग के प्वाइन्टस, सम्बन्धित कोयले की मात्राएं तथा किस्में, कोयला किस काम के लिये चाहिए, नजदीक की खानों से कोयला प्राप्त न करने के कारण, कोयला व्यापार में प्रयुक्त होने वाले जहाजों की किस्म, कलकत्ता को जहाज में गेहूं ले जाने के वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन, कलकत्ता क्षेत्र में खनिज फास्फेट और गन्धक की सम्भावित आयात की आवश्यकताओं का विश्लेषण और कलकत्ता से मोड़ कर हल्दिया बन्दरगाह पर भेजे जाने वाले सामान्य माल यातायात की मात्राएं। विश्व बैंक द्वारा निर्देशित अध्ययन करने तथा अपेक्षित आंकड़े एकत्रित करने के लिये सितम्बर, 1964 में एक अध्ययन दल बनाया गया था। इस दल को चार महीने में अपना काम पूरा करने के लिये कहा गया है।

अमेरीका और ब्रिटेन को खादी की वस्तुओं का निर्यात

*177. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 20 दिसम्बर, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 694 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका और ब्रिटेन की सरकारों के साथ 1963 में किये गये करारों के अनुसार उन देशों को खादी की वस्तुओं के निर्यात में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या निर्यात उक्त प्रश्न के उत्तर में दिये गये आंकड़ों के अनुसार किया जा रहा है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख). खादी का निर्यात करने के लिये कुछ पार्टियों से व्यापारिक करार किये गये थे ना कि अमरीका की सरकार से। क्योंकि पार्टियां करारों में दी हुई शर्तों के अनुसार माल का प्राथमिक आर्डर देने में असफल रहीं, इसलिए ये करारें रद्द कर दी गयी हैं। ब्रिटेन की सरकार या निजी पार्टियों से ब्रिटेन में कोई भी करार या ठेका नहीं किया गया।

दहेज पत्तन

*178. **श्री कजरोलकर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड की हाल की बैठक में दहेज पत्तन का विकास कर इसको बड़ा पत्तन बनाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या पोरबन्दर को भी सभी ऋतुओं में प्रयुक्त होने वाला पत्तन बनाया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) 20 और 21 अक्तूबर 1964 को पंजिम में राष्ट्रीय पत्तन मंडल की पिछली बैठक में दहेज को माल उतारने के पत्तन के रूप में विकसित करने के प्रश्न पर विचारविमर्श किया गया था । मंडल ने इस प्रस्ताव को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की और तीसरी योजनाकाल में राज्य सरकार द्वारा अग्रिम कार्यवाही करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय पत्तन मंडल द्वारा दहेज को बड़े बन्दरगाह के रूप में विकसित करने का कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). पोरबन्दर को सब ऋतुओं में काम करने योग्य बन्दरगाह विकसित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इस विषय पर राज्य सरकार ने एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है । परियोजना रिपोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की समिति को सौप दी गई है। समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही मिलने की आशा है । इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर अंतिम निश्चय किया जायेगा ।

कृषि उत्पादन

*179. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 22 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 328 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये कृषि विकास प्रस्तावों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा क्रमश: क्या अग्रिम कार्यवाही की गयी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये कृषि विकास प्रस्तावों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा की गई अग्रिम कार्यवाही को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3430 / 64]**

उर्वरकों का वितरण

*180. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बागड़ी :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम सेवक यादव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री द्वारकादास मंत्री :
श्री कोया :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रासायनिक उर्वरकों के वितरण के बारे में दीर्घकालीन और अल्पकालीन समस्याओं की जांच के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के संक्षिप्त निदेश-पद क्या हैं ; और

(ग) इसके सदस्य कौन कौन हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग): समिति के निदेश-पद तथा गठन के विषय में ब्योरा भारत सरकार के प्रस्ताव संख्या 21-184/64-एम दिनांक 1 अक्तूबर, 1964 में दिया गया है । प्रस्ताव की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

*182. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम सेवक यादव :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रा० बरुआ :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री धर्मलिंगम :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने (1) निराश्रितों और अपाहिजों को वृद्धावस्था में पेंशन देने,

(2) विभिन्न निधि भविष्य योजना में आने वाले व्यक्तियों को सेवा-निवृत्ति एवं परिवार पेंशन देने, और (3) अपाहिजों को सहायता देने के लिये एक त्रि-सूत्री सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तीनों योजनाओं में प्रत्येक की क्या मुख्य बातें हैं ?

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) और (ख) त्रि-सूत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ये कार्यक्रम आते हैं :—

(एक) **निराश्रित तथा विक्लांगों के लिए वृद्धावस्था की पेन्शन :**

योजना विचाराधीन है और अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(दो) **सेवा निवृत्ति तथा पारिवारिक पेंशनें :**

यह प्रस्तावित किया गया है कि भविष्य निधि को दिये हुए अंशदान में से कोश बना कर कर्मचारी भविष्य निधि तथा कोयला खान भविष्य निधि के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को पेंशन के लाभ प्रदान किये जायें। योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, और

(तीन) **विक्लांगों को सहायता :**

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत:—

(क) विक्लांगों को अध्ययन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं,

(ख) विक्लांगों के कल्याण के लिए कार्य कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है,

(ग) विक्लांगों के लाभ के लिये उन के हेतु विशेष रोजगार केन्द्र स्थापित किये गये हैं, और

(घ) उन के अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए विशेष सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है ।

Conference of Registrars of Cooperative Societies

*183 **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Rameshwar Tantia :
Shri Kolla Venkaiah :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Conference of Registrars of Co-operative Societies of all States was held in Delhi in the second week of October, 1964 ;

(b) if so, the main decisions taken therein ; and

(c) the extent to which the cooperative movement will be strengthened as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes, Sir. We took advantage of the presence of the Registrars here in connection with a Conference of IADP field officers called by the Ministry of Food and Agriculture and held discussions on certain important matters.

(b) A summary of the main recommendations of the Conference is laid on the table of the House **[Placed in Library. See No. LT 3431/64]**

(c) It is expected that proper implementation of the recommendations will go a long way towards further strengthening of the movement.

कलकत्ता में राशन व्यवस्था

*184. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार अगले वर्ष जनवरी से, कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में संवहित राशन-व्यवस्था लागू करने के लिये खाद्यान्नों की समूची आवश्यकता को पूरा करने के लिये चावल तथा गेहूं की आवश्यक मात्रा को देने को राजी हो गयी है ;

(ख) क्या अन्य बड़े नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में भी केन्द्रीय सरकार द्वारा यही व्यवस्था की गयी है; और

(ग) क्या सरकार ने राशन-व्यवस्था द्वारा कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता के लिये अपेक्षित चावल तथा गेहूं की मात्रा का कोई निश्चित अनुमान लगा लिया है अथवा पश्चिम बंगाल सरकार से इस बारे में आंकड़े प्राप्त कर लिये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हां ।

(ख) जब कभी भी राज्य सरकारें 10 लाख और इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने का निर्णय करेंगी तो केन्द्रीय सरकार द्वारा यहां के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की जायेगी ।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त चावल और गेहूं के अनुमान निम्न प्रकार हैं :—

(आंकड़े लाख मीट्रिक टनों में हैं)

चावल	4.7
गेहूं	1.6
गेहूं के पदार्थ	1.6

बनस्पति निगम

*185. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने बनस्पति उत्पादन के लिये सरकारी क्षेत्र में एक निगम स्थापित करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या ब्योरा है, और सरकार द्वारा एसा निणय किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस समय इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

सहकारी परिवहन समितियां

*373. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का निगम के उत्पादों का व्यापार करने वाली सहकारी परिवहन समितियों को ऋण सुविधायें देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या परिवहन सहकारी समितियों को ऋण दिये जाने की गुंजायश का अध्ययन करने के लिये परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि परिवहन संचालकों को प्रत्यक्ष ऋण दिये जायें या उनकी देश राशि का भुगतान स्थगित किया जाये;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों पर कोई निर्णय कर लिया गया है, और

(घ) सहकारी परिवहन समितियों को किस प्रकार की सहायता दी जायेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने सहकारी परिवहन समितियों को ऋण देने की कोई विशेष योजना नहीं बनायी है लेकिन ये समितियां कारपोरेशनों की सामान्य ऋण नीति के क्षेत्राधिकार में आती हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) अध्ययन दल की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामदान गांव

374. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री ग्रामदान गांवों की संख्या के सम्बन्ध में आज तक की निम्नलिखित राज्यवार जानकारी के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(एक) कृषि-योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल ;

(दो) कुल जन संख्या ;

(तीन) ऋण की कुल मांग ;

(चार) कुल कितना ऋण दिया गया ;

(पांच) ऋण को उपयोग में लाने की स्थिति ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य सरकार द्वारा मंजूर की गई 1 करोड़ रुपये की राशि में से इन ग्रामदान ग्रामों को किन अभिकरणों तथा प्रक्रिया के द्वारा ऋण दिया गया है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3432 / (एक) / 64**] मद संख्या (एक) और (चार) पर जानकारी उपलब्ध नहीं है । हां, अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने प्रान्तीय सर्वोदय मण्डलों, भूदान बोर्डों और निर्माण समितियों से कहा है कि वे आवश्यक आंकड़े इकट्ठे करने तथा विभिन्न राज्यों में ग्रामदान ग्रामों की सामाजिक-आर्थिक हालतों का पता लगाने के लिए उनका शीघ्र सर्वेक्षण करें ।

(ख) अभिकरण तथा प्रक्रिया पुस्तकालय में रखे गये पत्र में दिये गये हैं । [**देखिये संख्या एल० टी०—3432 (दो)/64**] अभी तक 9 राज्यों को 21.16 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है । इस में से 16.88 लाख रुपये की राशि ग्रामदान ग्रामों और भू-दान क्षेत्रों में सहकारी समितियों को सहायता देने तथा 4.28 लाख रुपये ग्राम सभाओं को सहायता देने के लिये मंजूर किये गये हैं ।

कोयला खान भविष्य निधि योजना

375. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 1 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस योजनायें अधिनियम, 1948 में निवेली लिग्नाइट निगम के किन-किन एककों को शामिल किया जायेगा, क्या इस प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से एकक हैं; और

(ग) उक्त अधिनियम कब लागू किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) यह प्रश्न अभी नहीं उठता ।

(ग) निवेली लिग्नाइट निगम के लिये प्रस्तावित कोयला खान भविष्य निधि योजना को अन्तिम रूप देते ही ।

असैनिक उड्डयन विकास निधि

376. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक करोड़ रुपये की एक असैनिक उड्डयन विकास निधि बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस निधि में से अब तक कितनी राशि काम में ली गई है; और

(ग) किन-किन विकास परियोजनाओं के लिये काम में लिया गया है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में वन

377. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में गैर-सरकारी वनों को अर्जित करने के मामलों में क्या प्रगति हुई है;

(ख) योजना की क्रियान्विति में देरी के क्या कारण हैं ;

(ग) गैर-सरकारी वन भूमि का अर्जन सम्बन्धी कार्य कब पूरा हो जायेगा ; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत योजना उपबन्ध क्या है और अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) केरल सरकार ने कहा है कि राज्य में गैर-सरकारी वनों के अर्जन के लिये एक विधेयक तैयार किया गया है और नये विधान मण्डल के बनते ही इसे उसमें पुरःस्थापित करने का विचार है ।

(ख) विधेयक न बनाने के कारण ।

(ग) क्योंकि विधेयक ने अभी कानून का रूप नहीं लिया है, इसलिये पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(घ) 100 लाख रुपये, जिसमें से 26,792.80 रुपये सितम्बर, 1964 के अन्त तक खर्च किये जा चुके हैं ।

केरल के कर्मचारी राज्य बीमा इमारतें

378. { श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या सामाजिक सुरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिये औषधालयों, अस्पतालों और क्वार्टरों के लिये इमारतों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) 1964–65 में इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि दी गई थी ; और

(ग) इमारतों के निर्माण के लिये भूमि किन किन स्थानों पर अर्जित की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) टी० बी० अस्पताल, पुल्यानारकोटा में 24 पलंगों वाले एक उप भवन का निर्माण किया गया है जो कि 5–1–1964 से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। कर्मचारियों के क्वार्टर सहित 3 कर्मचारी राज्य बीमा हस्पतालों तथा 6 औषधालयों की इमारतों के निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के क्वार्टरों सहित एक और हस्पताल तथा 7 और औषधालयों की इमारतों के लिए योजनाएं तथा प्राक्कलन मंजूर कर लिये गये हैं। आशा है कि उनका निर्माण शीघ्र ही आरम्भ कर दिया जायेगा।

(ख) 14,47,514.55 रु० (10–11–1964 तक)।

(ग) अर्जन सम्बन्धी कार्यवाहियों को लम्बित रख के हस्पतालों, औषधालयों की इमारतों तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए निम्न लिखित स्थानों पर भूमि अर्जित कर ली गई है अथवा उसपर कब्जा कर लिया गया है :—

1. जिला कुइलोन,
   असरायम, पट्टाथानम, कोट्टियाम, परीपल्ली, कोट्टनकारा, त्रिपाल्लाज़ीकोम कल्लूवाथुक्कल, पाविट्रिस्वारम, पुनालुर और त्रिक्कोविलवाट्टोम।
2. ज़िला कोट्टायम
   कोट्टायम।
3. ज़िला एलेप्पी
   बीचवार्ड, पथीरापल्ली तथा फैक्ट्री वार्ड।
4. ज़िला एर्नाकुलम
   उद्योग मण्डल, थोप्पुमपादी और पानाथापल्ली।
5. जिला त्रिचुर
   मुलाकुन्नापुकावु (त्रिचुर), ओल्लुर तथा त्रिचुर।
6. ज़िला कोज़ीकोड
   करापारम्बा, इरिनागाल्लुर तथा कालाथिकुंन्नु।
7. ज़िला कन्नानोर
   पप्पीनिस्सेरी।

बेपुर पत्तन

379. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल में बेपुर पत्तन के भीतरी ड्रेजन के लिए एक ड्रेजन एकक अर्जित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : केरल राज्य में बीच की तथा छोटी पत्तनों में भीतरी ड्रेजन के लिये राज्य सरकार ने एक 12″ के कढर सक्शन ड्रेजर, एक 2 टन के एक ग्राड ड्रेजर, तीन 100 टन वाले बजरा तथा एक 200 हार्स पावर के टग के लिये आदेश दे दियें हैं। केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक विदेशी मुद्रा भी दे दी है ।

केरल में थोट्टीलापालम-वेलामुडा सड़क

380. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री अ० व० राघवन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वादागारा पत्तन को मानन्तोद्दी से मिलाने के लिये थोट्टीलापालम से वेल्लमुंडा के बीच सड़क बिछाने का कोई प्रस्ताव ;

(ख) क्या इस कार्य को तृतीय योजना में आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) इस मिलाने वाली सड़क को बनाने की अनुमानित लागत क्या होगी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). जी, हां । यह एक राज्य परियोजना है और केरल सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव है कि इस सड़क को बनाने के कार्य को चालू योजनावधि में आरम्भ किया जाये । अनुमान है कि इस परियोजना पर लगभग 10.25 लाख रु० लागत आयेगी ।

केरल में फेरोक नदी पर पुल

381. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में पश्चिम तट सड़क पर रेल-एवं सड़क के वर्तमान पुल के स्थान पर फेरोक नदी पर एक अलग पुल बनाने के मामले में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) पुल की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) कार्य कब आरम्भ होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). संसाधनों की कमी के कारण पश्चिम तट सड़क के लिये अनुमोदित कार्यक्रम में फेरोक नदी पर पुल के निर्माण से संबंधित कार्य को तृतीय योजना में शामिल करना संभव नहीं हो सका है । अतः पुल के निर्माण कार्य को चालू योजनावधि में आरम्भ नहीं किया जायेगा ।

केरल राज्य परिवहन विभाग

382. श्री पोट्टकाट्ट :
श्री अ० व० राघवन :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य परिवहन विभाग में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) इन कर्मचारियों की अधिकतम तथा न्यूनतम सेवा क्या है ;

(ग) कर्मचारियों के लिये कैंटीन, विश्राम गृह तथा चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने के मामले में मोटर परिवहन मज़दूर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(घ) अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1,468।

(ख) क्रमश: 2 मास तथा 4 वर्ष।

(ग) कर्मचारियों के लिये कैंटीन तथा विश्राम कक्षों की व्यवस्था की गई है। जिस क्रम से केरल सरकार के कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें दी जाती हैं, केरल राज्य परिवहन विभाग के मज़दूरों को भी उसी क्रम से चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध हैं। केरल राज्य परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिये इस मामले में कोई पृथक व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि वर्तमान सुविधाओं को पर्याप्त समझा जाता है।

(घ) सरकारी व्यय में मितव्ययता प्राप्त करने के लिये उपायों की सिफारिशें देने के लिये केरल सरकार ने एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है। यह अधिकारी परिवहन विभाग के कर्मचारियों के मामलों की भी जांच करेगा। इस विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के प्रश्न पर राज्य सरकार, विशेष अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा उस पर जांच करने के पश्चात् विचार करेगी।

अनाज का समाहार

383. श्री श० ना० चतुर्वदी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962-63 तथा 1963-64 में सरकार ने कितना कितना अनाज प्राप्त किया ;

(ख) उस अवधि में कितना अनाज बेचा;

(ग) आन्तरिक परिवहन तथा स्टोरों में जमा करने के दौरान कितना अनाज खराब हो गया ;

(घ) इन सौदों के परिणामस्वरूप सरकार को क्या शुद्ध लाभ अथवा हानि हुई ; और

(ङ) इस परियोजन के लिये रखे गय कर्मचारियों पर क्या व्यय किया गया ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) 1962-63—43·60 लाख मीट्रिक टन, 1963-64—53·46 लाख मीट्रिक टन।

(ख) 1962-63 . . . 42·16 लाख मीट्रिक टन
1963-64 . . . 59·63 लाख मीट्रिक टन

(ग) 1962-63 . . . 36,998 मीट्रिक टन
1963-64 . . . 24,437 मीट्रिक टन।

(घ) सरकार को व्यापार द्वारा हुई हानि इस प्रकार है :—

1962-63 . . . 27·15 करोड़
1963-64 . . . 30·91 करोड़

(ङ) 1962-63 . . . 3·29 करोड़
1963-64 . . . 3·42 करोड़

केरल में सहकारी परिवहन समितियां

384. { **श्री पोट्टेकाट्ट** :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल अधिनियम, 25, 1963 की धारा 18(दो) में संशोधन करने के लिये केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ख) एक सहकारी परिवहन समिति बनाने के लिये कम से कम कितने सदस्य होने चाहियें;

(ग) ऐसी समिति में जिसके पास एक गाड़ी हो, अधिक से अधिक कितने सदस्यों को नियोजित किया जा सकता है ; और

(घ) केरल में कितनी परिवहन समितियां यात्रियों के परिवहन का काम करती हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी केरल सरकार से प्राप्त की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हापुड़ गल्ला व्यापारी

385. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हापुड़ गल्ला व्यापारी इस बारे में हस्तक्षेप करने के लिये प्रधान मंत्री से मिले हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मकई और बाजरे के भंडारों को जब्त न किया जाये ;

(ख) क्या व्यापारियों के इस कथन की जांच कर ली गई है कि उन्हें कथित खाद्यान्नों को उनकी भूमिगत लागत से कम कीमत पर बेचने के लिये बाध्य किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) हापुड़ गल्ला समिति, हापुड़ ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा था और उसकी एक प्रति प्रधान मंत्री को भेजी थी।

(ख) और (ग) व्यापारियों के इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है कि उन्हें भूमिगत लागत से कम कीमतों पर खाद्यान्न बेचने के लिये बाध्य किया जाता था। ज़िला मैजिस्ट्रेट मेरठ ने व्यापारियों के प्रतिनिधियों के परामर्श से परिवहन तथा अन्य खर्च का उचित हिसाब रख कर इन खाद्यान्नों के उचित थोक मूल्य निर्धारित किये थे।

उर्वरक का वितरण

386. **श्री हेम राज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गहन खेती तथा रबी फसल की पैदावार के लिये विभिन्न राज्यों को उर्वरक की कितनी मात्रा दी गई है ; और

(ख) इस पर किसानों को किस दर से राज्य सहायता दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) गहन खेती के लिये विभिन्न राज्यों को दी गई मात्रा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--3433 (एक)/64**] जहां तक रबी की फसल का संबंध है राज्य सरकारों को उर्वरक हर तीसरे महीने दिये जाते हैं न कि ऋतु के अनुसार ? हां, विशेष मामलों में गहन कृषि ज़िला कार्यक्रम जिसे पैकेज कार्यक्रम कहा जाता है, के अन्तर्गत खरीफ और रबी की फसलों के लिये चुने हुये ज़िलों में इस्तेमाल के लिये उर्वरक दिया जाता है। रबी फसलों के लिये पैकेज कार्यक्रम के लिये दिये गये उर्वरकों की मात्रा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०--3433 (दो)/64**]

(ख) जानकारी राज्यों से प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा के लिये चीनी का कोटा

387. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य के लिये कितनी चीनी का कोटा मंज़ूर किया गया है।

(ख) 1964-65 के लिये राज्य सरकर ने वास्तव में कितनी चीनी की मांग की है ;

(ग) 30 अक्तूबर, 1964 तक उस राज्य को वास्तव में कितनी चीनी दी गई ; और

(घ) ग्रामीण लोगों में चीनी किस तरीके से बांटी जाती है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण): (क) उड़ीसा राज्य के लिये 4,000 मीट्रिक टन का मासिक कोटा निर्धारित किया गया है। हां, मार्च, 1964 में विभिन्न राज्यों को जो कोटा दिया गया था उसमें 5 प्रतिशत की कटौती की गई थी। नवम्बर 1964 से इस कटौती को हटा लिया गया है।

(ख) ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) 1 नवम्बर, 1963 से 30 अक्तूबर, 1964 तक के लिये उड़ीसा को 47,417 मीट्रिक टन चीनी का कोटा नियत किया गया था । अक्तूबर, में जो कोटा नियत किया गया था वह आधे मास के लिये था ।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी की वितरण स्थानीय अधिकारियों की हिदायतों के अनुसार विभिन्न पंचायत क्षेत्रों में खोली गई खुदरा दुकानों त । जिलों के प्रमुख केन्द्रों पर नियुक्त किये गये खुदरा व्यापारियों द्वारा किया जाता है ।

Legislation on Cooperation

388. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring forth legislation on all-India level to make laws relating to co-operation uniform throughout the country ; and

(b) if so, when it is likely to be effected and the details of its draft ?

The Deputy Minister in the Ministry of Community Development and Cooperation (Shri B.S. Murthy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Khadi Commission

389. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K.N. Tiwary :

Will the Minister of **Social Security** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a demand has been made by the people of the country that the Office of the Khadi Commission should be shifted from Bombay to some central place like Delhi ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Social Security (Shri Jaganatha Rao) : (a) The Government is not aware of any such demand having been made by the people.

(b) Does not arise.

Per Capita Consumption

390. **Shri Bagri :**
Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the daily per capita consumption of (i) cloth, (ii) foodgrains and (iii) milk in the country during the period from 1947 to 1963 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): Three statements containing the available information are attached. [**Placed in Library. See No. Lt. 3434/64**]

रासायनिक उर्वरक का आयात

391. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई मित्र देशों ने हमारे खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रस्ताव किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं और क्या सरकार ने उनके प्रस्ताव को मान लिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) किसी भी मित्र देश ने हमारी रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता को स्वेच्छा से पूरा करने का प्रस्ताव नहीं किया है ।

तथापि, निर्बाध विदेशी मुद्रा की कमी और उर्वरकों के आयात की अधिक आवश्यकता के कारण सरकार को कुछ मित्र देशों से निर्बाध विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त अन्य भुगतान पर उर्वरकों के आयात की सुविधा के लिय कहना पड़ता है । अमरीका और नीदरलैण्ड अपनी सहायता का एक भाग उर्वरकों के आयात पर व्यय करने को राजी हो गये हैं । रूस, जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य और संयुक्त अरब गणराज्य भी उन देशों से व्यापार योजनाओं के अन्तर्गत उर्वरकों के आयात के लिय सहमत हो गये हैं ।

होटल आवास

392. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कजरोलकर :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 और 1966 में विदेशी पर्यटकों की अधिक संख्या में संभावना को देखते हुय भारत में कितने होटल आवास की आवश्यकता होगी ;

(ख) इस समय देश में होटलों में कुल कितना आवास उपलब्ध है ; और

(ग) क्या अब से सभी नये होटलों को वातानुकूलित बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) भारत में होटलों में कुल शैयाओं की क्षमता, जिसको पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों के इस्तेमाल के लिये उपयुक्त समझा है, लगभग 11,500 शैयाएं हैं । कुछ होटल निर्माणाधीन हैं । यह आशा की जाती है कि वर्ष 1964 के अन्त तक, 1,500 अतिरिक्त शैयायें, उपलब्ध हो जायेंगी । यद्यपि, वर्ष 1965 और 1966 में होटलों में शैयाओं की आवश्यकता का ठीक अनुमान लगाना बहुत कठिन है फिर भी यह अनुमान है कि अतिरिक्त विदेशी पर्यटकों के लिये लगभग 2500 अतिरिक्त शैयाओं की आवश्यकता होगी । इसके बाद प्रति वर्ष लगभग 1500 शैयाओं की और आवश्यकता होती रहेगी ।

(ग) जी नहीं । तथापि होटल निर्माताओं को वातानुकूलित होटल बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है ।

Seizure of Foodgrains

393. **Shri M.L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :
Shri S.C. Samanta :
Shir Subodh Hansda :
Shri Vishram Prasad :
Shri Bagri :
Shri Daljit Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total quantity of foodgrains seized, State-wise, as a result of the raids made on the godowns of the farmers and traders during the last six months;

(b) whether in these raids those foodgrains were also seized which were required by the farmers for their domestic consumption and for seeds and if so, the reasons therefore ; and

(c) the reasons for the seizure and auction of foodgrains of persons who had not declared their stocks, but kept them just to meet their normal requirements ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D.R. Chavan) : (a) to (c). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT 3435/64]**

मोटर गाड़ी संचालकों पर कर

394. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री पोट्टेकाट्ट
श्री केप्पन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मोटर गाड़ी संचालकों पर लगे वर्तमान करों की जांच करने के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) यह जांच करने के लिये कि क्या भारत में सड़क परिवहन की प्रगति में मोटर परिवहन पर लगा वर्तमान कर निरुत्साहित है, एक उच्च-शक्ति प्राप्त आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है।

आदिम जाति विकास खंड

395. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम आदिम जाति जनसंख्या वाले क्षेत्र में आदिम जाति विकास खंड स्थापित करने की वर्तमान कसौटी उचित है ;

(ख) क्या वर्तमान खंडों की तुलना में ऐसे भी घनी आदिम जाति जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं जिनको इन परियोजनाओं से बाहर रखा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनको आदिम जाति विकास खंड के लोगों के समान सुविधायें देने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय अपनाये जायेंगे ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :(क) जी, हां। आदिम जाति विकास खंड योजना क्षेत्रवार योजना है और यह उन क्षेत्रों के लिये उपयुक्त नहीं है जहां आदिम जाति वर्ग की जनसंख्या कम है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई भी क्षेत्र आदिम जाति विकास खंडों से बाहर नहीं छोड़ा गया है जहां आदिम जाति जनसंख्या $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत या इससे अधिक है। जो क्षेत्र आदिम जाति विकास खंड में नहीं आते उनमें रहने वाले आदिम जाति के लोगों को (1) सामान्य सामुदायिक विकास खंडों के कार्यक्रम, जो अब समूचे देश में लागू हैं, (2) योजना में सम्मिलित विकास के सामान्य कार्य क्रम; और (3) राज्य और केन्द्रीय दोनों क्षेत्रों में आदिम जाति विकास खंडों की योजनाओं के अतिरिक्त, योजना में शामिल अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये विशेष योजनाओं से लाभ होता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव है कि तृतीय योजना में आदिम जाति विकास खंड के लिए निर्धारित आदिम जाति जनसंख्या के $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत के आधार को चतुर्थ योजना में कम करके 50 प्रतिशत कर दिया जाये। यह भी प्रस्ताव है कि चतुर्थ योजना में सामान्य सामुदायिक विकास खंडों को, जहां पर्याप्त आदिम जाति जनसंख्या के बावजूद 50 प्रतिशत जनसंख्या होने पर भी आदिम जाति विकास खंड नहीं बन सकेंगे, तदर्थ सहायता दी जाये। यह तदर्थ सहायता विशिष्टत: 1000 व्यक्तियों के छोटे छोटे दलों में रहने वाले आदिम जाति के लोगों के हित के लिये दी जायेगी।

कृषि अनुसन्धान पुनरीक्षा दल

396. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियुक्त की गयी कृषि अनुसन्धान पुनरीक्षा दल ने केन्द्र में कृषि तथा खाद्य अनुसन्धान के लिए एक नयी परिषद् स्थापित करने की सिफारिश है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) इस समय यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी कर्मचारियों का दायित्व

397. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में यह सुझाव दिया है कि एक ऐसा विधान बनाया जाये जिसमें राज्य को इसके कर्मचारियों द्वारा की गई उपेक्षा और कदाचार के लिये जिम्मेवार ठहराया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई कानून बनाया जायेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

गन्ने की पिराई

398. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 15 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 590 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलें अक्तूबर, 1964 से गन्ना पेरना आरम्भ कर सकें ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : शीघ्र पिराई के लिये प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अक्तूबर-नवम्बर, 1964 की अवधि में चीनी के उत्पादन पर, जो वर्ष 1962 की तत्वर्ती अवधि में उत्पादित चीनी से अधिक है, मूल उत्पादन-शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी है ।

फसल बीमा योजना

399. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री 15 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 193 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से देश में फसल बीमा योजना लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) फसल बीमा लागू करने के बारे में कानून बनाने के प्रस्ताव के परिणामों की जांच की जा रही है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

400. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बागड़ी :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री 8 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 97 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का वर्ष 1962-63 का प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस को सभा पटल पर कब रखा जायेगा ;

(ग) क्या आयुक्त ने वर्ष 1963-64 का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे दिया है; और

(घ) क्या इन प्रतिवेदनों पर सभा में विचार किया जायेगा ?

सामाजिक सुरक्षा विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) चालू सत्र में ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह आशा है कि आयुक्त के वर्ष 1962-63 के प्रतिवेदन पर चालू सत्र में विचार किया जायेगा ।

Grain Seeds for Rabi Crop

401. **Shri Bagri :**
Shri Vishram Prasad :
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state whether he is aware that grain Seeds for sowing the rabi crop are either not available to the farmers or are available at such high prices as largely increases the cost of production ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan): With a view to ensuring supply of Rabi Seeds to farmers at reasonable prices, some State Governments asked for the assistance of the Government of India in the supply of Rabi Seeds. The quantities of various Seeds arranged to these States on Government to Government account are indicated below :—

I. *Wheat Seeds* —

Name of State	Quantity allocated from Punjab	Quantity despatched upto 11-11-1964
	(Tonnes)	(Tonnes)
1. Bihar . . .	7,000*	2,115
2. Gujarat . . .	7,000	4,327
3. Maharashtra . .	5,000	3,000
4. Rajasthan . .	4,000	4,000
5. Uttar Pradesh .	37,000	34,000
TOTAL	60,000	47,442

*Excluding 180 tonnes allocated from Central Mechanised Farm, Suratgarh.

II. *Other Seeds* :—

The Government of Uttar Pradesh asked for the assistance of the Government of India in the supply of the following quantities of Rabi Seeds from the Punjab :—

Punjab	Tonnes
1. Wheat	21,000
2. Barley	8,000
3. Gram	12,000
4. Peas	9,000
TOTAL	50,000

Subsequently, in view of the high prices of gram, barley and peas, the Government of Uttar Pradesh desired that the entire quantity of 50,000 tonnes might be supplied in the form of wheat. Arrangements could, however, be made for the allotment of only 37,000 tonnes of wheat as the Government of Punjab was unable to spare a larger quantity.

The Government of Gujarat needed 2080 tonnes of gram seeds. They are advised to procure this seed from Punjab and Rajasthan where these were reported to be available.

Tourist Bungalows

402. Shri Naval Prabhakar : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether the Department of Tourism, Government of India, have constructed Bungalows for tourists in Ajanta and Ellora (Maharashtra), Mandu (Madhya Pradesh), Hassan (Mysore) and Kulu (Punjab) and ;

(b) if so, the facilities sought to be provided to the tourists in such Bungalows ?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir. Under the Plan for Tourism, a Tourist Bungalow (Class I) each at Hassan, Mandu and Kulu, a Restaurant-cum-Retiring Room at Ajanta and a Canteen at Ellora have been put up by the Department of Tourism.

(b) These Bungalows are run like semi-hotels. Accommodation is provided in single and double rooms with attached baths. Full bedding is provided. Meals in Indian and Western style are available.

Casual visitors can also avail of Lounge and Dining Room facilities.

At places like Ellora where the tourists mostly visit during the day only, a Canteen has been put up.

Intensive Cultivation in Delhi

403. Shri Naval Prabhakar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the area selected for intensive cultivation in Delhi ;

(b) the number of villages covered by this scheme ; and

(c) the details of facilities to be given to the cultivators ?

The Deptuy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) The entire arable land of 215,000 acres in the territory of Delhi consisting of 5 Development Blocks is to be covered under this programme.

(b) All the 267 villages are proposed to be covered under the programme but the emphasis will be given on different activities in different villages in the light of special potentialities of each village.

(c) The following facilities are given/are proposed to be given to the cultivators under the programme.

(1) Provision of technical guidance and advice to the cultivators by increasing technical staff at various levels.

(2) Arrangement for the supply of quality seeds, fertilizers, insecticides, equipment etc. It is also proposed to set up sale depots in different rural and urban areas.

(3) Augmentation of irrigation facilities, including sewage irrigation.

(4) Arrangements for quick and regular supply of sludge and compost.

(5) Provision of plant protection services to combat the incidence of pests, insects and diseases.

(6) Supply of credit on a larger scale.

उर्वरकों का भांडार

404. श्री दलजीत सिंह : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल सिंदरी तथा रूरकेला कारखानों में हाल में ही उर्वरकों का भांडार इकट्ठा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन भांडारों को वहां से हटाने के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) वास्तव में इन कारखानों में उर्वरकों का भांडार बहुत थोड़ा है तथा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने इनका आवंटन कर दिया है । पर्याप्त वैगन मिलने पर इन भांडारों को संतोषजनक रूप से वहां से अन्य स्थानों पर ले जाया जा रहा है ।

पंजाब में पर्यटन

405. श्री दलजीत सिंह : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में पंजाब में पर्यटन के विकास के लिए कितनी रकम दी गई है अथवा देने का विचार है ;

(ख) क्या भाखड़ा बांध पर जाने वाले पर्यटकों के लिये होटल बनाने तथा अन्य सुविधाओं को उपलब्ध किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पंजाब सरकार को पिंजोटबाग के विकास की दो योजनाओं के लिये तथा कटे रेन के भवन को पर्यटन बंगला बनाने के लिए खरीदने के लिए 75,000 रुपये की सहायता दे दी गई है। तीसरी योजना के भाग 2 में इन दोनों योजनाओं को शामिल किया गया है तथा राज्य सरकार केन्द्र से 50 प्रतिशत सहायता मिलने पर इनको क्रियान्वित किया जा रहा है। पंजाब सरकार से सूचना मिलने के आधार पर 1964-65 के आय-व्ययक में उपरोक्त व्यवस्था की गई थी।

(ख) और (ग) तीसरी योजना में गोबिन्दसागर (भाखड़ा) में पर्यटन सुविधाओं के उपबन्ध के लिए 12 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। भाखड़ा में बोटिंग सुविधाओं के साथ-साथ एक जलपान गृह बनाने तथा पर्यटन होस्टल बनाने का विचार है। पंजाब सरकार, भाखड़ा बांध प्रशासन तथा बिलासपुर की ओर के गोविन्दसागर के बारे में हिमाचल प्रदेश सरकार के परामर्श से इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त स्थान चुने गये हैं। आवश्यक जमीन का अर्जन किया जा रहा है।

एल० सी० टी० की खरीद

406. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में ही अन्दमान प्रशासन के वन विभाग के प्रयोग के लिये पुराने "लैंडिंग क्रैफ्ट ट्रैक्टर" खरीद लिया है, यदि हां, तो उसका मूल्य क्या है ;

(ख) क्या लैंडिंग क्रैफ्ट ट्रैक्टर काम करने योग्य नहीं पाया गया और उसकी सरकारी डाकयार्ड पोर्ट ब्लेयर में मरम्मत हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मरम्मत पर अनुमानतः कितना धन व्यय होगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी हां, । लैंडिंग क्रैफ्ट ट्रैक्टर का खरीद मूल्य 5.75 लाख रुपया है।

(ख) और (ग) जी हां। परन्तु ट्रैक्टर में इस प्रकार के परिवर्तन किये जायेंगे जिससे लैंडिंग क्रैफ्ट ट्रैक्टर भारी लकड़ी के लट्ठे ले जाने योग्य हो जायें। यह परिवर्तन अनुमानतः 1.50 लाख रुपये से किये जायेंगे।

चिरी हुई इमारती लकड़ी के मूल्य

407. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान द्वीप के वन विभाग ने स्थानीय बिक्री तथा द्वीप में खपत के लिये चिरी हुई इमारती लकड़ी के मूल्य निश्चित किये हैं और यह मूल्य कलकत्ता डिपो (भाड़ा, लदान, तथा डिपो भार निकाल कर) में नीलाम से प्राप्त मूल्यों में बहुत अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो स्थानीय बिक्री के लिये ऊंचे मूल्य निश्चित करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो 1 जनवरी, 1964 से कलकता डिपो में बिक रही चिरी हुई इमारती लकड़ी के मूल्य क्या हैं तथा स्थानीय बिक्री के तुलनात्मक मूल्य क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) अन्दमान में चिरी हुई इमारती लकड़ी निश्चित नमूने के आधार पर बिकती है जब कि कलकता डिपो में नीलाम की गई चिरी हुई इमारती लकड़ी अलग अलग आकार की होती हैं। अतः स्थानीय बिक्री की दरें तथा नीलाम से प्राप्त मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जनवरी से अक्तूबर, 1964 तक कलकता डिपो में नीलाम से प्राप्त मूल्यों तथा इसी अवधि के चिरी हुई इमारती लकड़ी के स्थानीय मूल्यों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3436/64]**

पंचायत राज संस्थायें

408. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचायत राज संस्थाओं तथा सहकारी समितियों के कार्यों का समन्वय करने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) विभिन्न स्तरों पर काम कर रही इन संस्थाओं के लिए कितने क्षेत्र में को-टर्मिनस बनाये गये हैं ; और

(ग) क्या सहकारी समितियों में पंचायत राज संस्थाओं का तथा पंचायत राज संस्थाओं में सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था की गई है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) पंचायतों तथा सहकारी समितियों के कार्यकारी वर्ग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने इन दोनों संस्थाओं के बीच समन्वय करने के लिये कई सुझाव दिए हैं । पत्र संख्या 8–24/61 प्लान, दिनांक 1 अक्तूबर, 1962 की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3437/64]**

(ख) प्राइमरी स्तर पर नई सहकारी समितियों का गठन करते समयय ह उद्देश्य होता है कि उनको यथासंभव पंचायतों का "को-टर्मिनस' बनाया जाये । इससे ऊंचे स्तर पर 'को-टर्मिनस' क्षेत्राधिकार रखने संभव नहीं समझे गये ।

(ग) प्राइमरी स्तर पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया है । खंड स्तर पर यह सुझाव दिया गया है कि पंचायत समिति में एक सहकारी उप समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें उपयुक्त सहकारी संगठनों के प्रतिनिधि होने चाहिए । यह सुझाव दिया गया है कि जिला स्तर पर जिला परिषद् के तथा जिला परिषद् में जिला पंचायत के प्रतिनिधि हों ।

नाविकों का भोजन व्यवस्था में प्रशिक्षण

409. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री केप्पन :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों पर भोजन व्यवस्था में नाविकों को प्रशिक्षित करने की योजना लागू करने का कोई प्रस्ताव हैं ;

(ख) प्रत्येक वर्ष कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण की देने आशा है ; और

(ग) प्रशिक्षण केन्द्र कहां पर स्थापित होगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जनवरी 1964 से एक प्रयोगात्मक योजना लागू की गई है जिसके अधीन प्रशिक्षण दिया जाता है :

(एक) वाणिज्यिक नौ-सेना के जहाजों के सलून विभाग में नियुक्ति के लिये प्रति वर्ष 12 गली तथा 16 नान-गेली रेटिंगों का टी० एस० डफरिन, बम्बई पर ; और

(दो) वाणिज्यिक नौ-सेना के जहाजों के लिए भंडारी भोजन पकाने वालों को नियुक्त करने के लिये प्रति वर्ष 32 रेटिंगों का टी० एस० 'भाद्र' पर ।

(ग) अलग सलून प्रशिक्षण केन्द्र बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

अहमदपुर में चीनी कारखाना

410. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में अहमदपुर में चीनी कारखाने खोलने के उद्देश्य से कलकत्ता के नेशनल शूगर मिल्स लिमिटेड को पुनर्वास उद्योग निगम ने कितना ऋण दिया है ;

(ख) ऋण की शर्तें क्या हैं तथा क्या ऋण का कोई भाग वापस लौटा दिया गया है ;

(ग) क्या 1959-60 से उक्त कारखाने को अवक्षयण को निकाल कर लगभग 11 लाख रुपये का नुक्सान हुआ है ; और

(घ) क्या पुनर्वास उद्योग निगम ने नेशनल शूगर मिल्स की वित्तीय स्थिति जानने का तथा दिए गए ऋण की वसूली की संभावनाओं का पता लगाने का कोई प्रयत्न किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) भारत सरकार के पुनर्वास मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को 21 लाख रुपये का ऋण दिया था तथा पुनर्वास उद्योग निगम ने यह ऋण नहीं दिया था । यह ऋण मैसर्स शूगर मिल्स लिमिटेड कलकत्ता को दिया जाना था । इस समेत अन्य ऋण जो राज्य सरकार तथा राज्य वित्त निगम ने इसको दिए थे तथा 1964 का सूद 70 लाख रुपया आता है जो सरकार को उससे लेना है ।

(ख) 21 लाख रुपये का ऋण निम्नलिखित शर्तों पर दिया गया है :

(एक) पश्चिम बंगाल सरकार कम्पनी को ऋण का कोई भाग तब तक नहीं देगी जब तक कम्पनी अपनी निधि में से 21 लाख रुपया न लगा दे । ऋण जमीन, भवन, संयंत्र तथा मशीन पर दिया जायेगा ।

(दो) आवश्यक करार हो जाने पर पुनर्वास वित्त प्रशासन के परामर्श से ऋण दिया जायेगा । यह ऋण 21 लाख रुपये अधिकतम होगा तथा यह कम्पनी की ज़मीन, भवन तथा मशीन आदि की आस्तियों का 50 प्रतिशत ही होगा । यह आस्तियां राज्य सरकार तथा पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा निश्चित की जायेंगी ।

(तीन) ऋण 15 वर्षों में वापस देना होगा तथा उस पर सूद $4\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक होगा । पहले दो वर्षों में साधारण सूद लिया जायेगा तथा ऋण देने के तीसरे वर्ष से ऋण अदायगी शुरू हो जायेगी । सूद समेत ऋण 13 वार्षिक किस्तों में वसूल किया जायेगा । पहली किस्त के रूप में 55337 रुपये का आंशिक भुगतान कर दिया गया है ।

(ग) 1959-60 से अवक्षयण के अतिरिक्त 20 लाख रुपये की हानि हुई है । राज्य सरकार ने ऐसा बताया है ।

(घ) यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

Porters for Unloading of Foodgrains

411. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have requisitioned porters from foreign countries to unload foodgrains from ships ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the number and the rates of wages of foreign porters ?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) No.

(b) & (c). Do not arise.

D. T. U. Buses

412. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) whether a large number of D.T.U. buses in the Capital emit smoke excessively which affects the lungs and is injurious to the health of the people; and

(b) if so, whether any measures for improvement are contemplated in this behalf ?

Minister of Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) Only about 5% of the D. T. U. Buses emit smoke excessively. The smoke emitted is no doubt a nuisance and must be checked by all means possible. However, according to research conducted in U. K., the diesel smoke neither affects the lungs nor it is injurious to health.

(b) Yes, the main causes for emission of smoke, viz., defective fuel engine pumps, injectors and filters, defects in the engine on account of old age and defective driving habits, etc., are constantly receiving attention of the Undertaking.

Stock of Khandsari in U.P.

413. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Gulshan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether stocks of Khandsari worth 16 crores of rupees had been frozen by the Uttar Pradesh Government ;

(b) if so, the usual consumption of Khandsari in U.P.; and

(c) the reasons for which it is not being exported to other States ?

Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri D. R. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise. But the present annual consumption of khandsari in U.P. is estimated around 2·25 lakh tonnes.

(c) Export permits are being granted for quantities of khandsari which are surplus to the requirements of Uttar Pradesh.

टैक्सी का किराया

414. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैक्सी यूनियन की टैक्सी का किराया बढ़ाने की मांग सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में यदि कोई निर्णय किया गया है तो क्या ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). दिल्ली राज्य टैक्सी यूनियन (रजिस्टर्ड) की टैक्सी के किराये बढ़ाने की मांग राज्य परिवहन प्राधिकार के विचाराधीन है ।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

415. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अत्यावश्यक वस्तुओं के ऊंचे मूल्यों के कारण राजधानी तथा अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में उपभोक्ता सहकारी समितियां बनाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : जी हां । उपभोक्त सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने की योजना विचाराधीन है ।

कोचीन पत्तन के लिये क्रेन

416. { **श्री वारियर** :
श्री दाजी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालैंड की फर्म को कोचीन पत्तन के लिये जिस क्रेन का क्रयादेश दिया गया था उसके नमूने में कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं तथा वर्तमान नमूना घटिया श्रेणी का है;

(ख) क्या सरकार ने इस परिवर्तन के बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) स्थिति इस प्रकार है । सरकार ने कोचीन पत्तन के लिये 120 टन के एक फ्लोटिंग-क्रेन के क्रय की स्वीकृति दे दी है । यह स्वीकृति मद्रास पत्तन द्वारा मंगाए गये क्रेन जैसे क्रेन के लिए ही दी गई थी और इसलिए कोचीन पत्तन न्यास ने हालैण्ड की उसी फर्म को क्रयादेश दे दिया जिसने मद्रास पत्तन के लिये क्रेन दिया था । कोचीन पत्तन न्यास का कहना है कि उन्होंने उसी प्रकार के क्रेन के लिये क्रयादेश दिया था जैसा कि मद्रास पत्तन न्यास को दिया गया

था और मद्रास पत्तन के लिये दिये गये क्रेन के नमूने में कोई परिवर्तन नहीं सुझाये गये थे। तथापि कोचीन पत्तन न्यास को मद्रास क्रेन के नमूने तथा हाल में किये गये करार के अनुबन्ध में निर्माताओं द्वारा कोचीन क्रेन के लिये दिये गये नमूने के बीच अन्तर मालूम हुआ। ठेकेदारों ने कोचीन पत्तन न्यास को सूचित किया है कि ये परिवर्तन मूल करार के किये जाने के पश्चात मद्रास समझौते में किये गये परिवर्तनों के कारण हुए हैं। कोचीन पत्तन न्यास इस बारे में मद्रास पत्तन न्यास से ठीक स्थिति का पता लगा रही है। यदि ये परिवर्तन संतोषजनक नहीं पाए गए तो इस मामले में निर्माताओं से बातचीत की जायेगी।

(ख) जी नहीं। इस समय कोचीन पत्तन न्यास इस मामले की जांच कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

समुद्री टापू (सी आइलैंड) कपास की खेती

417. **श्री वारियर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री टापू कपास की खेती में सन्तोषजनक प्रगति हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में हुई प्रगति का क्या ब्यौरा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) मैसूर तथा केरल राज्यों में जहां इस कपास की खेती की जा रही है गत दो वर्षों में इस कपास की खेती वाली भूमि तथा उसके उत्पादन का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	क्षेत्र जिसमें खेती की गयी (एकड़)	क्षेत्र जिसमें फसल काटी गयी	उत्पादन (गाठें)
मैसूर			
1962-63 . .	4,177	3,223	269
1963-64 . . .	8,538	7,462	1,200
केरल			
1962-63 . .	1,052	880	224
1963-64	1,046	925	275

चालू वर्ष (1964-65) में मैसूर और केरल के जिस क्षेत्र में इसकी खेती की गयी वह क्रमश: 17,646 और 3,194 एकड़ है।

मतदान

418. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मतदाताओं को शिक्षित करने एवं नये मतदाताओं का शीघ्र पंजीकरण करने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि वे अपने मतों का उचित प्रयोग कर सकें ;

(ख) क्या मतदाताओं को उनके अधिकार तथा उत्तरदायित्व के विषय में शिक्षित करने के लिये "अखिल भारतीय मतदाता-परिषद्" नाम का कोई स्वैच्छिक संगठन है ; और

(ग) क्या मतदाता सूचियां किसी संगठन/राजनैतिक दल को प्रार्थना पर नि:शुल्क दी जाती हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) गत आम चुनावों से पहले, निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को चिन्ह लगा कर मतदान करने की पद्धति से अवगत कराने के लिये सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से एक फिल्म का निर्माण करवाया जिसका नाम "मतदान कैसे किया जाये" था। यह चल-चित्र अंग्रेजी, हिन्दी, बंगाली, तामिल, तेलूगू, मलयालम, गुजराती, कन्नड, उड़िया, पंजाबी और आसामी भाषाओं में बनाया गया था। उस मंत्रालय के चलचित्र विभाग ने इस चलचित्र के 35 मिलीमीटर तथा 16 मिलीमिटर के चित्रों को राज्यों के अनेक एककों तथा प्रचार संगठनों को प्रदर्शनी हेतु दिया था। और इसके आशाजनक परिणाम निकले। इसके अतिरित आम चुनावों के दौरान निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचक पदाधिकारियों ने फोल्डर छपवाये जिनमें चुनाव-चिह्नों के प्रतिरूप प्रदर्शित किये गये थे और मतदाताओं के लिये अनुदेश भी दिये गये थे ताकि वे एक साथ दो निर्वाचनों के लिये मतदान पत्रों पर चिह्न लगा सकें ये राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन में खड़े होने वाले व्यक्तियों को दिये गये थे। चुनाव के समय वे मतदाताओं तथा चुनाव लड़ने वालों दोनों के लिये लाभदायक थे ।

प्रत्येक आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को घर-घर से जानकारी प्राप्त करके विस्तृत रूप से पुनरीक्षित किया जाता है ।

(ख) सरकार अथवा निर्वाचन आयोग किसी भी प्रकार के "अखिल भारतीय मतदाता परिषद्" नाम के संगठन से अवगत नहीं है ।

(ग) पंजीयन पदाधिकारी प्रत्येक राजनीतिक दल को, जिसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक रूप से चुनाव चिन्ह निर्धारित किया हुआ है, मतदाता सूची के प्रत्येक भाग की दो प्रतियां निशुल्क भेजता है ताकि मतदाता सूचियों के वार्षिक पुनरीक्षण के समय वे अपनी सहायता दे सकें ।

मोटर-गाड़ी नियम

419. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों के ढांचे के निर्माण के लिये समान मोटर-गाड़ी नियम जारी करने की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मोटर गाड़ियों, जिनमें सार्वजनिक गाड़ियां भी सम्मिलित हैं, के निर्माण, उपकरण तथा संधारण सम्बंधी राज्य मोटर गाड़ी नियमों में दिये गये उपबन्धों में पहिले ही समानता है ।

राष्ट्रमंडल चीनी करार

420. **श्री कजरोलकर** :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रमंडल चीनी करार में सम्मिलित होने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या करार की शर्तें हमारे पक्ष में हैं ; और

(ग) स्थानीय बाजार में प्रचलित मूल्य की तुलना में यह मूल्य कैसा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) हमने ब्रिटिश सरकार से निवेदन किया है कि वह भारत को निर्यातकर्ता देश के रूप में राष्ट्रमंडल चीनी करार में सम्मिलित कर ले । मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). राष्ट्रमंडल चीनी करार के अन्तर्गत, ब्रिटिश सरकार चीनी की उल्लिखित मात्रा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से ऊंचे मूल्य पर क्रय करती है । 1964 के लिये निर्धारित किया गया प्रति लांग टन मूल्य 46 पौंड 10 पैन्स है जिसका भाव इस समय विश्व मंडियों में 31 पौंड प्रति लांग टन सी० आई० एफ० यू० के० है (96° आधार) ।

राज्यों को खाद्यान्नों का सम्भरण

421. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र को जनवरी से अगस्त, 1964 तक विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों के सम्भरण करने में कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : लेखे वित्तीय वर्ष के लिये एकत्र किये जाते हैं। अतः जनवरी से अगस्त, 1964 तक की अवधि में केन्द्रीय स्टाकों से खाद्यान्नों के वितरण किये जाने से जो हानि हुई है उसके सही आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। मोटे तौर पर इस अवधि में खाद्यान्नों के विक्रय से 46 करोड़ रुपये की व्यापारिक हानि होने का अनुमान है ।

सामाजिक नीति संकल्प

422. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक सामाजिक नीति संकल्प तैयार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संसद् के समक्ष कब तक रखा जायेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) हां। मामले की जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोदावरी पर पुल

423. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्राचेलम के निकट गोदावरी नदी पर मार्ग-पुल के निर्माण में सीमेंट, लोहा तथा इस्पात के सम्भरण में कमी के कारण किसी प्रकार बाधा पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब इनका आवश्यक मात्रा में आवंटन कर दिया गया है ;

(ग) क्या पुल पर होने वाले अनुमानित व्यय में वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). भद्राचेलम में गोदावरी नदी पर पुल के निर्माण-कार्य की प्रगति में सीमेंट तथा लोहे के सम्भरण में कमी के कारण कोई रुकावट नहीं हुई । पुल के निर्माण कार्य में हाल में 6 जून, 1964 को हुई एक दुर्घटना के कारण रुकावट आई है जबकि लांचिंग ट्रस इस तूफान के कारण नदी में गिर गया ।

(ग) और (घ). सहायक बांधों को छोड़कर, पुल के व्यय का पहिले 66.0 लाख रुपये का अनुमान लगाया गया था, इसका पुनरीक्षित अनुमानित व्यय 97.50 लाख रुपये है (केवल पुल के लिये 74.25 लाख रुपये तथा सहायक बाधों के लिये 23,25 लाख रुपये) ।

मरुस्थल परिरक्षण योजना

424. **श्री यु० सिं० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक मरुस्थल परिरक्षण योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ; और

(ख) योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां): (क) और (ख). राजस्थान मरुस्थल का कृष्यकरण तथा नियंत्रण कार्य 1952 में प्रारम्भ किया गया जिसके लिये एक मरुस्थल वनीकरण केन्द्र खोला गया। इस केन्द्र का यूनेस्को की सहकारिता पर शुष्क क्षेत्र सम्बन्धी गवेषण संस्था के रूप में पुनर्संगठन किया गया है जो कि शुल्क क्षेत्रों की मूलभूत तथा व्यावहारिक समस्याओं का अध्ययन करती है । पूर्वोक्त कार्य में सितम्बर, 1964 तक कुल व्यय करीब 105.10 लाख रुपये हुआ है । केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र गवेषणा संस्था, जोधपुर का संक्षिप्त विवरण "मरुस्थल के खिलाफ युद्ध" नामक पुस्तिका में दिया गया है जो कि लोक सभा के पटल पर पहिले रखी जा चुकी है ।

पश्चिमी अफ्रीका के लिये नौवहन सेवा

425. **श्री अ० व० राघवन** :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्धिया लोगों ने पश्चिमी अफ्रीका के लिये नौवहन सेवायें क्यों बन्द कर दी हैं ; और

(ख) क्या विदेशी नौवहन सेवाओं द्वारा भारत से किसी विशेष प्रकार का सामान अफ्रीका ले जाने से इन्कार करने की कोई शिकायत मिली है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सिन्धिया स्टीम नेविगेशन कम्पनी जो कि भारत से पश्चिमी अफ्रीका के पत्तनों के लिये सीधी नौवहन सेवायें चलाती थी पर्याप्त माल के न मिलने के कारण उसे अपनी सेवाओं को समाप्त करना पड़ा ।

(ख) जी नहीं ।

केरल में कर्मचारी राज्य बीमा योजना

426. **श्री प० कुन्हन् :**
श्री नम्बियार :

क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के पालघाट जिले में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी लाये गये हैं उनकी संख्या क्या है ;

(ख) बीमा किये हुए कर्मचारियों के लिये वर्तमान हस्पतालों में रोगियों के लिये सुरक्षित बिस्तरों की कितनी संख्या है ; और

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों के लिये अधिक बिस्तरों को सुरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 2,300 ।

(ख) 3 सामान्य बिस्तर (जिसमें प्रसूति बिस्तर भी शामिल है) 2 क्षय रोगी बिस्तर ।

(ग) इस समय कोई भी नहीं । अधिक रोगी-बिस्तरों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर तब ही विचार किया जायेगा जब चिकित्सा सेवा बीमा-कृत व्यक्तियों के परिवारों पर भी लागू हो जायेगी ।

नारंगी के बागानों में बीमारी

427. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था को एक गुप्त बीमारी की रोकथाम के, जो कि आसाम के नारंगी बागानों में फैली हुई है, उपायों को सुझाने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषि गवेषणा संस्था ने क्या उपाय सुझाये हैं; और

(ग) आसाम बागानों को इस बीमारी से कितनी हानि पहुंची है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां, आसाम सरकार के अनुरोध पर भारतीय कृषि गवेषणा संस्था का एक विशेषज्ञ दल आसाम राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सिट्रस फलोद्यानों का निरीक्षण के लिये भेजा गया था जो अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हैं ।

(ख) विशेषज्ञ दल आसाम से गत सप्ताह लौट आया है और वह इस समय वहां से एकत्रित की गई सामग्री को जांच कर रहा है ताकि रोग का पता लगाया जा सके तथा उसे दूर करने के उपाय सुझाये जा सकें ।

दल द्वारा किये गये प्रारम्भिक सुझावों से यह पता लगता है कि बहुत से रोग ग्रस्त सिट्रस पेड़ जस्ते की कमी, टहनी विवर्णता, मूल गलन, फंजाई द्वारा उत्पन्न की गई गोदार्ति तथा विषाणु रोगों के व्यापक प्रभाव से ग्रस्त थे । सिट्रस एफिड (एफिड सिट्रिसाइडस) जो रोग फैलाने में बड़ा सहायक होता है, प्रचुर मात्रा में पाया गया । इसके अतिरिक्त रोग ग्रस्त पेड़ों पर रंध्रक का भी बहुत अधिक प्रभाव पाया गया ।

(ग) इन रोगों से आसाम सिट्रस बागानों को किस सीमा तक हानि हुई है उसके बारे में जानकारी देना कठिन है किन्तु भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के दल ने अपने अल्पकालीन दौरे में फलोद्यानों की दशा देख कर जेन्तिया पहाड़ियों में—कामरूप तथा खासी ज़िलों में हुई हानि के अनुमान के आधार पर 10–15 प्रतिशत पेड़ों पर बुरी तरह प्रभाव हुआ है। राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि यह रोग सम्पूर्ण राज्य में फैला हुआ है और कई फलोद्यानों पर बहुत अधिक प्रभाव हुआ है।

दिल्ली व्यापारियों को चेतावनी

429. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन व्यापारियों की कितनी संख्या है जिनको दिल्ली प्रशासन ने खाद्यान्न लाइसेन्स नियंत्रण आदेश के उल्लंघन करने के लिये चेतावनी दी है ;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली में अनाज के व्यापारी खाद्यान्नों का संग्रह करने के लिये बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त भूगृहादि को उपयोग में लाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) अड़तालीस।

(ख) सत्ताईस व्यापारी गैर-लाइसैंस शुदा गोदामों का उपयोग करते हुए पाये गये थे।

(ग) व्यापारियों पर दोषारोपण कर दिया गया है। एक मामला अभियोग चलाने के लिये पुलिस अधीक्षक (अपराध) को भेज दिया गया है और शेष मामलों को अभियोग चलाने के लिये पुलिस के पास भेजने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

बम्बई-बड़ौदा विमान सेवा

430. **श्री छोटूभाई पटेल :** क्या असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई-बड़ौदा विमान सेवा जो कि 12 जून, 1964 से बन्द कर दी गई थी अब पुनः चालू कर दी गई है ;

(ख) क्या बड़ौदा हवाई अड्डे के विमान अवतरण-पथों की मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो मरम्मत कब पूरी हो जायेगी ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). अच्छे मौसम की हवाई-पट्टी का कार्य पहिले मार्च, 1964 के अन्त तक पूरा हो गया था जिसके पश्चात् इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन उस पर अपनी विमान सेवायें चला रहा था। तथापि, मानसून के दौरान भारी वर्षा के परिणामस्वरूप पार्श्व-पथ विमान संचालन के लिए अनुपयुक्त हो गया था और इसलिये बम्बई-बड़ौदा विमान सेवा को जून, 1964 में बन्द करना पड़ा। पार्श्व-पथ अब पुनः डकोटा विमानों के संचालन के लिये तैयार कर दिया गया है और अब इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विमान सेवाओं के लिए उपलब्ध है। तदनुसार, असैनिक उड्डयन महानिदेशक ने कारपोरेशन से कह दिया है कि वे एक परीक्षण-उड़ान कर लें और विमान सेवायें पुनः चालू कर दें।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

431. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने ऐसे स्थान पर सीढ़ियां बनाई हैं जिससे कि इन्द्रपुरी कॉलोनी को जाने वाली सड़क में रुकावट पड़ गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन सीढ़ियों के कारण कॉलोनी के निवासियों को भारी असुविधा हो रही है; और

(ग) क्या कॉलौनी के निवासियों के लिए असुविधा उत्पन्न किये बिना ही संस्था की उद्देश्य प्राप्ति के लिये किसी अन्य साधन की व्यवस्था करने पर विचार किया जा रहा है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित सड़क भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था के परिसर में है । इन्द्रपुरी कॉलोनी में रहने वाले लोगों को निर्बाध रूप से इस सड़क पर होकर आने जाने का अधिकार देने की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे संस्था के कार्य को हानि पहुंचेगी । इसलिये, संस्था के परिसर से हो कर आने जाने वाले अनियंत्रित यातायात को रोकने के लिये संस्था की सड़क के अन्त पर सीढ़ियों का निर्माण आवश्वक हो गया था ।

(ग) जी, हां । शंकर रोड और पूसा रोड के चौराहे से इन्द्रपुरी हो कर नारायण गांव तक एक दूसरी सड़क का निर्माण किया जा रहा है ।

दिल्ली प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

432. **श्री हेम राज :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री दिनांक 8 सितम्बर, 1964 के आतारांकित प्रश्न संख्या 117 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य रूप से सरकारी कार्यक्रम और विशेष रूप से पांच विशिष्ट प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में लोगों की धारणा और उनके समर्थन के अध्ययन के सम्बन्ध में भारतीय लोक प्रशासन संस्था का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं; और

(ग) क्या प्रतिवेदन तथा स्वीकृत सिफारिशों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० स० मर्ति) :(क) जी, नहीं । प्रतिवेदन अभी तक तैयार नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भूमिहीन कृषि श्रमिक

433. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उतर प्रदेश में भूदान तथा ग्रामदान भूमियों पर भूमिहीन कृषि-श्रमिकों को बसाने की योजना में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या नियमों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण इस योजना की क्रियान्विति में बिलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो नियमों को तैयार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भूदान तथा ग्रामदान भूमियों पर भूमिहीन कृषि श्रमिकों को बसाने के सम्बन्ध में भारत सरकार को उत्तर प्रदेश से कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, ग्रामदान तथा भूदान क्षेत्रों सम्बन्धी विशेष योजना के अधीन सात सहकारी कृषि समितियों को सहायता देने के लिये 1963-64 में राज्य सरकार को 68,000 रुपया मंजूर किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में मीन क्षेत्र

434. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य धन की वृद्धि करने की सम्भावनाओं की खोज करने के लिये उत्तर प्रदेश की नदियों का एक सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इस वर्ष सर्वेक्षण के लिये कौन सी नदियां चुनी गई हैं ; और

(ग) इस परियोजना के लिये कितनी धन राशि मंजूर की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :(क) और (ख) केन्द्रीय अन्तदशीय मीन क्षेत्र अनुसन्धान संस्था, बैरकपुर, उत्तर प्रदेश की नदियों का, विशेष रूप से गंगा तथा जमुना का, सवक्षण करती रही है । इस कार्य में निम्नलिखित बातें की जाती रही हैं :—

(एक) वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण मछलियों के जैव-अध्ययन के लिये सामग्री एकत्रित करना ।

(दो) पारिस्थितिक अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन ।

(तीन) फिंगरलिंग्स पर टगिंग प्रयोग ।

(चार) मीन क्षेत्र में मीन-जनन दर तथा विभिन्न आयु-वर्ग की प्रतिशतता का अनुमान लगाने के लिये अध्ययन ।

(पांच) उत्पादी बड़े कार्य सीड कलैक्शन केन्द्रों का पता लगाने के लिए अनुसन्धान ।

(ग) क्योंकि उत्तर प्रदेश की नदियों का सर्वेक्षण इस संस्था के व्यापक कार्यक्रम का एक अंग है जिस में अन्य प्रदेश भी सम्मिलित हैं अत: अकेले उत्तर प्रदेश की नदियों के सर्वेक्षण के लिये मंजूर की गई धन राशि को पृथक् रूप से बताना सम्भव नहीं है ।

विमान दुर्घटनायें

435. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1964 से लेकर 31 अक्तूबर, 1964 तक कितनी विमान दुर्घटनायें हुईं;

(ख) उनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये ;

(ग) क्या मृतकों के उत्तराधिकारियों को इसके लिये कोई प्रतिकर दिया गया है ; और

(घ) भविष्य में विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख): अगस्त, 1964 से 31 अक्तूबर, 1964 की अवधि के दौरान, पांच भारतीय पंजीकृत विमान भारत में दुर्घटनाग्रस्त हुए जिसके परिणाम स्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी।

(ग) यह जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(घ) समस्त विमान दुर्घटनाओं और भयानक घटनाओं की जांच की जाती है और जांच से जिस किसी दोष का पता लगता है उसे दूर करने के लिये कार्यवाही की जाती है ।

उत्तर प्रदेश में सड़कें

436 **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि की वित्तीय सहायता से उत्तर प्रदेश में जो सड़क परियोजनायें निर्माण के लिये मंजूर की गई थीं उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) अब तक इन में से कितनी पूरी हो गई हैं ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिस में तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि की सहायता से उत्तर प्रदेश में जिन सड़कों तथा पुलों के निर्माण कार्य मंजूर किये गये थे उन के नाम दिये हुए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—3438/64]**

(ख) इन निर्माण कार्यों में से केवल एक एक कार्य अर्थात् देहरादून जिले में ऋषिकेश-देहरादून सड़क पर झक्कन के ऊपर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण, अभी तक पूरा हो पाया है ।

दुग्ध समाहार की लन्दन पद्धति

437. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली दुग्ध योजना के लिये दुग्ध समाहार की लन्दन पद्धति को अपनाने का है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या ब्यौरे हैं; और

(ग) सरकार का विचार योजना को किस प्रकार क्रियान्वित करने का है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

वन्य-पशु आश्रयस्थल[1]

438 . **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंहों को देखने के लिये गुजरात राज्य के गिर वनों में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सरकार द्वारा 'सिंहों के साथ एक दिन' नाम की एक योजना चलाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और यह किस प्रकार चलाई जायेगी और क्या देश के अन्य वन्य-पशु आश्रयस्थलों के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की योजनायें चलाई जायेंगी ?

[1]Game Sanctuaries.

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) (क) और (ख) : भारत में केवल गिर ही एक ऐसा वन्य-पशु आश्रयस्थल है जहां कि पर्यटक सिहों को देख सकते हैं। अत: यह पर्यटकों को आकर्षित करने का एक महत् साधन है।

गुजरात सरकार ने गिर वनों में सिहों को देखने के लिये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये एक प्रचार आन्दोलन चलाया है। इस प्रचार आन्दोलन का नाम 'सिहों के साथ एक दिन' रखा गया है।

पर्यटन के विकास के लिये तृतीय योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को जूनागढ़ और केशोंद "हवाई अड्डे से सस्सन गिर तक पर्यटकों के उपयोग के लिए चार परिवहन गाड़ियां खरीदने के लिये 80,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी है। सस्सन गिर में राज्य सरकार के विद्यमान वन आश्रयस्थल (रेस्ट हाउस) का सुधार तथा नवीकरण करने के लिये राज्य सरकार को 50,000 रुपये की और आर्थिक सहायता दी गई है। इसमें आश्रय-स्थल (रेस्ट हाउस) पर जल सम्भरण की उचित व्यवस्था भी सम्मिलित है। गुजरात सरकार क्षेत्र प्रचार आन्दोलन द्वारा एवं पर्यटकों को अन्य सुविधायें प्रदान कर के पर्यटकों में गिर वनों को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये अग्रेत्तर कार्यवाही कर रही है।

क्योंकि केवल गिर ही भारत में एक ऐसा वन्य पशु आश्रय-स्थल है जहां कि सिहों को देखा जा सकता है, अत: अन्य वन्य पशु आश्रय-स्थलों का प्रचार सिहों को देखने की दृष्टि से नहीं किया जा सकता। तथापि, अनेक वन्य-पशु आश्रय-स्थल, जैसे कि कोरबैट नेशनल पार्क, कज़ीरंग, पेरियार, मदुभलाई, घना पक्षी आश्रय स्थल अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं और पर्यटन के विकास के लिये तृतीय योजना के अधीन इन आश्रयस्थलों में उचित स्थान, परिवहन, प्रदर्शक सेवा आदि के रूप में आवश्यक सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

सहकारी पर्यवेक्षक

439. **श्री द० ब० राजू** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सघन कृषि जिला कार्यक्रम क्षेत्रों में विद्यमान खंडों के समामेलन के परिणामस्वरूप सहकारी पर्यवेक्षकों के लिये राजसाहाय्य देने में कोई परिवर्तन किया जायेगा ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : सघन कृषि जिला कार्यक्रम क्षेत्रों में खंडों के समामेलन का कोई प्रस्ताव नहीं है। आंध्र प्रदेश के केवल पश्चिम गोदावरी जिले में, जो कि एक सघन कृषि जिला कार्यक्रम क्षेत्र है, पुनर्गठन के निर्माण स्वरूप जिले के 25 खण्ड घटकर 16 खंड बना दिये गये हैं। सम्पन्न कृषि जिला कार्यक्रम क्षेत्रों में सहकारी पर्यवेक्षकों के लिये राजसहाय्य में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपभोक्ता सहकारी स्टोर

440. **श्री हेमराज** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजधानी में कितने उपभोक्ता सहकारी स्टोर प्रारम्भ किये गये हैं तथा किन किन तिथियों को;

(ख) उन में से कितने स्टोरों ने जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं का मूल्य कम बनाये रखने में उचित रूप से कार्य किया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उन में से अधिकांश समुदाय के लिये उपयोगी होने के बजाय केवल कागज पर ही नाम मात्र के स्टोर हैं; यदि हां, तो उस प्रकार के स्टोर कितने हैं तथा उन के क्या नाम हैं ; और

(घ) उन में से कौन कौन से चोर बाजारी करते हुए तथा अन्य कुरीतियों में रत पाये गये हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) दिल्ली में अभी तक 271 उपभोक्ता स्टोर खोले गये हैं। एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिस में उन के पंजीकरण की तिथियां दी हुई हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3439/64]**।

(ख) और (ग). 271 उपभोक्ता स्टोरों में से 210 उपभोक्ता स्टोर कार्य कर रहे हैं और उपभोक्ता वस्तुओं का सम्भरण कर रहे हैं। इन स्टोरों की कुल मासिक बिक्री लगभग 25 लाख रुपये है जिस से पता चलता है कि वे अपना कार्य कर रहे हैं तथा उपभोक्ताओं को वस्तुएं दे रहे हैं।

(घ) छः सहकारी स्टोरों पर भ्रष्टाचार का सन्देह किया गया है। इनमें से एक, अर्थात् दिल्ली स्टेट सेन्ट्रल कोऑपरेटिव स्टोर पर अनधिकृत स्थानों से गुड़ की बिक्री तथा लोहे और इस्पात की चोर बाजारी के आरोपों को लगाकर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया है। अन्य पांच स्टोरों के मामले में पंजीयक द्वारा परिनियत जांच का आदेश दे दिया गया है ; उनके नाम यह हैं :—

(एक) ट्रेडर्स कोऑपरेटिव स्टोर लिमिटेड

(दो) दिल्ली ग्रेन डिस्ट्रीब्यूटिंग कोऑपरेटिव सप्लाई सोसाइटी

(तीन) ऑटो इंडिया कोऑपरेटिव सप्लाई सोसाइटी

(चार) मंगला कोऑपरेटिव स्टोर

(पांच) परचून दुकानदार कोऑपरेटिव सप्लाई सोसाइटी ।

बम्बई पत्तन

441. **श्री कजरोलकर** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन के विकास के लिए एक बृहद् योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किस को सौंपा गया था और उनके प्रतिवेदन के कब प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) क्या यातायात में पूर्वानुमानित वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अतिरिक्त बर्थ तथा नौमांड को उतारने चढ़ाने की क्षमता के लिये उचित व्यवस्था की जा रही है ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बम्बई भविष्य में पत्तन के विकास के लिए एक वृहद् योजना तैयार की जा रही है ?

(ख) यह कार्य पत्तन न्यास सलाहकार इंजीनियर्स, मेसर्स बर्टलिन विलट्न तथा बैल को सौंप दिया गया है और 1967 के मध्य तक पूरा हो जायेगा।

(ग) जी, हां ।

मुख्य चुनाव आयुक्त की अमरीका यात्रा

442. **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने वहां हो रहे राष्ट्रपति के चुनाव को देखने के लिये भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा उन के चुनाव विशेषज्ञ दल को निमंत्रण भेजा था ;

(ख) क्या सरकार ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था तथा दल अमरीका गया था ; और

(ग) यदि हां, तो वापिसी पर यदि इस दल ने कोई प्रतिवेदन दिया है तो उस की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). मुख्य चुनाव आयुक्त तथा तीन अन्य अधिकारी अमरीकी सरकार के निमंत्रण पर वहां हुए राष्ट्रपति के चुनाव को देखने के लिये अमरीका गये थे ।

(ग) क्योंकि इसका आशय अध्ययन करना नहीं था इसलिये इसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्याज निर्जल करने वाले कारखाने

443. **श्री म० ल० जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में प्याज निर्जल करने वाले कारखानों की स्थापना के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) कितने कारखानों में कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ग) क्या कारखाने लाभ पर चल रहे हैं और क्या उन में हुए उत्पादन की मण्डियों में भारी मांग है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अब तक प्याज निर्जल करने वाले कारखानों की स्थापना के लिये केवल एक ही लाइसेंस दिया गया है ।

(ख) इस कारखाने में अभी संयंत्र तथा उपकरण लगाया जाना है ।

(ग) निर्जलित प्याज भारी मात्रा में आयात किया जाता है ।

अनाज की वसूली

444. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की हिदायत के अनुसार अनाज वसूली में एकाधिकार स्थापित करने के लिये कुछ राज्यों ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने, तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या अन्य राज्यों ने नई फसल के आने पर एक विशेष सीमा तक अनाज वसूली के लिये वचन दिये हैं, यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के बारे में वह सीमा क्या ह ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की ओर से आने वाली फसल से किस मात्रा में अनाज की वसूली की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) अनाज वसूली में एकाधिकार स्थापित करने के लिये राज्य सरकारों को कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). गेहूं की वसूली के लिये लक्ष्य निर्धारित करना अभी सम्भव नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार की ओर से चावल की वसूली के लिये इस प्रकार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :—

आंध्र प्रदेश	8 लाख टन
मद्रास .	2 लाख टन
मध्य प्रदेश	4 लाख टन
उड़ीसा . .	3 लाख टन
पंजाब . .	2.5 लाख टन
कुल	19.5 लाख टन

पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारें क्रमशः 3 लाख तथा 2 लाख टन चावल तथा आसाम राज्य सरकार 4 लाख टन धान अपनी ओर से खरीदेंगी।

महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारें स्वयं अपनी ओर से मोटा अनाज खरीदेंगीं ।

गोहाटी हवाई अड्डा

445. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गोहाटी हवाई अड्डे पर विश्रामकक्ष की असन्तोषजनक ढंग से देखरेख तथा उससे सम्बन्धित भोजनालय द्वारा घटिया किस्म के खाद्य पदार्थों के दिये जाने की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हमें स्थान की कमी विश्रामकक्ष की उचित प्रकार से देखरेख न किये जाने तथा भोजनालय द्वारा अच्छी किस्म का भोजन न दिये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(ख) इन कमियों को दूर करने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है।

पैकेज प्रोग्राम

446. **श्री यु० सिं० चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पैकेज प्रोग्राम की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) जिन राज्य सरकारों ने खाद्य उत्पादन के लिये इस कार्यक्रम को अपना लिया है उन की संख्या क्या है ; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले विशेष क्षेत्र के लिये सरकार कितना अंशदान देगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 3440/64]।

दस्तकारी

447. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सामाजिक सुरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में दस्तकारी के विकास का कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव): (क) और (ख). लघु उद्योग, दस्तकारी तथा रेशम कीट पालन कार्यकारी दल द्वारा नियुक्त किये गये दस्तकारी सम्बंधी उपदल ने कार्यकारी दल को अपना प्रतिवेदन दे दिया है जो इस पर विचार कर रहा है।

दो बार टोंड दूध

448. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना दो बार टोंड दूध के उत्पादन तथा विक्रय के लिये एक परियोजना चालू करने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का स्वरूप क्या है और जनसाधारण के लिये दूध के बिक्री पर कब तक मिलने की संभावना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां।

(ख) खाद्य तथा कृषि संगठन के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत सरकार के साथ एक करार किया है जिसके अन्तर्गत दिल्ली की गरीब जनता के लिये दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दो बार टोंड दूध का उत्पादन किया जायेगा। आगामी वर्ष में विश्व खाद्य कार्यक्रम दो बार टोंड दूध के उत्पादन के लिये 850 मीट्रिक टन स्प्रे द्वारा शुष्क किये गये दूध का पाऊडर देगा, जिसमें 1.5 प्रतिशत चर्बी तथा 9 प्रतिशत से कम चर्बी रहित ठोस पदार्थ (सालिड्स-नाट-फैट) न हों। ऐसा अनुमान है कि

दो बार टोंड दूध का लगभग 25,000 से 30,000 लिटर प्रति दिन उत्पादन होगा। इस दूध को $\frac{1}{2}$ लिटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से बांटा जायेगा। परियोजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है तथा दो बार टोंड दूध का संभरण लगभग अप्रैल 1965 से आरम्भ हो जायेगा।

किसानों के लिये ऋण

449. **डा० महादेव प्रसाद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है कि किसान उत्पादन बढ़ाने के लिये उनको दिये गये अल्पकालीन ऋणों का किस प्रकार प्रयोग करते हैं ;

(ख) क्या ऐसा देखा गया है कि बहुत से किसान प्रायः उस ऋण के अधिकतर भाग का प्रयोग अनुपाती तथा उत्पादन वृद्धि से सम्बंध न रखने वाले प्रयोजनों के लिये करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किये जाने का विचार है जिससे कि किसान, उक्त ऋण को उसी प्रयोजन के लिये प्रयोग में ला सकें जिसके लिये उन्हें वह ऋण दिया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). अल्पकालीन ऋण राज्य सरकारों को इसलिये दिया जाता है ताकि वे उनसे उर्वरक, बढ़िया किस्म के बीज तथा कीट-नाशक पदार्थ खरीद कर किसानों को उधार पर दे सकें। वास्तव में राज्य सरकारें यह ऋण प्रायः वस्तु रूप में देती हैं। वे यह भी देखती हैं कि उस ऋण का प्रयोग किसान उसी प्रयोजन के लिये करें जिसके लिये वह उनको दिया गया है।

योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने 1962 में सहकारी ऋणों के प्रयोग के बारे में अध्ययन किया था। इस अध्ययन से यह पता चला है कि वास्तव में अल्पकालीन कृषि प्रयोजन के लिये उधार ली गई राशि का 75 प्रतिशत ही प्रयोग में लाया जाता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विद्रोही नागाओं द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की ओर कथित प्रस्थान

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"1700 नागा विद्रोहियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की ओर कथित प्रस्थान तथा उनके द्वारा ग्रामवासियों से धन की बलपूर्वक वसूली।"

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू): 300 नागाओं का एक दल लगभग 27 अक्तूबर को नागालैण्ड की सीमाएं पार करके मणिपुर होता हुआ, बर्मा में दाखिल हुआ। मणिपुर से होकर जाते हुए, 200 का एक और दल इसमें आ मिला। लगभग 1000 के एक और बड़े दल के, बर्मा में सोमरा क्षेत्र से 30 मील, दक्षिण में इक्ट्ठा होने की रिपोर्ट मिली है। सभी दल तद्पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़े, सिवाए एक छोटे से दल के, जो मणिपुर लौट आया है।

जैसा कि सदन को ज्ञात है 18 नवम्बर को वैदेशिक कार्य के मंत्री ने अन्य बातों के साथ, विद्रोही नागाओं के पूर्वी पाकिस्तान की ओर कहीं गई यात्रा के विषय में, एक वक्तव्य दिया था।

[डा० द० स० राजू]

उन्होंने कहा था कि यह बात निश्चित तौर पर उस समझौते की भावना के विरुद्ध थी, जिसके फलस्वरूप नागालैंड में 6 सितम्बर को कार्यवाही स्थगित की गई थी। चेदेमा में हुई बातचीत के दौरान में, हमने छुपे नागाओं के इस पग का असंदिग्ध तौर पर विरोध किया है, और शांति मिशन ने, उन छुपे नेताओं पर व्यक्त कर दिया था, कि उन्होंने इस मामले को बहुत गम्भीर माना है।

नागा विद्रोहियों के विरुद्ध कार्यवाही स्थगित करने संबंधी वार्ता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से इन दलों का आना जाना शुरू हुआ। इस क्षेत्र से लगते हुए तीन मील के क्षेत्र में सेना की टुकड़ियां गश्त लगाती हैं क्योंकि समझौते के अन्तर्गत बाहर से हथियार लाने की अनुमति नहीं है फिर भी कुछ विशेष मामलों में अवैध प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को रोकना संभव नहीं होता।

14 नवम्बर को हमारे गश्ती-दस्ते ने लगभग 40 नागाओं के, पाकिस्तान को गए दल को विदा कह लौटते, एक दल का दक्षिण पूर्व मणिपुर में सामाना किया। मणिपुर, शांति के लिए बातचीत के अन्तर्गत, क्षेत्र से बाहर है। दोनों ओर से गोलियां चली। जिसमें 12 विद्रोही मारे गए और 20 घायल हुए। एक हल्की मशीनगन और 5 राइफलें हाथ लगीं थीं। हमारी ओर का कोई हताहत नहीं हुआ।

कार्यवाही स्थगित करने के समझौते की शर्तों के अन्तर्गत, छुपे नागाओं ने अन्य बातों के साथ, इस बात का भी वचन दिया था कि वह जुर्माने, अपहरण, और भर्ती नहीं करेंगे, और न ही हथियार ले कर, अथवा वर्दियां पहन कर, गैराबाद क्षेत्रों में घूमें फिरेंगे।

धन इकट्ठा करना :

जब से बातचीत शुरू हुई है, विद्रोहियों के दल नागालैंड के प्राय: प्रत्येक क्षेत्र में धन मांगने के लिए ग्रामों में जाते रहे हैं। परन्तु बल प्रयोग की कोई शिकायत नहीं मिली।

हाल में शांति मिशन को विद्रोही नागाओं द्वारा, कार्यवाही स्थगन समझौते की शर्तें भंग करने संबंधी, घटनाओं की एक सूची दी गई है जिसमें बलात धन और खाद्य पदार्थ इक्ट्ठा करने के उदाहरण सम्मिलित हैं। शांति मिशन को कहा गया है, कि उल्लंघनों को वह छुपे नेताओं के सामने रखे, और अपने असर रसूख से उनकी रोक थाम करे, कि शांति के लिए बातचीत सफलता से हो सके।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि ये नागा विद्रोही पूर्वी पाकिस्तान की ओर इसलिये प्रस्थान कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें हथियार देने का आश्वासन दिया हुआ है ताकि वे नागालैंड में अधिक उत्पात मचा सकें ? यदि हां, तो इस मामले में पाकिस्तान से उच्च स्तर पर बातचीत करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण): यह सच है कि एक-दो बार पहले भी इन लोगों के गिरोह शस्त्र सहायता आदि प्राप्त करने के लिये पूर्वी पाकिस्तान गये थे और इस बार भी वे उसी दिशा में जा रहे हैं। मेरी राय में इस मामले में पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की गई है।

श्री स० मो० बनर्जी : पाकिस्तान जानबूझ कर नागा विद्रोहियों को शस्त्र सहायता दे रहा है ताकि वे अधिक उत्पात मचा सकें। मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि क्या यह मामला उच्च स्तर पर पाकिस्तान के साथ उठाया गया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : एक बार पहले हमने इस बारे में अपना विरोध प्रकट किया था, परन्तु पाकिस्तान सरकार ने इसे मानने से इन्कार कर दिया ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा यह देखने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं कि शांति वार्ता के अवसर से लाभ उठा कर नागा विद्रोही शस्त्रास्त्र जमा न कर सकें अथवा ऐसा करने के उनके प्रयत्नों को निष्फल किया जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में प्रतिरक्षा मंत्रालय ऐसे कोई कदम नहीं उठा सकता है । प्रतिरक्षा मंत्रालय सुरक्षा सेना के माध्यम से अपनी ओर से समझौते का पालन करा सकता है । समझौते के अनुसार हम उनका अन्दरूनी भाग में आना जाना नहीं रोक सकते हैं । परन्तु उन्हें सीमा से बाहर न जाने देने की पूरी कोशिश की जाती है ।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : क्या शांति वार्ता की शर्तों के अनुसार तीन मील का गश्ती क्षेत्र नागालैन्ड तथा बर्मा के बीच की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक ही सीमित है तथा मनीपुर और बर्मा के बीच की सीमा इसके अन्तर्गत नहीं आती है जिसके कारण नागा विद्रोही बच कर निकल जाते हैं ? यदि हां, तो क्या वहां पर भी गश्ती टुकड़ियों की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बर्मा तथा नागालैंड के बीच तीन मील के क्षेत्र में सुरक्षा सेना द्वारा गश्त लगाई जाती है । हम उनका मनीपुर की सीमा में भी पीछा कर सकते हैं और जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है 14 नवम्बर को जो घटना हुई थी वह मनीपुर की सीमा में ही हुई थी ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इस बारे में बहुत चिन्ता है क्योंकि वे लोग बहुत बड़ी संख्या में बाहर जा रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसका कारण यह है कि ये लोग दो दो अथवा तीन तीन की संख्या में प्रस्थान करते हैं और किसी एक स्थान पर भारी संख्या में आ मिलते हैं ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में--(प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (Query)

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मारमागाओ पत्तन में हुई हड़ताल हुए 6 दिन व्यतीत हो गये हैं । वहां पर एक प्रदर्शनी होने वाली है जिसे अन्य देशों के लोग भी देखने आयेंगे । ऐसे समय वहां पर बड़े पैमाने पर हड़ताल चल रही है । यह बहुत गम्भीर मामला है । मेरी ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में अभी कोई उत्तर नहीं दिया गया है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को यह जानकारी प्राप्त करने में कितना समय लगेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : हमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी और जहां तक मेरा विचार है उसमें से कुछ लोक सभा सचिवालय को भेज दी गई थी । नवीनतम जानकारी यह है कि औसतन 18000 टन कच्चे लोहे तथा अन्य माल के लादे तथा उतारे जाने की तुलना में इस समय औसतन 11000 टन माल उठाया जा रहा है और अधिकतर श्रमिक काम पर आते हैं । कुछ गड़बड़ हुई थी . . .

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री राज बहादुर : मुझे इसके लिये खेद है ।

श्री नाथ पाई : श्रीमन्, क्या मेरा प्रस्ताव गृहीत किया जायेगा अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्रालय से जानकारी प्राप्त होने से पहले मैं कुछ नहीं बता सकता । क्या यह जानकारी लोक-सभा सचिवालय को भेज दी गई है ?

श्री राज बहादुर : श्रम मंत्रालय भी इस मामले पर विचार कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : जानकारी मुझे दिन में भेज दी जाये और यदि आवश्यक हुआ तो इस प्रस्ताव को ले लिया जायेगा ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : केरल में बड़े पैमाने पर नागरिकों की गिरफ्तारी तथा उनके अन्य अधिकारों के दमन के बारे में मैंने एक सूचना भेजी थी और आपने कहा था कि 24 घंटे के अन्दर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करली जायेगी

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रकार कोई बात नहीं उठा सकते । मैंने सरकार को यह जानकारी बहुत जल्दी प्राप्त करने के लिये कहा है । मुझे इस बीच पांच छः पूर्व सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । उनके बारे में शीघ्र जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जायेगी । परन्तु माननीय सदस्यों को इस प्रकार कोई बात नहीं उठानी चाहिए, अन्यथा मुझे कोई अन्य उपाय करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा । कभी कभी अच्छी संचार व्यवस्था के अभाव में सरकार को जानकारी प्राप्त करने में देर लग जाती है । इसलिये माननीय सदस्यों को संतोष से काम लेना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : समाचारपत्रों के अनुसार हाउस सर्जनों ने हड़ताल समाप्त कर दी है । अब तो स्वास्थ्य मंत्री को इस महत्वपूर्ण विषय पर यहां पर एक वक्तव्य देने के लिए कहा जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जायेगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID OF THE TABLE

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (पांचवां संशोधन) नियम

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 7 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1594 में प्रकाशित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (पांचवां संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3425/64]**

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का प्रतिवेदन

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं श्रीमती चन्द्रशेखर की ओर से संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अन्तर्गत वर्ष 1962-63 के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन (भाग 1 और 2) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 3426/64]**

राज्य सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित सूचना देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे बीज विधेयक, 1964, जो राज्य सभा द्वारा 18 नवम्बर, 1964 को पारित किया गया है, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश मिला है।"

बीज विधेयक
SEEDS BILL
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में

सचिव : श्रीमन्, मैं राज्य सभा द्वारा पारित किये गये बीज विधेयक, 1964 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (केरल), 1964-65
DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA), 1964-65

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से वर्ष 1964-65 के लिये केरल राज्य के बारे में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दिखाने वाला विवरण प्रस्तुत करता हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव---जारी
MOTION *RE* : INTERNATIONAL SITUATION—*contd.*

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : मैं कल कह रहा था कि मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति देने के लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। सभा में अनेक विचारधाराएं व्यक्त की गई हैं। भारत की विदेश नीति का निरपेक्ष रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है हमारी विदेश नीति अधिक सफल सिद्ध नहीं हुई है। विदेश नीति के बारे में उल्लेख करते हुए तथाकथित तटस्थता की नीति का विश्लेषण करना भी आवश्यक हो जाता है परन्तु मैं इस पर बाद में अपने विचार व्यक्त करूंगा। हालांकि प्रत्येक देश का अपना विदेश मंत्रालय होता है परन्तु आधा दर्जन से भी कम देश ही ऐसे हैं जिनकी विदेश नीति नाम की कोई नीति है। उन में अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस के नाम आते हैं और अभी हाल में साम्यवादी चीन भी एक निश्चित विदेश नीति वाले देशों की सूची में शामिल हो गया है। इसका अर्थ यह है कि विदेश नीति बहुत मंहगी पड़ती है और सब देश इस को नहीं रख सकते। केवल वही देश विदेश नीति रख सकते हैं जिन्होंने अपनी घरेलू समस्याएं हल कर ली हों। श्री नेहरू ने एक विदेश नीति निर्धारित करते हुए इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि देश की बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं।

आजादी के बाद देश के सामने बहुत सी कठिनाइयां थी। एक यह थी कि देश में विदेशी बस्तियों को कैसे हटाया जाये। इन में कुछ बस्तियां फ्रांस की थी। इस के बाद खाद्यान्न की समस्या थी कि लोगों को खाद्यान्न कैसे दिया जाये। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि अपनी विदेश नीति

[श्री शिकरे]

से हमने अधिकांश पश्चिमी ताकतों को अपने विरुद्ध कर लिया है। जब हम ने गोआ को आजाद किया, तो उन्होंने इस पर आलोचना की थी। श्री स्टीवेन्सन ने कहा था कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीकों का प्रचार करते हैं किन्तु गोआ में हमने बल का प्रयोग किया।

1962 में चीन के आक्रमण के बाद, वह हमारे लिए एक वास्तविक खतरा बन गया है। किन्तु मैं यह नहीं समझता कि अणु बम के विस्फोट से वह खतरा बढ गया है। वर्तमान परिस्थितियों में निकट भविष्य में भारत के चीन से अधिक शक्तिशाली बन जाने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए चीन को भारत के विरुद्ध अणुशस्त्र प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। किन्तु मेरी राय यह है कि भारत को अपनी सेना के लिए आधुनिक शस्त्र जिस में अणु शस्त्र भी हों अवश्य बनाने चाहियें। हमें आत्म संतुष्टि से नहीं बैठ जाना चाहिये बल्कि सतर्क रहना चाहिये।

अब मैं तटस्थता की नीति को लेता हूं। इस नीति के दो कारण बतलाये जाते हैं। एक यह कि भारत किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहता और दूसरा वह हर अन्तर्राष्ट्रीय मामले में अपना निर्णय स्वतंत्र रखना चाहता है। मेरे विचार में ये दोनों चीजें सम्भव नहीं हैं। क्या अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने अलग निर्णय देना व्यवहार्य या स्वीकार्य है ?

मैंने अपने स्थानापन्न प्रस्ताव में विदेश नीति के पुनरीक्षण की मांग की है। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री देश की घरेलू समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करें। यह एक ही तरीका है जिससे हम अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भी सहायता कर सकते हैं।

श्री खाड़िलकर (खेड़) : गत सत्र के बाद विश्व में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं। श्री ख्रुश्चेव का हट जाना और चीन के अणुबम का विस्फोट करना दो ऐसी घटनायें हैं। पहली घटना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रूस में नया नेतागण पैदा हो गया है। यद्यपि उन्होंने हमें निरन्तर मैत्री का आश्वासन दिया है फिर भी हम उन घटनाओं की पृष्ठभूमि की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह परिवर्तन विभिन्न समाजवादी देशों के दबाव से पैदा हुआ है। मैं अनुभव करता हूं कि रूस की नीति बुनियादी तौर पर वही रहेगी किन्तु यह सम्भव है कि रूस और चीन और निकट आ जायें। हम यह नहीं कह सकते कि भारत और चीन के बीच सभी मामलों में रूस हमारा साथ देगा। जहां तक काश्मीर और पाकिस्तान का सम्बन्ध है नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। पश्चिमी राजनीतिज्ञ अब सहअस्तित्व के सिद्धान्त का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी सरकार को अपनी नीति निर्धारित करते हुए विश्व की स्थिति को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि विभिन्न देशों के बीच शीतयुद्ध बढ़ता जा रहा है।

चीन द्वारा किये गये अणु धमाके के बारे में अन्य देशों की प्रतिक्रिया क्या है ? टुंकु अब्दुल रहमान और रूस के एक विदेश मंत्री ने कहा है कि यह एक महान कार्य है देश में कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपना अणुबम बनाना चाहिये या पश्चिमी देशों की आणविक छत्री का सहारा लेना चाहिये, मैं ऐसे लोगों से पूछता हूं कि क्या हम अपनी बुनियादी नीति को बदलना चाहते हैं, जो कि पंडित नेहरू ने निर्धारित की थी। हम इस सदन में कह चुके हैं कि हम आणविक प्रतिबन्ध सन्धि में शामिल हो चुके हैं ? क्या इस के बारे में कोई शर्त थी ? हम जानते थे कि चीन ऐसा बम बना रहा है। इसलिये यह कोई नया खतरा नहीं है। इस का खतरा भारत को नहीं बड़ी बड़ी शक्तियों को होना चाहिये, क्योंकि इस का उद्देश्य अमेरिका और संभवतः रूस को अपनी शक्ति दिखाना है। इस स्थिति से निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि विश्व में इस के विरुद्ध प्रचार किया जाये और सब

अणुशस्त्रों को नष्ट कर दिया जाये। हमारी प्रतिक्रिया चीन के साथ हमारे झगड़े से प्रभावित हुई है। अफ्रीका और एशिया में किसी देश ने चीन की इतनी निन्दा नहीं की जितनी हमने की है। जापान ने भी इतनी नहीं की। चीन के साथ हमारे झगड़े से युद्ध नहीं छिड़ जायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि अपनी बुनियादी नीति को बदलने की बजाये हमें इसे और अधिक जोर से स्पष्ट करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि चीन के साथ बातचीत करने का द्वार अब भी खुला है। हमें अणु बम बनाने और विनाश का रास्ता अपनाने की आवश्यकता नहीं है।

एक और प्रश्न जो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उस ने तिब्बत सम्बन्धी मानव अधिकार संकल्प के बारे में अपनी नीति क्यों बदल ली है। हम उस का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या हम इस से तिब्बत की सहायता कर सकेंगे? क्या यह हमारी पिछली नीति के अनुकूल है? मैं सरकार से कहूंगा कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करे, क्योंकि तिब्बत बहुत समय से चीन के अधीन है।

नागा समस्या को हल करने के लिए सैनिक तरीका छोड़ कर हमें उन्हें मनाने और तर्क का तरीका अपनाना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हमें समाजवादी देशों के साथ जिन में चीन भी सम्मिलित है, सम्मानपूर्वक रहन है।

श्री जी० भ० कृपालानी (अमरोहा) : विदेश नीति सम्बन्धी गत चर्चा के बाद, मेरे विचार में दो महत्वपूर्ण घटनायें हुई हैं। एक चीन द्वारा अणु बम का विस्फोट है और दूसरा रूस के नेताओं का परिवर्तन। अमेरिका में जानसन का जीत जाना और इग्लैण्ड में लेबर दल का इतना महत्वपूर्ण नहीं है।

मैं नहीं समझ सका कि चीनी विस्फोट से इतना आश्चर्य क्यों हुआ है, क्योंकि हम जानते थे कि वह ऐसी तैयारी कर रहा है। हम यह भी जानते हैं कि चीन युद्ध में विश्वास रखता है। यह बात स्पष्ट है कि इस विस्फोट से चीन के राष्ट्रीय हित बढ़े हैं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसका मान बढ़ा है। इस के अतिरिक्त इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के राष्ट्र बहुत भयभीत हो गये हैं। इस विस्फोट के कारण चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने का भी प्रोत्साहन मिलेगा।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker *in the chair*)

जहां तक लोगों को भयभीत करने का सम्बन्ध है, इस बम से यही खतरा है। यह केवल सर्वनाश के लिये ही नहीं है।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, अहिंसा की बातें करने का क्या लाभ है, जब हम स्वयं युद्ध के शस्त्र बढ़ा रहे हैं और अपनी सेना को अधिक से अधिक कार्यक्षम बनाना चाहते हैं। वर्तमान सरकार कह सकती है कि हम अणु बम नही बनायेंगे किन्तु क्या भावी सरकार उस पर वचनबद्ध रह सकेगी। गोआ के बारे में हम ने बल प्रयोग न करने का निश्चय किया था, किन्तु अन्त में क्या हुआ? काश्मीर और हैदराबाद में भी हम ने सेना का प्रयोग किया था। इस लिए यह कहना कि हमें अणु बम का प्रयोग नहीं करना चाहिये कुछ न्यायसंगत नहीं है।

[श्री जी० भ० कृपालानी]

हमें यह सोचना चाहिये कि क्या हम निकट भविष्य में बम बना सकते हैं ? हमें इस के व्यय का ख्याल नहीं करना चाहिये ।

हम शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए कनाडा और अमरीका की सहायता से दो अणुशक्ति चालित बिजलीघर कायम करने की सोच रहे हैं । लेकिन क्या इन देशों की सहायता से हाथ धोये बगैर हम उनका उपयोग अणुबम के परीक्षण के लिए कर सकते हैं। मैं सचमुच ही समझ नहीं पाता कि हम किस तरह अणुबम बना सकते हैं और उसका परीक्षण कर सकते हैं । हमें उसके विस्फोट के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी । यह कहना निरर्थक है कि चीन के इरादे शांतिपूर्ण हैं। चीन हथियारों के जरिये दूसरे राष्ट्रों पर साम्यवाद लादना चाहता है । हमें कोई दूसरा तरीका ही ढूंढना होगा जिससे हम चीन के खतरे का मुकाबला कर सकें। दूसरे राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर निर्भर रहते हैं । वह जानते हैं कि आज एक देश दूसरे देश पर कब्जा नहीं जमा सकता और कोई न कोई उनकी सहायता करेगा । लेकिन उस सहायता के सम्बन्ध में पहले से सोच रखना यह हमेशा ही अधिक अच्छा है । यदि 1962 में चीनी आक्रमण से पहले हमें सहायता प्राप्त हुई होती और यदि हमने उसके लिए पहले से प्रबन्ध किया होता तो चीनी लोग इतना आगे न बढ़ पाते । हमें इन बातों को खतरे से पहिले ही सोचना चाहिये ।

हमें इस सम्बन्ध में यह भी समझना चाहिये कि यह सहायता कहां से मिल सकती है। हम रूस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि वहां लोकतंत्र नहीं है, वहां तानाशाही सरकार है जो सदा ही अस्थिर होती है । यह तो हमारे यहां के लोगों ने कहा है कि भारत के प्रति उसकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । उसके राजदूत ने सैनिक सहायता के बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा । इसलिये हमें पश्चिमी देशों पर ही निर्भर रहना होगा और हमें उनकी सहायता का आश्वासन प्राप्त करना ही होगा । पश्चिमी देशों के लिए हमारे देश में अड्डे बनाना भी जरूरी हो सकता है जैसा कि उन्होंने यूरोपीय देशों में बनाये हैं और कोई भी देश अपनी प्रभुसत्ता इस कारण नहीं खो बैठा है कि अमेरिका उसकी सहायता कर रहा है । पाकिस्तान जैसा देश भी अमेरिका की राय की परवाह नहीं करता । हमारी विदेश नीति अधिक सक्रिय, अधिक गतिशील होनी चाहिये । हमें यह जानना चाहिये कि कौन हमारे मित्र हैं और कौन हमारे शत्रु हैं । हमारी सरकार यह नहीं जानती कि कौन हमारे सच्चे मित्र हैं और कौन सच्चे दुश्मन हैं और इसलिये हमारा विफल होना अवश्यम्भावी है ।

काहिरा सम्मेलन में केवल काल्पनिक सिद्धान्तों की चर्चा हुई जिनका हमारी वर्तमान समस्याओं से कोई सम्बन्ध नहीं । ऐसे सम्मेलनों में जाना जहां केवल काल्पनिक सिद्धान्तों की व्याख्या की जाती है, धन का अपव्यय ही है ।

श्रीलंका के साथ की गई संधि पूर्णतः भारत के विरुद्ध है । इस संधि से उन भारतीयों के जो सदियों से वहां बसे हुए हैं, हितों की अवहेलना होती है । जब सरकार ने श्रीलंका के साथ बातचीत की तो उसने उन लोगों के प्रतिनिधियों से जिन्हें सदियों के बाद भारत वापस लाना है कोई परामर्श नहीं किया । हमने यह तो कभी नहीं स्वीकार किया है कि ये लोग भारतीय नागरिक हैं । जहां तक उनके मूल का सम्बन्ध है, हम वर्तमान स्थिति को लेते हैं, सरकार ने इन लोगों को काफी नुक्सान पहुंचाया है । मानवता के आधार पर आप उन्हें यहां आने से रोक नहीं सकते, लेकिन भारत में उनका मूल होने मात्र से ही वे भारतीय नागरिक नहीं हो जाते । यह एक ऐसा समझौता है जिसकी विश्व के इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिल सकती ।

श्री अन्सार हरवानी (बिसौली) गत 17 वर्षों से वैदेशिक कार्य मंत्रालय एक सर्वोच्च अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेता के हाथ में रहा है जो अब हमारे बीच नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि उस मंत्रालय के कामकाज की जांच की जाये और उसे पुनस्संगठित किया जाये। अब दुनिया के लिए इतिहास में अफ्रीका का बहुत बड़ा हाथ होगा और हम भारतीय उन अफ्रीकी देशों की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह बात समझ में नहीं आती कि अल्जीरिया और ट्यूनिशिया जैसे देशों ने जिनके प्रतिनिधि अपने स्वातन्त्र संग्राम में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए भारत में रहते थे, अभी तक यहां अपने दूतावास क्यों नहीं खोले। अफ्रीकी देशों में क्रियाशील हमारे दूतावासों का और वैदेशिक कार्य मंत्रालय का यह कर्त्तव्य है कि वह उन्हें इस देश में अपने अपने दूतावास खोलने के लिए राजी करेंगे मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारियों को अफ्रीकी देशों में उनसे घनिष्टता बढ़ाने के लिए जाना चाहिये। इसीलिए मेरा सुझाव है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के कार्य का सच्चा पुनर्मूल्यांकन होना चाहिये। विभिन्न दूतावासों के कामकाज की छानबीन करने और सुधार के उपाय सुझाने के लिए मंत्रिमंडल को एक संसदीय समिति नियुक्त करना चाहिये।

दूसरी ओर चीन अफ्रीका-एशियाई देशों में हमारे विरुद्ध प्रचार कर रहा है। आशा है कि हमारे नये प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री विदेशों में हमारे दूतावासों के प्रधान के पद पर काम करने के लिए अधिक योग्य व्यक्तियों का चुनाव कर के चीनी प्रचार का प्रतिकार करेंगे।

पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बंधों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान के साथ मित्रता कोई मित्रता हो ही नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही हिन्दू बहुसंख्यकों के प्रति घृणा और द्वेष के आधार पर हुआ है। इसलिए भारत-पाकिस्तान मैत्री सारी बात ही व्यर्थ है। भारतीयों का यह कर्त्तव्य है कि वे पख्तूनिस्तान के और पूर्व पाकिस्तान के उन स्वातन्त्र्य सेनानियों का जिनका पाकिस्तानी सैनिक शासन में दमन किया जा रहा है एक स्वर से समर्थन करें।

अंत में मैं अपने दो पड़ोसी देश बर्मा और इंडोनेशिया के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ये दोनों देश प्राचीनकाल से ही भारत के मित्र रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध भी रहे हैं लेकिन आजकल हमारे उसके सम्बन्ध उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि वे होने चाहियें। यह स्थिति हमारी नीति के कारण नहीं बल्कि उनकी कार्य-प्रणाली के कारण है। आशा है कि प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री इन देशों के साथ संबंधों के विषय की ओर विशेष ध्यान देंगे और जकार्ता जाकर राष्ट्रपति सुकर्णो की गलतफहमी दूर करेंगे।

श्री मे० क० कुमारन् (चिरयित्की): श्रीलंका में भारतीय मूल के व्यक्तियों के सम्बंध में श्रीलंका और भारत के बीच जो समझौता हुआ है वह कुछ हद तक असंतोषजनक है। इस बारे में कुछ सदस्यों ने जो आशंका व्यक्त की है मैं उससे सहमत हूं। यह बिलकुल ठीक है कि श्रीलंका के भारतीयों की आशाओं पर पानी फेर दिया गया है। श्रीलंका की संसद में यह घोषणा की गयी है कि इन लोगों को श्रीलंका का नागरिक माना जायगा परन्तु उन्हें सामान्य निर्वाचक सूचियों में शामिल नहीं किया जायगा और उनकी एक अलग निर्वाचक सूची तैयार की जायगी। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें दुय्यम नागरिक समझा जायगा।

[श्री मे० क० कुमारन]

यह अत्यन्त असंतोषजनक बात है । कल ही माननीय मंत्री ने बताया कि प्रधान मंत्री ने इस स्थिति पर दोबारा विचार करने के लिए श्रीलंका के प्रधान मंत्री को लिखा है । आशा है कि वह सरकार उस समझौते की मूल भावना को कार्यान्वित करेगी ।

दूसरा एक बड़ा प्रश्न यह है कि अगले 15 वर्षों में लगभग $5\frac{1}{2}$ लाख भारतीयों को श्रीलंका से वापस ले आना है । वे लोग अधिकतर उन श्रमिकों के वंशज हैं जो तमिलना और केरल से वहां गये थे । वे बहुत ही गरीब मजदूर हैं । इन लोगों को लौटाने पर उन राज्यों के लिए जो पहले ही आबादी और गरीबी के बोझ से दबे हुए हैं, बहुत ज्यादा कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी । सरकार को बड़ी गम्भीरता से इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि लौटाये गये व्यक्तियों को ऐसी जगहों पर बसाया जाय जहां वे अपनी रोजी कमा सकें और अधिक अच्छी जिन्दगी बसर कर सकें ।

इस प्रश्न के विवेचन के समय हम इस बात को नहीं भुला सकते कि भारतीय मूल के वंशज सारी दुनिया में खासकर अफ्रो-एशियाई देशों में फैले हुए हैं । विशेषकर पूर्व अफ्रीका से यह समाचार मिला है कि भारतीय मूल के लोग काफी संख्या में इंग्लड और अन्य देशों को जा रहे हैं । इससे उन अफ्रीकी देशों में कुछ गलतफहमी पैदा हो गयी है क्योंकि ये अधिकतर देश अभी हाल ही में अंग्रेजी राज्य से स्वतंत्र होकर अलग हो गये हैं । और वहां के निवासियों की धारणा है कि भारतीय इन स्वतंत्र राज्यों में नहीं बसना चाहते और वह चाहते हैं कि ब्रिटिश और अन्य औपनिवेशिक शासन कायम रहे । भारत सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह उन लोगों को सलाह दे कि जो जहां है वह वहीं रहे वह उन्हीं देशों की नागरिकता स्वीकार कर लें । वह उन राज्यों के कानूनों को मानकर अच्छे नागरिक की तरह उन्हीं देशों में रहें और वहां के देशवासियों की भावना का सम्मान करें ।

जब हम अपने गैर-सरकारी व्यापारियों और गैर-सरकारी पूंजी को विदेशों में भेजने की सोचते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिये कि आगे चलकर वह निजी पूंजी निहित स्वार्थ का रूप ले लेगी और इस कारण उस देश की प्रगति में बाधक बनेगी । इसलिए सरकार को अविकसित देशों में पूंजी के निर्यात पर रोक लगा देनी चाहिये । भारत सरकार ही उन देशों के विकास के लिए आर्थिक सहयोग दे । उसे उनके विकास के लिए विशेषज्ञ और यथासंभव आर्थिक सहायता प्रस्तुत करनी चाहिये । किन्तु कोई भी निजी पूंजी उस देश के विकास के लिए बाधक न हो जैसा कि बर्मा में हुआ है । वहां अधिकांश भारतीय महाजन का काम करते थे और इस कारण बर्मा निवासियों के साथ उनके संबंध बिगड़ गये । इसलिए भारत सरकार निजी पूंजी के निर्यात पर पूरी तरह रोक लगा दे ।

आगे चीनी आणविक विस्फोट के कारण एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है । श्री मसानी ने बड़ी कुशलता से सरकार से अपील की है कि वह तटस्थता की नीति को कायम रखते हुए वह अमरीका से आणविक छत्र का संरक्षण प्राप्त करे । इसका अर्थ यह होता है कि वह पीछे से तटस्थता की नीति का गला घोंटना चाहते हैं । उन्होंने इसे सीधी तरह नहीं कहा और यह समझा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री तो से समझ नहीं सकेंगे । मैं आशा करता हूं कि यह सदन और सरकार श्री मसानी और उनके दल के सही सही इरादों को समझेगी।

यदि यह सदन श्री मसानी के सुझाव स्वीकार कर लेता है तो पेकिंग के नेता तो और अधिक प्रसन्न होंगे । चीनी नेता यही चाहते हैं कि भारत पश्चिमी गुट में मिल जाय और तटस्थता की अपनी नीति छोड़ दे । जिस प्रकार श्री अयूब खां और माओ त्से तुंग साथी बन गये हैं उसी प्रकार एक दिन स्वतंत्र पार्टी और कम्यूनिस्ट पार्टी भी एक साथ मिल जायेगी । मुझे यह कहते बड़ा खेद होता है कि कुछ राजनैतिक दलों के नेताओं ने इसी प्रकार सोचना शुरू किया है। फिर भी हमें अमरीका या अन्य किसी देश से आणिवक संरक्षण प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये ।

चीन के अणुबम विस्फोट के संबंध में श्री मसानी ने 'अमरीकी छतरी' में शरण लेने की सलाह दी है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । हमें अपनी तटस्थता की नीति पर डटे रहना चाहिये । इस संबंध में प्रधान मंत्री को राजनैतिक दलों की एक बैठक बुलानी चाहिये जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं तट-स्थता का प्रचार करने के लिये एक कार्यक्रम बनाये ।

श्री काशीनाथ पांडे (हाता): उपाध्यक्ष महोदय, मझे वदेशिक-कार्यों की विशेष जानकारी तो नहीं है फिर भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक लंका का संबंध है, हमारे देश के जो आदमी वहां गये हैं उनको वहां की नागरिकता दी जानी चाहिये । क्योंकि उन्होंने उस देश की आर्थिक समृद्धि में पर्याप्त सहायता की है । लंका की सरकार के साथ जो समझौता हुआ है वह अच्छा है क्योंकि जो लोग 15 वर्ष के अन्दर भारत आयेंगे वह अपने साथ अपनी सम्पत्ति ला सकेंगे । इन लोगों को यहां बसने के लिये पर्याप्त सुविधायें दी जानी चाहियें ताकि कोई असंतोष न फैले । जो लोग लंका के नागरिक हों उनके साथ बिल्कुल लंकावासियों जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिये । इसके लिये यदि आगे बात-चीत की जरूरत हो तो उस के लिये भारत सरकार को तैयार रहना चाहिये ।

चीन के अणुबम विस्फोट के संबंध में मेरा यह निवेदन है कि यह बहुत खतरनाक बात है । साम्यवाद लादने के लिये चीन किसी भी देश के विरुद्ध उसका प्रयोग कर सकता है । हम आण्विक अस्त्रों का निर्माण तुरन्त भले ही प्रारम्भ न करें परन्तु इस संबंध में हमें विचार अवश्य करना चाहिये और अमेरिका तथा रूस दोनों को ही अपना विश्वासपात्र बनाना चाहिये । इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे देश में यूरेनियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है । डा० भामा ने भी यह मत व्यक्त किया है कि हम अणुबम बना सकते हैं । अतः इस संबंध में हमें शुरुआत करनी चाहिये । यह इसलिये भी आवश्यक है कि अणुबम के निर्माण से प्रतिरक्षा व्यय भी कम हो सकत है । इन सुझावों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, विदेश एवं प्रतिरक्षा नीतियों के संबंध में सभा में विस्तृत चर्चा होनी चाहिये परन्तु खेद है कि यहां इसके लिये उपयुक्त वातारण नहीं है । चीन ने जब 1959 में हमारे देश पर आक्रमण किया था तभी हमारी आंखें खल जानी चाहिये थीं परन्तु हम अभी भी ऐसी विदेश नीति अपनाये हुये हैं जो सर्वथा खोखली है । हम अफ्रेशियाई राष्ट्रों की मित्रता की बात करते हैं परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है । बर्मा में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार हुआ ? हमारे विदेश मंत्री ने बर्मा में यह वक्तव्य दिया कि भारतीयों के साथ कोइ भेद-भाव नहीं किया गया है । परन्तु मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि भेद-भाव किया गया है । जब ब्रिटिश कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो उन्हें प्रतिकर दिया गया था परन्तु जब भारतीय समवायों का परिसमापन किया गया तो उन्हें एक भी नया पैसा नहीं दिया गया । इसी प्रकार लंका, जमायका और ब्रिटिश गायना में हमारी क्या स्थिति है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

हमें अपनी कमजोर नीति छोड़कर दृढ़ नीति अपनानी चाहिये। एशिया में दो प्रमुख राष्ट्र हैं --चीन और भारत। चीन ने अणुबम बनाकर अपनी शक्ति की घोषणा कर दी है । हमें भी अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये अन्यथा वह हमें हड़प लेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि हम चीन के साथ मित्रता का विचार सर्वथा छोड़ दें । यदि चीन कभी अपना वर्तमान नीति को बदल कर दोस्ती का हाथ बढ़ाये तो हमें उसका स्वागत करना चाहिये। परन्तु जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक हमें उसका सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। यदि चीन हमारे देश पर आक्रमण करता है तो कौन हमारी सहायता को आयेगा ? यदि अभी तक हमारा राज्य क्षेत्र बचा रहा है तो वह हिमालय की कृपा से । परन्तु अब हिमालय भी हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। हमें इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिये और अपनी रक्षा के लिये पूर्णतः तैयार रहना चाहिये।

जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी हमारे नागरिकों का अपहरण करते रहते हैं । कर्नल भट्टाचार्य को भारतीय सीमा में से उड़ाकर बन्दी बना लिया गया तथा उन्हें अब छोड़ा गया है । हमने इसका बदला लेने के लिये क्या किया ? मेरा निवेदन है कि जब वह हमें नुकसान पहुंचाने पर तुले हुए हैं तो हम उन के साथ बैठकर बातचीत कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार व्यवहार तो दैनिक जीवन में भी संभव नहीं है ।

इस समय संसार में राष्ट्रीय भावना का जोर है। प्रत्येक राष्ट्र अपने ही हित में संतुष्ट है। यह ठीक है कि रूस चीन की मदद नहीं कर रहा है परन्तु वह हमारी सहायता भी नहीं करेगा । इसलिये हमें ऐसे देशों से मित्रता करनी चाहिये जिन के विचार हमारे जैसे ही हों। अतः हमें यह विचार करना चाहिये कि किन देशों की मित्रता ठीक रहेगी ? मेरे विचार से हमें इज़राइल, अमेरिका और ब्रिटेन से मित्रता रखनी चाहिये। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि विदेशों में जो राजदूत भेजे जाते हैं वे अपना कार्य सतर्कतापूर्वक करें। विदेश नीति में आवश्यक परिवर्तन भी किया जा सकता है । ऐसा नहीं होना चाहिये कि यदि एक व्यक्ति विशेष ने कोई नीति बना दी है तो हम पूरी तरह उसी से बंधे रहें। चूंकि संसार परिवर्तनशील है। इसलिये हम पुराने विचारों में जकड़े नहीं रह सकते हैं। प्रगतिशील देश में नये विचारों का समावेश आवश्यक है ।

जहां तक अणु अस्त्रों के निर्माण का प्रश्न है, हमें डरना नहीं चाहिये। किसी पर आक्रमण करने के लिये नहीं वरन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये उनका निर्माण जरूरी है । वे दूसरे देशों को आतंकित करने में भी सहायक होंगे। इस आतंक के कारण ही क्यूबा में दुर्घटना होते होते रह गई और अमेरिका तथा रूस ने आपस में समझौता कर लिया। इसलिये अणु अस्त्रों का निर्माण हमें अवश्य करना चाहिये।

विदेश नीति का संचालन बहुत गंभीरता से किया जाना चाहिये। इतने पर भी हमें पूरी तरह सतर्क रहना चाहिये और अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिये। शक्ति के बिना कोई भी हमारा मित्र नहीं बनेगा । यह जो अणु विस्फोट हुआ है उस से हमारे सम्मान को बहुत ठेस लगी है । अभी समय है कि हम इस चुनौती को स्वीकार कर उसका सामना करने का प्रयत्न करें। अणु अस्त्र के निर्माण के लिये हमें अनेक वैज्ञानिकों की जरूरत पड़ेगी ।

अंत में मैं यह निवेदन करूंगा कि हमें अपने देश को चीनी प्रचार से बचाना चाहिये।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई नगर–मध्यदक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, चीन द्वारा अणुबम का निर्माण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है । प्राय: प्रत्येक वक्ता ने उसका उल्लेख किया है । इसी प्रकार श्री ख्रुश्चेव का अपने पद से हटाया जाना बहुत भी महत्वपूर्ण घटना है जिसके परिणाम भारत एवं एशिया के अन्य देशों के लिये बहुत भयंकर होंगे । एक बात तो यह हुई कि श्री चाऊ-एन-लाई को साम्यवादी दल के 47वें वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिये मास्को आमंत्रित किया गया जो कि श्री ख्रुश्चेव के पद पर रहते हुए संभव नहीं था । श्री चाऊ के मास्को जाने से दोनों देशों के संबंधों में कुछ परिवर्तन अवश्य आयेगा ।

कई वर्षों से रूस और चीन, दो बड़े साम्यवादी देशों, के बीच विवाद चल रहा है । इसका कारण यह है कि श्री ख्रुश्चेव की नीति चीन की नीति से मेल नहीं खाती थी । संभवत: इसीलिए श्री ख्रुश्चेव को प्रधान मंत्री पद से अपदस्थ किया गया है कि उनके सत्तारूढ रहते हुए इन दो देशों के बीच मतभेदों की खाई को पाटना असंभव था और इस प्रकार का मतभेद भी अधिक समय तक चलते रहना दोनों राष्ट्रों के लिये अहितकर था । यह तथ्य इस बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि श्री ख्रुश्चेव के अपदस्थ किये जाने के तुरन्त पश्चात् दोनों राष्ट्र बातचीत करने के लिये तैयार हो गये हैं । यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि दोनों ही पक्ष कोई समझौता करना चाहते हैं । उनकी बातचीत का क्या परिणाम निकलेगा इसका तो अनुमान लगाना अभी कठिन है ।

इस बात का भी एक समाचार मिला है कि रूस ने चीन के लिये जो एक 20,000 किलोवाट का विद्युत् शक्ति एकक बनाया था, जो दोनों देशों के बीच विवाद पैदा हो जाने के कारण अभी तक चीन को नहीं दिया गया, अब चीन को दिया जा रहा है । यद्यपि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इन घटनाओं के बारे में क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, किन्तु यह स्पष्ट है कि चाहे जो कुछ भी स्थितियां पैदा हों हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए । चाहे हम वर्तमान घटनाओं के प्रति विरोध भले ही कर सकते हैं किन्तु जल्दबाजी में विरोध करना नहीं चाहिए । ऐसा करना हमारी अन्तर्राष्ट्रीय नीति के उद्देश्यों के विरुद्ध होगा । यदि हम अपनी नीति पर चलते रहे तो हमें आशा है कि एक दिन चीन अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों को समझने लगेगा ।

जहां तक चीन द्वारा अणु बम का निर्माण और इसके विस्फोट का सम्बन्ध है हमें इसके बारे में अधिक आतंकित नहीं होना चाहिए । हमें निरन्तर सामूहिक सुरक्षा में तथा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों में आस्था रखनी चाहिए । चीन इस बात को भली-भांति जानता है यदि उसने किसी प्रकार का शरारतपूर्ण दुस्साहस किया तो उसका सभी शक्तियों द्वारा डट कर मुकाबला किया जायेगा । चीन द्वारा भारत पर गत आक्रमण में यह बात स्पष्ट हो गई है कि वह अधिक समय तक लड़ाई नहीं करता, वह इस मामले में कभी भी उतावलेपन से काम नहीं लेगा । अत: मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि चीन अणु बम का प्रयोग भारत या किसी देश के विरुद्ध करने का एकदम दुस्साहस नहीं करेगा ।

श्री मनोहरन (मद्रास—दक्षिण) : लंका में भारत मूलक लोगों की समस्या बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है । इस समस्या को बहुत सावधानी से हल करने की आवश्यकता है । इस सम्बन्ध में भारत तथा लंका के प्रधान मंत्रियों के बीच जो समझौता हुआ है वह लंका में रहने वाले भारतीयों तथा भारत के पक्ष में नहीं है । अत: वह भारत को मान्य नहीं है । वह समझौता कदापि अन्तिम समझौता नहीं हो सकता है और उसे अन्तिम समझौता मानना भी नहीं चाहिए ।

[श्री मनोहरन]

पिछले दिन वैदेशिक-कार्य मंत्री ने इस समझौते के बारे में सभा में जो वक्तव्य दिया है उसमें लंका के मामले का इस प्रकार समर्थन किया गया है कि लगता है कि श्री स्वर्ण सिंह भारत के विदेश मंत्री नहीं अपितु लंका के विदेश मंत्री हैं। इस वक्तव्य से हम में असंतोष पैदा हो गया है।

भारत और लंका के बीच इस समस्या पर वर्ष 1939 से अब तक कई बार बातचीत हुई थी और समझौते करने के प्रयत्न किये गये थे। किन्तु लंका सरकार सदैव इन समझौतों का उल्लंघन करती रही और उन्हें कभी भी मान्यता नहीं दी। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे में समझौता करने का भरसक प्रयत्न किया। किन्तु उन्हें भी सफलता नहीं मिली।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the chair*]

स्वर्गीय नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सरकार की सदैव यही नीति रही है कि लंका में भारत मूलक लोगों के हितों की रक्षा करना लंका सरकार का कर्तव्य है। सरकार भूतकाल में इसी नीति का अनुसरण करती रही है। किन्तु वर्तमान समझौता इस नीति के प्रतिकूल है। अतः सरकार का यह दावा करना कि वह श्री नेहरू द्वारा प्रतिपादित नीतियों का पालन कर रही है गलत जान पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार ने लंका सरकार की धमकी के आगे घुटने टेक कर ही यह समझौता किया है। लंका सरकार द्वारा दी गई धमकी का कारण स्पष्ट है। लंका सरकार अच्छी तरह जानती है कि बर्मा की सरकार ने धमकी देकर तीन लाख लोगों को भारत भेज दिया है। यह सभी जानते हैं कि जब हमारे विदेश मंत्री हाल में लंका गये थे तो उस छोटे से द्वीप की सरकार ने उनसे कह दिया था कि यदि लंका की सरकार की इच्छा के अनुकूल समझौता न किया गया तो वह भी बर्मा सरकार की तरह कड़ी कार्यवाही करने पर मजबूर हो जायेंगे। इस बारे में हाल ही में दिल्ली में भारत और लंका के प्रधान मंत्रियों की बातचीत हुई थी, सम्भव है उसमें लंका की प्रधान मंत्री द्वारा उसी तरह की धमकी पुनः दी गई हो।

अभी यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि लंका सरकार इस समझौते को पूर्णतः कार्यरूप देगी क्योंकि पिछला इतिहास बताता है कि आज तक जितने भी समझौते हुए हैं लंका सरकार ने उनमें से किसी को भी मान्यता नहीं दी है। वर्तमान समझौते के बारे में भी यही बात सामने आने लगी है। यद्यपि समझौता पूर्ण रूप से लंका सरकार के पक्ष में है किन्तु फिर भी लंका सरकार भारत मूलक लंका के नागरिकों को अलग मतदाता पंजी में रख रही है। इससे स्पष्ट है कि वहां पर जो भारत मूलक लोग रह जायेंगे उनके हितों की रक्षा नहीं हो सकती है। यह खेद की बात है कि लंका की सेवाओं से निकाला जा रहा है किन्तु सरकार चुप्पी साधे हुए इस दुर्व्यवहार को देख रही है।

हाल के समझौते का सभी दलों ने खुलेआम अथवा छिपे तौर पर विरोध किया है क्योंकि यह किसी देश की प्रतिष्ठा तथा उस देश के लोग जो विदेशों के नागरिक हैं उनके हितों के प्रतिकल है। इस समझौते को करते समय उन लोगों की राय नहीं ली गई है जिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या उसने उन लाखों निरपराध लोगों

की इच्छा जानने का प्रयत्न किया था जो चाय बागानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से अनभिज्ञ हैं ? सरकार बताये कि वे लोग दण्डकारण्य जैसे स्थानों में कैसे बस सकेंगे । समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या अपराध किया है कि जिसके कारण उन्हें इस प्रकार सताया जा रहा है ।

सरकार के लिये अब यही उचित है कि सरकार इस समझौते को अमान्य घोषित कर दे । लंका सरकार पहले ही इस समझौते के प्रतिकूल कार्य करने लग गई है । फिर भी यह सरकार समझती है कि वह उसे अमान्य घोषित करने में असमर्थ है तो यह मामला लंका के भारत मूलक लोगों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए । वे लोग भारत सरकार की भांति कायर नहीं हैं । उनमें इतनी शक्ति है कि वे शीघ्र ही लंका सरकार की समूची अर्थ-व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर सकते हैं । सरकार को चाहिए कि वह वर्ष 1954 में हुए नेहरू–कोटेलावाला संधि को कार्यरूप देने का प्रयत्न करे । मैं अनुरोध करता हूं कि प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री इस मामले पर विचार कर के लंका में भारत मूलक लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के समुचित उपाय करें ।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : यह सर्वविदित है कि हाल में विश्व में अनेक परिवतन हुए, किन्तु इन परिवर्तनों के बावजूद भी हमारी विदेश नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ा । इसका कारण यह नहीं है कि हमारी नीति कट्टर अथवा गुटों से अलग रहने की नीति है अपितु स्वर्गीय श्री नेहरू ने इस नीति को व्यापक दृष्टिकोण को अपना कर प्रतिपादित किया था । कुछ लोगों ने इजराइल आदि के बारे में भारत का दृष्टिकोण देख कर यह आशंका प्रकट की है कि हमारी नीति गुटों से अलग रहने की नहीं है । किन्तु उनका यह भ्रम निर्मूल है । हमारी गुटों से अलग रहने वाली नीति की सफलता का स्पष्ट प्रमाण यह है कि हमें विश्व के सभी देशों से सैनिक तथा आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है ।

हाल में हुई घटनाओं में से भारत की जनता को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली घटना चीन द्वारा अणु बम का विस्फोट है । देश में अब अधिकांश लोगों का मत है कि चीन से होने वाले इस खतरे का सामना करने के लिये भारत को भी अणु बम बनाना चाहिए । यदि इस मामले पर व्यापक दृष्टिकोण अपना कर विचार किया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि लोगों का यह सोचना गलत है कि भारत भी अणु बम का निर्माण करे । चीन द्वारा यह विस्फोट अचानक नहीं किया गया । संसार को ज्ञात था कि चीन अणु बम बना रहा है । स्वयं हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था कि शायद चीन अणु बम बना रहा है । इस बात को जानते हुए भी अणु परीक्षण रोक संधि पर हस्ताक्षर किये गये जिनमें भारत भी एक देश है । जो लोग अब कहते हैं कि हमें अणु बम बनाना चाहिए उन्हें अणु परीक्षण रोक संधि पर हस्ताक्षर करते समय यह सलाह देनी चाहिए थी कि संधि पर हस्ताक्षर न किये जायें अपितु अणु बम बनाये जायें ।

यह तथ्य भी संसार के सामने है कि अणु बम से किसी भी देश को लाभ नहीं हुआ है । फ्रांस जब वियतनाम के मामले में संकट की स्थिति में था अमरीका उसे प्रयोग करने के लिये अणु बम दे रहा था । किन्तु फ्रांस के विदेश मंत्री ने अणु बम लेने से इन्कार कर दिया और वियतनाम वहां की जनता को सौंपना अधिक उचित समझा, क्योंकि फ्रांस जानता था अणु बम का प्रयोग करने का अर्थ होगा विश्व युद्ध जिसकी विभीषिका में समस्त संसार नष्ट हो जायेगा । आज सभी समझदार राष्ट्र यह मानते हैं कि यदि अमरीका और रूस के पास अणु बम न होते तो संसार में उनका अधिक प्रभाव होता, जो अणु बम रखने से नहीं हो सका है । संसार के

[श्री बाकर अली मिर्जा]

छोटे-छोटे विकासशील देशों का शीघ्रता से प्रगति की ओर अग्रसर करने का मुख्य कारण यह है कि उन लोगों के पास परमाणु हथियार नहीं हैं, इसीलिये वे विकास के कार्यों में एकाग्रचित्त होकर लगे रहते हैं ।

हम ने यह दिखा दिया है कि प्रजातंत्र में आस्था रखते हुए भी हम भारत में साम्यवाद को फैलने से रोक सकने में सफल हुए हैं । भारत में सभी दलों को अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है । इस समय अणु बम बनाने के स्थान पर अधिक आवश्यकता इस बात की है कि देश में दृढ़ निश्चय की भावना हो । हमें ऐसे निश्चय करने चाहियें जो सारे राष्ट्र के निश्चय हों । भारत द्वारा अणु बम का निर्माण करना एक बहुत गलत कदम होगा । इस समय एशिया तथा अफ्रीका के देशों को अणु बम की नहीं अपितु अपने राष्ट्रों के निर्माण करने के लिये शान्ति की आवश्यकता है । अतः मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह अणु बम का निर्माण करने का विचार छोड़ दे । मैं समझता हूं कि यदि अफ्रीकी-एशियाई देश मिल कर 20-25 वर्षों तक शान्तिपूर्वक राष्ट्र निर्माण का कार्य कर लें तो वे संसार के अधिक प्रभावशाली देशों में गिने जायेंगे ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत एक महान् देश है और उसकी आवाज में बल है । भारत का नैतिक प्रभाव है और नैतिक दृष्टिकोण है । यदि हम इसी मार्ग पर चलते रहे तो हम विश्व मत को प्रभावित कर सकेंगे । और देश की नैतिक भावना का मजाक न बना कर इसके सिद्धान्तों के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए ।

श्री कर्णी सिंहजी (बीकानेर) : मैं अपना भाषण बर्मा में भारतीयों की समस्याओं तक सीमित रखूंगा । मैं वहां गया था और तीन दिन तक उनकी हालत देखी थी । मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं उनकी कठिनाइयां संसद् के सामने रखूंगा । मैंने वहां स्कूल और अस्पताल भी देखे, जो कि भारतीयों ने बनाये हैं ।

एक महत्वपूर्ण बात जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये यह है कि वहां भारतीयों के मन में घबड़ाहट न आने दी जाये । जैसा कि आपको मालूम है, वहां राष्ट्रीयकरण और बर्मी ढंग के समाजवाद ने चार लाख भारतीयों के लिए बहुत कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार अगले बारह मासों में अधिक जहाजों की व्यवस्था करे ताकि वे ठीक ढंग से भारत आ सकें ।

उन भारतीयों की हालत बहुत खराब है, जो बर्मी राष्ट्रजन बन गये थे किन्तु जिनके पति या पत्नी अभी भारतीय नागरिक हैं । उनकी नौकरियां छिन गई हैं और कारोबार भी नहीं रहा । वे भारत में अपने आश्रितों को कोई धन नहीं भेज सकते । उन्हें भारत आने के लिए भारतीय दूतावास से पारपत्र नहीं मिल सकते ।

दूसरी बात यह है कि भारत में आने वाले भारतीयों को यहां बसाने के लिये कदम उठाये जायें । यह काम केन्द्र या सम्बन्धित राज्य कर सकते हैं । हर एक राज्य इस काम के लिए तरीके निकाल सकता है । भारत और बर्मा के बीच पुरानी दोस्ती है और हम सब चाहते हैं कि यह दोस्ती कायम रहे । मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि भारतीय लोग या संसद् के सदस्य सुदूर पूर्व के देशों में, जिनमें बर्मा भी है शिष्टमंडलों में जा सकें । हाकी या फुटबाल की टीमें भी भेजी जा सकती हैं । बर्मा आदि में हमारी विदेश नीति के बारे में काफी भ्रांति है । इसको दूर करने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से पूछूंगा कि उन भारतीयों के प्रति जो बर्मा छोड़ना चाहते हैं, उनकी क्या नीति होगी ?

श्री कृष्ण मेनन (बम्बई नगर--उत्तर): अध्यक्ष महोदय, कुछ ही दिनों में हमारे प्रधान मंत्री ब्रिटेन के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत करने के लिए लन्दन जाने वाले हैं और उसी समय विदेश-कार्य मंत्री संयुक्त राष्ट्र संघ हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेता बन कर जायेंगे। मुझे विश्वास है कि सदन के सारे सदस्यों की शुभ कामनायें उनके साथ होंगी। मुझे खेद है कि विदेश-कार्य मंत्री हमें उस स्थिति के बारे में नहीं बता सके, जिसका सामना उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल उस संघ को बहुत संकट का सामना है। मुझे आशा है कि हमारा देश 'संयुक्त राष्ट्र संघ कर' के विवाद में नहीं पड़ेगा। कहा गया है कि विश्व न्यायालय ने कह दिया है कि फ्रांस, रूस और दक्षिण अमेरिका के जिन-जिन देशों ने रकमें नहीं दी हैं, दे देनी चाहियें। किन्तु मैं समझता हूं कि उसने ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा है कि यह केवल संयुक्त राष्ट्र संघ का एक खर्च है। यह खर्च कैसे पूरा किया जाये। यह संघ के घोषणा पत्र में बताया गया है। इस पत्र के अनुच्छेद 43 में किसी कर की व्यवस्था नहीं है। किन्तु यदि कोई संकट पैदा हो गया, तो यह बहुत गम्भीर बात होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ पर काफी कर्जा है किन्तु यह कोई कारण नहीं कि घोषणा पत्र को निरर्थक बना दिया जाये। इस बात का एकमात्र हल यह होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन को स्थगित किया जाये। स्थगन के समय में कुछ न कुछ घटना अवश्य हो जायेगी।

मेरे विचार में विदेश नीति की चर्चा में नागालैंड का उल्लेख करना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह देश का एक हिस्सा है। पाकिस्तान के सम्बन्ध में, जिसने हमारे 2300 मील लम्बे सीमान्त पर कभी चैन से नहीं बैठने दिया, मैं यह कहूंगा कि एक ओर तो वह पश्चिमी ताकतों और दूसरी ओर चीन के साथ मिला हुआ है। हमें उसके साथ बातचीत तो करनी चाहिये, किन्तु अपनी प्रभु-सत्ता खोकर नहीं। वह 190 बार हमारे सीमान्त का उल्लंघन कर चुका है और जब तक वह चीन के साथ अपने समझौते की शर्तें नहीं प्रकाशित करता, हमें उसके साथ कोई बातचीत नहीं करनी चाहिये। अफ्रीकी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध आदान प्रदान के सिद्धान्त पर आधारित होने चाहियें। वहां जो हमारे प्रतिनिधि हों, वे उपयुक्त व्यक्ति होने चाहिये जिन्हें उन देशों का पूरा ज्ञान होना चाहिये।

यह सोचना ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा होगी कि रूसी नेतृत्व में परिवर्तन होने के कारण रूस और चीन के सम्बन्धों में फेर बदल होगा क्योंकि रूस चीन को खुश करने के लिये अपने नेताओं का बलिदान कदापि नहीं दे सकता। चीन के साथ झगड़ा उनकी विस्तारवादी नीति के कारण हुआ। रूस के साथ भी हमारे सम्बन्ध आदान प्रदान के आधार पर होंगे। अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है जिससे यह प्रतीत हो कि रूस की नीति में कोई आधारभूत परिवर्तन हुआ है। रूस के नेताओं के बदल जाने के कारण हमारी कठिनाइयों के बढ़ जाने की सम्भावना नहीं है। ब्रिटेन में श्रमिक दल की विजय के बारे में सभी जानते हैं। यद्यपि यह विजय ब्रिटेन का घरेलू मामला है किन्तु फिर भी यह हमारे लिये राहत देने वाली बात है। गत वर्षों के अनुभव से हम कह सकते हैं कि श्रमिक दल की सरकार बनना भारत के लिये अधिक हितकर होगा और ब्रिटेन तथा भारत के सम्बन्ध अधिक मैत्रीपूर्ण बनेंगे। हमारी स्वतन्त्रता संग्राम के प्रति भी श्रमिक दल की सरकार का दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण रहा था। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी ब्रिटेन सरकार की नीति व्यापक रहेगी जो शान्ति बनाये रखने में सहायक होगी।

अब मैं चीन द्वारा अणु बम के विस्फोट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि यह सारे विश्व के लिये चिन्ता का विषय बन गया है ऐसा लगता है कि

स्वयं चीन के लिये यह हानिकारक बात है । विश्व में अणु बम रखने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है । जिससे विश्व शान्ति के लिये खतरा पैदा हो गया है ।

यह दुःख की बात है कि कुछ सरकारी पदाधिकारी सरकार की नीति के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हैं जो संसदीय सरकार के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है । मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि असैनिक सरकारी पदाधिकारियों को सरकार की नीति से सम्बन्धित किसी प्रकार के वक्तव्य देने की अनुमति नहीं होनी चाहिये । इससे देश में अनावश्यक रूप से विवाद पैदा हो जाता है, जो देश के लिये हानिकारक है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : सदस्य महोदय किस वक्तव्य के बारे में कह रहेहैं ? क्या उनका तात्पर्य डा० भाभा द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से है ? डा० भाभा ने इस प्रकार का कोई वक्तव्य नहीं दिया । यह बात जेनेवा में अमरीका द्वारा कही गई थी ।

श्री कृष्ण मेनन : जो कुछ मैं कहना चाहता था कह चुका हूं । माननीय सदस्य को भी अपनी बात कहने का अवसर मिल चुका है ।

विश्व के कुछ भागों में चीन द्वारा अणु बम विस्फोट की आम प्रतिक्रिया यह हुई हैं कि एक ऐसे देश ने इसका विस्फोट किया है जो न तो यूरोपीय देश है और न ही उस देश के लोग श्वेत हैं जिससे अणु बम रखने वाले देशों का एकाधिपत्य समाप्त हो गया है । हमारे दृष्टिकोण से चीन ने अणु बम का विस्फोट कर के मानवता के प्रति अपराध में एक और वृद्धि कर दी है । 1945 से अब तक फ्रांस 5, ब्रिटेन 24, रूस 126 और अमरीका 330 विस्फोट कर चुका है । ये सब मानवता के प्रति घोर अपराध हैं । जापान में गिराये गये अणु बमों से यह बात साबित हो गई है कि अणु बम से न केवल शत्रु सेना ही नष्ट होती है अपितु समुची निरपराध जनता का विनाश हो जाता है। अणु बम के विस्फोट से सारा वातावरण दूषित हो जाता है और इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक रहता है । अब तक किये गये विस्फोटों के परिणामस्वरूप लाखों बच्चे कुरूप हो गये हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे । यह मानवता के प्रति अपराध नहीं तो और क्या है ।

जहां तक चीन द्वारा विस्फोटित बम के आकार और शक्ति का प्रश्न है, उसके बारे में ठीक ठीक बता सकना कठिन है । किन्तु ऐसा अनुमान है कि यह बम जापान में गिराये गये बम के बराबर होगा । आज स्थिति यह है कि इतने बड़े बम की आवश्यकता तो अधिक शक्तिशाली बमों के विस्फोट करने के लिये गर्मी पैदा करने के लिये होती है । आज रूस और अमरीका के पास शक्तिशाली अणु बम इतनी संख्या में हैं जिससे संसार को न केवल एक बार अपितु कई बार नष्ट करके पृथ्वी को प्राणी रहित किया जा सकता है । अतः मैं कह सकता हूं कि चीन के विस्फोट से हमें अनावश्यक रूप से आतंकित नहीं होना चाहिए ।

अब मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत को अणु बम बनाना चाहिए या नहीं । यह बात ठीक है कि किसी देश के पास भी शत्रु का मुकाबला करने के लिये उतने ही शक्तिशाली हथियार होने चाहिएं जितने कि उसके शत्रु के पास हैं । किन्तु आज अणु युग में ऐसा सोचना गलत लगता है क्योंकि अणु बम से बड़े पैमाने पर रक्षा नहीं हो सकती है । जो देश पहले अणु बम का प्रयोग अपने शत्रु के विरुद्ध करेगा उसी को सफलता मिलेगी । दूसरी बात यह है कि जब तक किसी देश के पास अपने शत्रु से अधिक शक्तिशाली बम न हो तब तक शत्रु पर उसका आतंक नहीं छा

सकता है । हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि यदि हम अणु बम बनाने लगें तो हमारे प्रति हमारे पड़ौसी देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी ? पाकिस्तान, चीन और अमरीका दो देशों से अणु बम प्राप्त कर सकता है । इससे तनाव में और अधिक वृद्धि होगी और इसके गंभीर परिणाम होंगे । जिसका प्रभाव वर्तमान पीढ़ी पर ही नहीं अपितु आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा । अतः हमारे लिये अणु बम बनाना हितकर नहीं होगा ।

चीन द्वारा अणु बम के विस्फोट से यह आवश्यक हो गया है कि भारत तथा अन्य सभी शान्ति चाहने वाले राष्ट्र अपनी शक्ति बढ़ा कर अणु हथियारों को नष्ट करने का भरसक प्रयत्न करें । सभी देशों को परमाणु युद्ध की विभीषिकाओं को अनुभव करना चाहिए । हमें यह बात भली-भांति समझ लेनी चाहिए कि अणु बम बना कर हमारे देश का भला नहीं हो सकता है । इससे हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं और ऐसा करना हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये भी लाभकर नहीं होगा । हम ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में वचन दिया है कि हम अणु बम नहीं बनायेंगे, जिससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं । इस संसद् द्वारा न केवल संकल्प ही पारित किये गये हैं अपितु 6 मास पूर्व हम ने मास्को में 'परमाणु परीक्षण रोक सन्धि' पर हस्ताक्षर भी किये हैं । काहिरा सम्मेलन में भी हम ने अन्य देशों से इस सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिये कहा था । हमें अपने इन वचनों का पालन करना चाहिए ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम अणु बम बनायें तो हमारे लिये और अधिक खतरा पैदा हो जायेगा । चीन स्वयं भारत पर अणु बम गिरा कर कह देगा कि भारत ने हम पर बम गिराया है ।

श्री कोल्ला वेंकैया (तेनाली): विभिन्न देशों में रहने वाले भारत मूलक लोगों की समस्या निरन्तर गंभीर होती जा रही है । इस सदन में इस विषय पर बार बार चर्चा होने पर भी अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है ।

जहां तक बर्मा में रहने वाले भारत मूलक लोगों का सम्बन्ध है, प्राप्त समाचारों के अनुसार बर्मा में भारतीय दूतावास उनकी ओर उचित रूप से ध्यान नहीं दे रहा है । इसकी पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि दूतावास के पास संकटकालीन प्रमाणपत्रों के लिये लगभग 25,000 आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं, किन्तु एक सप्ताह में केवल 360 आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही की जाती है । दूतावास का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है । इससे लोगों को अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर करने में असफल रही है ।

बर्मा, लंका, पूर्वी अफ्रीका तथा अन्य देशों में रहने वाले भारत मूलक लोगों को बड़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है किन्तु हमारी सरकार उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रही है । ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिसके द्वारा उन देशों में रहने वाले भारत मूलक लोगों से सम्पर्क स्थापित करके उनकी कठिनाइयों को समझा जा सके । ये लोग अंग्रेजी शासन काल में इन देशों में बस गये थे और वहां के नागरिक बन गये थे । यह ठीक है कि नवोदित देशों को अपना आर्थिक विकास करना चाहिए । हम नहीं चाहते हैं कि भारत मूलक लोगों को उनके इस कार्य में बाधा डालनी चाहिए । भारत मूलक लोगों को उनकी प्रगति में सहयोग देना चाहिए । उन देशों का भी यह कर्तव्य है कि

[श्री कोल्ला वेंकैया]

वे भारत मूलक लोगों के हितों की रक्षा करें और उन्हें अपनी प्रगति में भागीदार बनायें । हमारी सरकार को उचित ढंग से इस स्थिति को सुलझाना चाहिए । यदि आवश्यक हो तो विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिये एक पृथक विभाग स्थापित किया जाना चाहिए ।

अब मैं हाल में हुए काहिरा सम्मेलन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इस सम्मेलन में हमारा प्रतिनिधिमंडल भारत का दृष्टिकोण सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सका । इतना ही नहीं सम्मेलन में जो साम्राज्यवाद विरोधी भावना व्यक्त की गई थी, हमारे प्रतिनिधिमंडल द्वारा उसके विरुद्ध संशोधन प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया । एक समय था जब कि भारत ने साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त की थी । किन्तु आज हम उसके विरुद्ध अपने भाव भी व्यक्त नहीं कर सकते हैं । भारत, श्री शोम्बे को, जो देशभक्त, श्री लुमुम्बा की हत्या के लिये उत्तरदायी हैं, सम्मेलन में भाग लेने के अधिकार से वंचित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव के पक्ष में भी अपना मत देने में असमर्थ रहा । सम्मेलन में हिन्द महासागर में अमरीकी बेड़े का विरोध किया गया था किन्तु हमारे वैदेशिक कार्य मंत्री ने उसका समर्थन किया । सम्मेलन में यह भी कहा गया था कि यद्यपि मास्को में परमाणु परीक्षण संधि पर हस्ताक्षर हो चुके हैं किन्तु अभी तक कुछ साम्राज्यवादी देशों के कारण अभी विश्व में तनाव बढ़ता ही जा रहा है । भारत इसका भी समर्थन नहीं कर सका ।

अब दूसरा बांडुंग सम्मेलन होने वाला है भारत सरकार को इसमें भाग लेने के लिए पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए ।

जहां तक चीन द्वारा अणु बम बनाने का सम्बन्ध है वह दीर्घकाल से इसकी तैयारी में लगा हुआ था । वर्ष 1956–57 में उसने इसके निर्माण के बारे में रूस से भी समझौता किया था । हमें यह अनुमान पहले ही लगा लेना चाहिये था कि चीन अणु वम बना रहा है । मैं कुछ माननीय सदस्यों के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि भारत को चीन के आतंक से अपनी रक्षा करने के लिये अमरीकी अणु छतरी की शरण लेनी चाहिए । यह सभी जानते हैं कि सब से पहले अमरीका ने ही अणु बम बना कर सब से पहले एशियाई देश पर गिराया था । उसने इस बम का उपयोग युद्ध को रोकने के लिये नहीं अपितु युद्ध के लिये करके लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा । अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार को अमरीकी साम्राज्यवादी इरादों के प्रति सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वे नवोदित राष्ट्रों को दबाना चाहते हैं ।

The Prime Minister and the Minister of Atomic Energy (Shri Lal Bahadur Shastri) : Mr. Speaker, it is natural that there is a widespread feeling in the country that since China has exploded atom bomb, we should also switch on to the manufacture of atom bombs in India. I can understand the anxiety felt by the country or the Members of Parliament. But we have to make our decision after taking every aspect into consideration.

On the question of atom bomb I do not wish to adopt an idealistic attitude. I wish to adopt a practical point of view. We have to consider what will be the consequences if we make the bomb and how far we will be able to increase our strength and how far will we be able to reach the level of the atomic powers. How much financial burden we will have to bear. We have to consider whether we will be able to raise our voice against the atom bomb, as Shri Jawaharlal Nehru. These questions we have to consider carefully.

On the question of cost of manufacturnig the bomb, there is no unanimity of opinion. A country which has advanced considerably in the field of atomic research will have to incur less cost than a country which has not.

Shri William L. Lawrence, who, as compared with other reports, has more knowledge of the atomic bombs, is of the opinion that the atomic power of China is not such as to place him in the nuclear club. There is also no likelihood of her developing such capacity. Two powers America and Russia are full-fledged members of the Club. According to him even Britain and France are not capable enough to be full-fledged members of the Club. Their accumulated stockpiles are very small compared with Russia. Their production is much less than that of U.S.A. This article also shows that with the resources available in America, it cannot manufacture more than one bomb per week.

With this background, we have to consider the question of atomic bomb in all its aspects. It is not that we cannot make this bomb. We have made considerable progress in the field of atomic energy. But we should not take any step in haste. It we decide to manufacture the bomb it will put a great burden on our people and might hamper our development work.

We have to consider this question coolly, because it concerns not only us, but the whole of humanity. We have to be careful that it does not endanger our security. At the same time we should not do anything which might impede our efforts for world peace. We have to consider the basic question in all its aspects and to guard against adopting any rigid attitude.

This is a serious matter which has to be considered by the UNO also, because the main objection of that organisation is to prevent any dangers to world peace. Not India alone will present this matter before the U.N.O. All developing nations of Asia and Africa have to do so, because this is equally important to them.

In the present circumstances, only that policy is beneficial for us, which we have been hitherto following.

I would not like to say anything about Nagaland in the foreign affairs debate. The Government's attitude regarding Nagaland is clear. If various opinions are expressed, we should not worry unnecessarily, because Government is fully competent to solve the problem.

Government will continue to follow the policy of maintaining and promoting friendly relations with all countries. We will continue to follow the policy of co-existence, non-alignment, disarmament and peace.

A few days back I received letters from President Johnson and the Prime Minister of Russia which both contained very friendly messages.

इस के पश्चात् लोक-सभा बुधवार, नवम्बर 25, 1964 / अग्रहायण 4, 1886 (शक) ग्यारह बजे तक स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, November 25, 1964/Agrahayana 4, 1886 (Saka)

GMGIPND—LS III—2032 (Ai) LSD—4-3-65—600.